राजस्थान विधान-सभा का कार्य-विवरण

अंक १] द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५७ का छठा दिवस [संख्या ५

सोमवार, २९ अप्रेल, १९५७

विधान सभा की बैठक ११-०५ बजे मध्यान्ह-पूर्व विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष : वे सदस्य जिन्होंने अभी तक संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ अथवा प्रतिज्ञान नहीं किया है वे अब ऐसा करेंगे।

श्री सचिव : (श्री मनसाराम पुरोहित) :

श्री दामोदरलाल व्यास
(अनुपस्थित)

श्री दलपतसिंह
(शपथ ग्रहण की)

श्री लालसिंह शक्तावत
(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह
(शपथ ग्रहण की)

श्री श्रीराम
(शपथ ग्रहण की)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्रीमती सतवंतकौर।

मार्च १९५७ में अधिक वर्षा व ओलों से गंगानगर में फसलों को क्षति

५. **श्रीमती सतवंतकौर** (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) मार्च १९५७ में अधिक वर्षा और ओले गिरने से जिला गंगानगर में फसलों को कितनी और कहाँ हानि हुई हैं ?

(ख) सरकार ने इस क्षेत्र के भूमिहीन काश्तकरों को किश्तों की वसूली, रकम आर्जी काश्त, और आबयाना मालगुजारी के संबंध में क्या सुविधायें दी हैं और चारा व दूसरी सहायता देने हेतु क्या कार्य किये हैं ?

राजस्व उप-मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) तहसील करणपुर के ४० चकों में ७७८० बीघा आठ बिस्वा में करीब ५८ हजार मन अन्न का नुकसान हुआ और तहसील पदमपुर के ३३ चकों में ६८०३ बीघा और १५ बिस्वा में करीब ४७ हजार मन अन्न का नुकसान हुआ।

(ख) उपरोक्त क्षेत्रों में राजस्व कर, तकावी व अन्य करों की वसूली स्थगित करने के लिए आज्ञा जारी की जा चुकी है। साथ ही डेढ़ लाख रूपया तकावी और दस हजार रूपया सहायतार्थ स्वीकार किया जा चुका है।

श्री धर्मपाल (नोहर) : क्या यह रकम बहुत शीघ्र पहुँचाने के लिए कोई तजवीज है।

श्री सम्पतराम : मैंने अर्ज किया कि रकम सेंक्सन की जा चुकी है और अब तक पहुँच चुकी होगी।

गंगानगर में तमलीक नामे व विरासत के मामले

६. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करणपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—(क) जिला गंगानगर में भूमि की बिक्री तमलीक नामे या विरासत के सम्बन्ध में कितने मामले इन्तकाल के तीन माह से ऊपर पटवारियों के पास पेन्डिंग पड़े हुये हैं?

(ख) पटवारी हलका तामकोट के पास कितने ऐसे इन्तकाल जो दर्ज रजिस्टर हैं लेकिन तसदीक शुदा नहीं हैं कितने समय से पड़े हैं?

(ग) इतने लम्बे समय तक इन्तकालों के तसदीक न होने के क्या कारण हैं और संबन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

राजस्व उप-मन्त्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में इतनी डिटेल से सूचना चाही गई है कि वह अल्प समय में प्राप्त नहीं हो सकी इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको आगे के लिये पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इसकी सूचना आपके पास कितने दिनों में आ सकेगी?

श्री सम्पतराम : मेरी अगली टर्न पर रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आपकी नेक्स्ट टर्न पर यह प्रश्न लिया जायगा।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की प्रेक्टिस को एन्करेज नहीं किया जाय क्योंकि इससे माननीय सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात होता है। जब कि १५ दिन के नोटिस की अकोर्डिंग टू रूल्स आवश्यकता है तो माननीय मन्त्री महोदय को उन प्रश्नों के उत्तर जरूर देने चाहिये। इस प्रकार की प्रेक्टिस को करटेल किया जाय तो हाउस के हित में और उन कोन्स्टीट्युएन्सीज़ के हित में होगा जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह पहला ही मौका है, आयन्दा माननीय मन्त्री महोदय ध्यान देंगे।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल पूछा गया है उसकी ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करूंगा, "इन्तकाल के कितने मामले तीन माह से ऊपर पटवारियों के पास पेन्डिंग पड़े हुए हैं," इसकी सूचना प्राप्त करने के लिए पहले का रेकार्ड देखने के बाद लिस्ट बनायी जायगी। इसलिये डिटेल्स में इन्क्वायरी करने की आवश्यकता है। अगर माननीय सदस्य इस प्रश्न को देखते तो इस प्रकार का एतराज उठाने की आवश्यकता ही नहीं होती।

चक ४३ एल. एन. पी. की भूमि का नियतन

७. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चक ४३. एल. एन. पी. ने

(श्रीमती सतवन्तकौर)

कितनी ऐसी भूमि है जो आज तक किसी को अलोट नहीं की गई ?

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से हरिजनों ने इस भूमि को लेने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किये थे मगर उनको न दी जाकर आज तक खाली रखी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व उप-मन्त्री (श्री सम्पतराम) :

(क) केवल ६ मुरब्बा जमीन ऐसी है जो नहर फीडर से डूब गई थी और मकानात के खंडेरात व जंगलात व खड्डे होने के कारण कोई शख्स लेने को तैयार नहीं हुआ।

(ख) जी नहीं। चक ५२ आर. बी. के हरिजनों की दरख्वास्त पेश हुई थी कि जिनको ७४ एल. एन. पी. में जमीन अलोट की गई क्योंकि उनकी प्रार्थना थी कि तहसील रायसिंहनगर, अनूपगढ़, जहां भी रकबा हो, उन्हें जमीन दी जाय।

श्री धर्मपाल : इस जमीन के लिये हरिजनों की कितनी दरख्वास्तें आयी थीं ?

श्री सम्पतराम : I am not sure about the number, but I have been informed that applications were received for this piece of land.

गंग केनाल कोलोनी में भूमिहीन कृषकों को भूमि

८. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंग केनाल कोलोनी में कितने भूमिहीनों को भूमि प्राप्त हो सकेगी ? यदि नहीं, तो सरकार उनको कहां बसाने का इरादा रखती है ?

(ख) क्या शेष को भाखड़ा क्षेत्र में बसाने का प्रबन्ध किया जायेगा ?

राजस्व उप-मंत्री (श्री सम्पतराम) :

(क) संख्या बताना संभव नहीं। गंग केनाल कोलोनी में भूमिहीनों को राजस्थान अलोटमेन्ट रूल्स, १९५६ के तहत भूमि दी जायेगी। अगर कोई भूमिहीन भूमि अलोट होने के बाद भी बच रहेगा तो उसे राजस्थान केनाल क्षेत्र में भूमि अलोट किये जाने की व्यवस्था की जावेगी।

(ख) राजस्थान उपनिवेशन, प्रियोजना राजभूमि आवटन, नियम १९५५ के नियम १३ (२) वर्ग (ख) के तहत गंग सिंचन व्यवस्था से प्रभावित क्षेत्रों के निवासी भाखरा नहर पर जमीन नहीं पा सकते।

गंगानगर में फसल की क्षति के कारण शरणार्थियों से किश्तों की वसूली का स्थगन

९. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करणपुर) : क्या पुनर्स्थापन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगानगर जिले में अधिक वर्षा और ओले पड़ने के कारण फसल की जो हानि हुई है, उसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार शरणार्थियों से वसूल की जा रही किश्तों को कम से कम दो साल के लिये स्थगित करने के लिये तैयार है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

पुनर्स्थापन उपमन्त्री (श्री सम्पतराम) :

(क) गंगानगर जिले में शरणार्थियों को जमीन निष्क्रान्ति भूमि व सरकारी भूमि दोनों ही दी गई है । जहां तक सरकारी भूमि का सम्बन्ध है राजस्व विभाग से उनके लिये अदायगी किश्त स्थगित कर दी गई है। निष्क्रान्ति भूमि केन्द्रीय सरकार के अधीन है । जिन जिन शरणार्थियों की फसल को हानि हुई है उनके लिए केन्द्रीय सरकार को किश्तें स्थगित करने के लिए सिफारिश कर दी गई है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

तहसील गंगानगर की नियतन की गई भूमि

१०. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील रायसिंहनगर में कितनी ऐसी सरकारी भूमि है जो आज तक अलोट नहीं की जा सकी है ?

(ख) इस भूमि को हांसिल करने के सम्बन्ध में कितने प्रार्थना-पत्र पेश हुए और वे क्यों और कब से पेन्डिंग हैं ?

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही उचित कार्यवाही करेगी ?

राजस्व उप-मन्त्री (श्री सम्पतराम) :
(क) ७३५२ बीघा नहरी व ५०८४५ बीघा बारानी ।

(ख) कोई नहीं । इसलिये पेन्डिंग होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री धर्मपाल : इस भूमि के लिये किन किन ने दरख्वास्तें पेश कीं ?

राजस्व उपमन्त्री : (श्री सम्पतराम) मैंने इसका जवाब दे दिया है, दरख्वास्तें यदि थीं तो उनको जमीन दे दी गई होगी ।

११-१८ म. पू.

राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन विधेयक, १९५७. (पुरःस्थापन)

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन विधेयक, १९५७ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान लॉज एक्सटेन्शन विधेयक, १९५७

(पुरःस्थापन)

विधि मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लॉज़ एक्सटेन्शन विधेयक, १९५७ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

Page No.5

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ विधेयक, १६५७

(पुरःस्थापन)

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज बिल, १६५७ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में आगे कार्यवाही करने से पहले मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसके लिए राष्ट्रपति की आज्ञा आई है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इजाजत आ गई है।

श्री अध्यक्ष : हमारे पास तो नहीं भेजी गई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपकी सेवा में भेज दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : जब तक राष्ट्रपति की आज्ञा न आये तब तक यह मोशन नहीं किया जा सकता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कंसीडरेशन के लिए बाद में लिया जा सकता है, पुरःस्थापित करने का मोशन तो हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद

(पूर्व क्रम से)

११.२१ म० पू०

श्री अध्यक्ष :—राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): Mr. Speaker, Sir, on the second day of the discussion on the Governor's address, I rise to support the motion. The Governor's address contains the past achievements of this democratically reconstituted socialist Government and the future policy of this Government to establish gradual socialism in this State of ours.

The Hon'ble Members will excuse me when I express surprise at the statement contained in the Governor's address that this State long ago decided to achieve eco-

Page No.6

(श्री श्री मानसिंह)

nomic prosperity and happiness through economic planning. Why I express surprise is because the ten lacs people of Bharatpur District do not know or are not aware about this development and the decision of this Government about economic planning. Of course, they are conscious that there is a change. But they are conscious of only a change in the method of control and administrative structure. But the change has not brought about a change into their living standards and the environments. Thus the people of Bharatpur District are aware that there is political democracy, but they are unaware of the fact that political democracy also means social and economic democracy. I will not be far wrong if I say that for ten years political democracy has denied to the people of Bharatpur economic and social justice. I will refer briefly to my constituency of Bayana and Rupwas Tehsils and the Bharatpur Tehsil.

Mr. Speaker, Sir, what to speak of new irrigation bunds; in my constituency about ten irrigation bunds in Bayana, due to lack of maintenance and repairs, are in a terrible condition. Similar is the condition of the bunds in Rupwas Tehsil, with the result that thousands of gallons of water run waste. But that is not all. Last year these two Tehsils were victims of flood, with the result that there was havoc caused to life and property and thousands of acres of land was made uncultivable.

But it is the misfortune of these two Tehsils, of the people there, that our democratically constituted socialist Government has no scheme even this year to prevent its recurrence. Sir, we are told in the Governor's address that increasing expenditure is being incurred on irrigation works, and was incurred during the period of the first plan. I do not know as to where this expenditure was incurred and how? But I must tell this House that to the people of Bharatpur District and to the people of this constituency these bunds are your Bhakra and Chambal Bunds. On them depend their crops the very existence of their life.

Thus, similar is the condition of the roads; roads which are supposed to carry the benefits of civilization, of progress, of trade and commerce, through which political and parliamentary democracy is supposed to deliver its good to the poor, ignorant, illiterate and diseased people of our villages. These roads are deteriorated and the new roads are lying incomplete. We are told in the Governor's address that the Government is laying great emphasis and increasing expenditure on social services. Sir, I must say that throug

(श्री श्रीमानसिंह)

these social services the principle of equality is to be established, and appreciated by the poorest man in society. But, unfortunately, Sir, these social services are conspicuous by their absence in Bharatpur and specially in my constituency where illiteracy and mortality is on the increase. It will not be far wrong if I quote-

"Full Many a flowers
are or to blush unseen,
And waste its sweatness
on the desert air."

I am unaware when this Government will fulfil the directive principles of the Constitution for free and compulsory education. But the people of my constituency are bewildered as to whether it is their right to be educated or their duty to remain illiterate. Sir, by denying these opportunities and these facilities in a socialist society, we do deny to them the principle of equality of opportunity. This Government in denying this principle perpetuates the division of society into rich and poor, and this Government, if I may be permitted to say, virtuaally condemns the poor man to a life of degradation, to toil and servility, and to premature death. I may ask this Government, is it socialism, is it a society established on principle of social and economic justice? To me it is not, and if we say yes, I think, the 10 lacs people of Bharatpur will cry against such form of socialism.

Sir, I draw your attention to the reference made in the Governor's address as to the destruction of the crop by hail storm and through rust. But, Sir, in Bayana, Rupbas and Bharatpur Tehsils no officer has been appointed to go into the matter and report to our Hon'ble Government, and the Governor has very wisely ommitted as to what steps, relief measures, is the Government taking or has taken.

Sir, for 10 years the people of Bayana Tehsil and Dholpur have made repeated representation to this Government as to reduce the grazing rates and make alternative pasturing arrangement. But, unfortunately, all their representations have been in vain, even regarding removing wood for agricultural purposes.

Sir, if there was planning in Rajasthan, then, Sir, of course, this Government must have made and should have made and decided upon the priorities. But the opening of N. E. S. blocks is a singular instance where this Government and its planning Department has a very oscilliating opinion. It was last year decided to open an N. E. S. block in Roopbas Tehsil, but unfortunately, to the reasons best known to the Leader of the House, the block was shifted to Rajakhera. Thus

(श्री श्रीमानसिंह)

the people of Roopbas Tehsil were waiting that this year at least the Government will be kind enough to open N. E. S. block. But unfortunately, I am told the N. E. S. block is shifted to Nadbai. After all, what is this ? Why this change, when Roopbas Tehsil contributes more land revenue than any Tehsil in Bharatpur District, when the area is the biggest in Bharatpur, when all the coditions laid down by the Planning Department are fulfilled by that Tehsil and not Nadbai Tehsil? But if there are decisions, if there are priorities, they must be carried out. You will excuse me for this speech on local things. But, Sir, as I represent them, I had to put them forth before this Government. This is a sort of warning from the people of Bharatpur. If they glorify the past are they mistaken ? If they feel passimism and dismay for the future, are they wrong ? The people are clamouring for a change. They want to change their environment. They will not be primitive and passive spectators of their conditions. They will not listen to your financial limitations. They will not listen to our voice, to our advice of waiting. The Government may wait, but they will not. They want economic and social equality not in the sacred pages of the Constitution, but in reality. They will have it, and if we continue in this a way of planning, one sided, planning for one Division, planning for one District, then let me say to this Government that if the raised expectations of the people are not met, they will search for an alternative. If you treat Bharatpur people step motherly, if you fail to maintain even the statusquo of the District, I warn you that with such planning Rajasthan may go the Kerala way.

Sir, of course, there have been very significant achievements. I must give Government credit for the significant legislations passed in this House in the last 5 years and they have been the removal of the intermediaries, like Jagir abolition Act or the giving of the tenancy or the proprietory rights to the tenants, the legislation for the consolidation of holdings. But, Sir, you will bear with me when I say while we have removed the old agrarian pattern of Rajasthan the new measures have not given the expected results. It is time that we must ask why ? Why we have not been able to create that enthusiasm, that enterprise, and that initiative in the 80% of our population. It is because, Sir, there is something wrong somewhere, and to me it appears that this Government for the last 5 years have been indecesive as to what agricultural pattern of farming it wants in this state. They do plan for plenty but, unfortunately it failed to change the occupational pattern of our economy. It

Page No.9

(श्री श्रीमानसिंह)

failed to give relief to the agriculturists by removing the pressure on the land. Similarly, Sir, is the case of the opening of the Cooperative Societies. Whatever they did but they failed to cater to the multifarious needs of the village economy. Thus we must ask whether this is the initial way to cope this is the gradual socialism, this is the gradual development, this is providing gradual facilities to the 80% of the population that constitute the back-bone of our State ? People here do not want to wait. They want progress and quick results. But if we say that, wait, slowly and gradually we would bring about socialism, the result will be that our agricultural economy will remain in stagnant stage. The experience of 5 years will give ample testimony to my statement. Therefore, Sir, we must make the eighty percent people living in our villages conscious of living in a new order, in a society which is changing, where old values do'nt exist, where they must become conscious; they must contribute wholly and solely to the betterment of our State and they must come with desired response which the Government wants for its successful planning. Therefore, our initial steps and the steps that this Government is going to take must be so bold and rapid as Russia took. The essence of Russia's planning is that it planned rapidly while our Government is planning slowly and the progress is at a snail's pace.

There has been reference in the Governor's Adress to the happy relations between the employer and the employee. To Hon'ble Members, Sir, through you, I ask this question, how can there be happy relatious between the master and the slave, between the worker and the manager and between the employer and the employee ? In Rajasthan this Government has failed to translate political democracy into industrial democracy. The pattern of relationship between the employer and the employee, between the master and the slave and between the manager and the worker has not changed. Neither it has taken any steps to change that pattern of relationship. It is thus that if we want the workers to contribute to the increasing progress and the well being of our nation then we have to take their participation into the management of industries. It is the workers who must decide as to the conditions of their work, their living , their pay scales and their facilities and not legislation. And thus I have my doubts whether actually happy realations exist in these circumstance.

There has been a reference as regards the administration. Of

(श्री श्रीमानसिंह)

course there is no denying that there is corruption, and I will go to the extent of saying that today there is hardly any distinction between the administration or between an administrative officer and a politician. That the administration of Rajasthan is increasingly participating in politics is a misfortune of our State. Not only this, I have instances where officers have indulged in encouraging communalism, sectionalism and approaches that are detrimental to our democracy, and in these conditions whatever the administration, it will fail. May God help this administration.

Sir, that the administration should have been and has been given decentralised powers and delegation of respensibilities is a good sign; but, Sir, this decentralisation of powers and the delegation of responsibilities has been done with a view that the administration should be able to cope with the growing economic tempo or the economic activity of our Plan. Whether this administration through decentralized powers will be able to cope with this, I have my grave doubts because, Sir, this Government, if I may be permitted to say so, has failed to take lessons from the difficulties faced in the implementation of the First Plan. During the First Plan it was experienced that for the first three years the administration of Rajasthan was unable to spend the amounts sanctioned by the Government with the result that the amounts lapsed but within a period of one year without an increase in the personnel, quantity and quality, training or anything, it was able to spend all the remaining amounts. Thus anybody can understand whether the amount was utilized or wasted. I will support the latter opinion that the amount was misutilized. Similarly, Sir, in planning we need different types of personnel, we need people with a different outlook, people with initiative, people with enterprising spirit because the functions of a Manager and the functions of an entrepreneur are different from those of an administrator. The training of an administrator is different from the training of a planner or from those who will execute the plan. But unfortunately, Sir. we have not created conditions and we have not changed the service rules. They are the same, training is the same and the qualifications are the same and then if we expect this administration to perform the functions of a planningor one who has to execute the Plan, it is too much. Then during the Second Plan period the rate of expenditure will be double the First Plan. The Audit, accounting checks and counter checks, they are in existence. We have not taken the trouble to change

(श्री श्रीमानसिंह)

these rules especially in industrial planning. Now greater emphasis is on the heavy industries in the Second Plan. What is needed is quick decisions- decisions that will give us the results in a lesser time and with a minimum cost. But whether the system of auditing or accounting is suitable for the industrial progress, industrial development or industrial planning, we have to cnsider. It is not only the delegation of powers but that they also go to help planning these new service rules and the new accounting rules etc; we have to make for implementing our Second Plan.

In conclusion, Sir, I doubt the Second Plan- I mean I have my doubts that the Second Plan may not be implemented. Of course it is a very straight forward statement but briefly I will explain this to this House. This Second Plan was formulated on th assumption that the prices will remain constant. The first failure of our planning is this that there has been a rise in prices. The Government have failed to stabilize the price on an economic footing. When our targets are based on the assumption of constant prices, I may ask the Government how you are going to reach them ? They may not, because they are now based on wrong calculations. Now, Sir, with the increased prices the Government expenditure increases. Then how will you be able to increase the resources--resources based on savings? Similarly, Sir, with the increase in prices and with the increase in the Government expenditure, will we be able to develop the economy at such a rate as to provide employment to eight million people ? No Sir, because even during the first plan with our most optimistic calculations we were able to provide employment hardly to four million people. thus on the employment score this plain will fail. Then, Sir, as regards the estimates of the national income we have proceeded on the logic that if I invest one rupee this will be the income and next year if I invest two rupees the income will be double. This is the assumption of our planning. A sum of Rs. 15 crores was invested in the First Plan. Let us invest double the amount; Rs. thirty crores in the second plan. How can our planning work like this ? I can confidently say that the rate of increase In the national income will not be double with the result that the objective of planning viz. higher living standards will not be attained. Similarly, in planning there must be continuity. If we take the case of China we find that while she laid emphasis on the heavy industries, it did not break the continuity of planning. Our planners- first

(श्री श्रीमानसिंह)

they invested heavily on agriculture and now they are investing heavily on heavy industries while the consumer industries have been left out. In a country with low standard of living, with ill-nutrition and low incomes desiring and having its goal of a welfare State, should it invest in steels ? Is it not a totalitarian choice ? Today we want food, clothes and materials to construct our houses. From where we can have them when the emphasis is on the heavy industries ? The consumer goods will not be made available. The people will be forced to tighten up their belts on account of the errors of planning.

Then we have laid emphasis on the cottage and small scale industries in the hope that it will provide employment to a large number of our people. I call it a medieval attitude. In this twentieth Century when the people of the world believe in industrialization we are still giving emphasis on the cottage industries with obsolete material and obsolete implements. We have admitted in the Governor's Address that we will not be able to provide electricity from such and such Kw. When the electric power will be lacking, when the materials will be lacking I don't know why we are bent upon investing heavier amounts on the cottage industries in the hope that large employment will be provided by them. This hope will not be materialized. I, therefore, advise the Government, however efficient planners they have, let them take my warning that it is still time to change the targets of the planning calculated in view of constant prices. It is still time to see whether it could have so much resources. If not, it should be changed in such a way that it could have flexibility for changing circumstances. I advise that the plan may kindly be changed.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राज्यपाल महोदय के भाषण का यदि हम विश्लेषण करें तो दो बातों का स्पष्ट रूप से पता चलता है। एक भाग तो यह है कि (राज्यपाल के भाषण से) सरकार ने गत पंचवर्षीय योजना में जो काम किया है उसका विवरण मिलता है और दूसरा भाग इस अभिभाषण का यह है कि जो कुछ नया काम सरकार करना चाहती है या नये कानून बनाना चाहती है उनका उल्लेख इसमें मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर मेरी सम्मति यह है कि राज्यपाल के भाषण में प्रेरणा देने की बहुत कमी है। हम इसे प्रेरणाहीन भाषण कह सकते हैं लेकिन इस बात का संकेत इसमें जरूर है कि हम आने वाले कुछ दिनों में कुछ अच्छे अच्छे कानून बनाने वाले हैं और बड़ी योजनायें हाथ में लेने वाले हैं। लेकिन हमें उम्मीद थी कि कुल मिलाकर इस भाषण से हम प्रेरणा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज हम एक मोड़

(श्री जनार्दनराय नागर)

पर आ खड़े हुए हैं और राजस्थान की जनता इस प्रतिष्ठित सदन द्वारा और सरकार द्वारा एक तरह का आत्म-विश्वास महसूस करे, इसकी बहुत आवश्यकता है। हमने गत ५ साल में जो कुछ किया है वह अत्यन्त उल्लेखनीय है। अध्यक्ष महोदय, इसमें संदेह नहीं कि इस समय समस्त राजस्थान में आत्म विश्वास की आवश्यकता है। यह आत्म विश्वास राजस्थान की जनता और इस प्रतिष्ठित सदन के बीच स्थापित होना चाहिये, और सदन के नेता तथा उनकी सरकार का राजस्थान की जनता से सहयोग और साहचर्य रहना आवश्यक है। हमें उम्मीद थी कि राज्यपाल महोदय इस ओर संकेत करेंगे लेकिन उनके अभिभाषण में इसका अभाव रहा। इस भाषण से हमें प्रेरणा नहीं मिलती है लेकिन यही मिलता है कि इसमें आने वाले समय में कुछ अच्छे कार्य करने का उल्लेख है।

सबसे मुख्य बात जो इस अभिभाषण में कही गई है वह यह है कि गत पंचवर्षीय आयोजन के पहले तीन साल हमने प्रशासनिक गुत्थियों को सुलझाने में बिताये और पिछले दो सालों में आयोजन का काम किया। इससे मैं समझता हूँ, हमें दूसरे आयोजन के समय बहुत सावधानी से रहना आवश्यक है। इस समय इस बात का खतरा उत्पन्न हो गया है कि द्वितीय आयोजन के पहले साल में जो हम १६ करोड़ रुपये खर्च करना चाहते थे वहां हम केवल १३ करोड़ रुपये ही खर्च कर पाये हैं। कुछ सम्भावित कारण ऐसे हुए जिनकी वजह से ५६-५७ में, पहले साल में खर्च करने को जो रुपये रखे थे, उसे पूरा खर्च नहीं कर पाये। मुझे इस बात की खुशी है कि दूसरे आयोजन के दूसरे साल २० करोड़ से भी अधिक रुपये आयोजन में खर्च करने की राज्य सरकार की इच्छा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ठीक तरह से खर्च किये जायेंगे। वैसे तो यह साधारण सी बात है लेकिन मैं इसको साधारण इस कारण नहीं मानता, राजतंत्र की जो प्रारम्भ में स्थिति थी वह सन् ५७ में नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जबसे यह प्रतिष्ठित सदन आरम्भ हुआ है तब से राजतंत्र-सुधार के प्रयत्न जारी हैं। उस समय से देखते हैं तो राजतंत्र की गति-विधि और निर्णयपत्र निकालने में कुछ सुधार हुआ है और सुधार की यह प्रक्रिया जारी है।

राज्यपाल महोदय के भाषण से हमने जाना कि पंचवर्षीय योजनाओं की स्वीकृति के लिए एक विशेष समिति कायम की गई है। मैं समझता हूँ, यह आशाजनक है। राजतंत्र के सुधार की कई समस्यायें हैं। हमारा दुर्भाग्य यह है कि राजतंत्र का समूचा ढांचा अभी तक पुराने रूप में है। हम और आप यह जानते हैं कि राजतंत्र का समूचा ढांचा ऐसा है जो जनतंत्र में विश्वास नहीं करता। जनतंत्र जनता के विश्वास पर ही कायम किया जा सकता है। हम यहां जनतंत्र के कामयाब न होने का मूल कारण खोजें तो यह मिलेगा कि यहां राजतंत्र जनता के अटल विश्वास पर कायम नहीं है। जनता के अटल विश्वास की भित्ति पर ही हम और आप आज यहां बैठे हैं। लेकिन हमारा तन्त्र जनता के विश्वास से अलग रहा है और इससे बहुत सी समस्यायें पैदा होती हैं। इस ओर कदम उठाने का संकेत राज्यपाल महोदय के भाषण में है। लेकिन यह राजतंत्र की समस्या कैसे सुधरेगी? मैं समझता हूं,

(श्री जनार्दनराय नागर)

हमारी सरकार इस ओर कुछ प्रयत्न कर सकती है। लेकिन ये प्रयत्न उसी पुराने ढांचे तक सीमित हैं। सरकार ने राजतंत्र के सुधार के लिए जो कमेटियाँ बनाई हैं वे पुराने ढांचे की हैं। हमारे राजतंत्र का ढांचा ही प्रतिक्रियावादी ढांचा है। समस्त राजतंत्र में प्रगतिशील गति आनी आवश्यक है। मैं नहीं मानता कि तहसीलों में, जिलों में और कमिश्नरीज़ में एक व्यक्ति शासन चला सकता है; चाहे तहसीलदार, कलेक्क्टर या कमिश्नर कितना ही कुशल क्यों न हो। मैं मानता हूँ कि हर स्तर पर जनता का सहयोग मुहैया होना चाहिये और जनता से सहयोग लेना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि जनता का सहयोग लेने का सरकार का विचार नहीं है। जहां तक कम्युनिटि प्रोजेक्ट्स और विकास का सम्बन्ध है, जनता से सहयोग लिया जाता है। जहां तक जिलों में विकास का सम्बन्ध है, वहां पर विकास समितियां कायम हैं लेकिन आप देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना के निर्णय पर उनका कुछ असर नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि उदयपुर जिले में द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण का निर्णय जिला विकास समितियों की राय से नहीं हुआ!

हम उदयपुर जिले की सात–आठ तहसीलों में छोटे छोटे आठ–दस राज्य मार्ग आदि बनाने के लिये कहते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कम आशा है। राजमार्गों और जिला-मार्गों के लिए उदयपुर जिले की इन तहसीलों में कोई आयोजन नहीं है। मैं उदाहरण के लिये कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की समितियां केन्द्रीय होते हुए भी, प्लानिंग कमेटी होते हुये भी सम्यक् और न्यूनतम काम जिलेवार हम हर मद में नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का यह प्रयत्न कि राजतन्त्र के विकास में जनता का पूर्ण सहयोन हो, मैं मानता हूँ उचित है। मेरा विचार यह है, अध्यक्ष महोदय, कि समूचे राजतन्त्र के विकास के लिए जनता का विश्वास प्राप्त किया जाय; जैसे पंचायतों को अधिक अधिकार देने का सवाल आता है, इस संबंध में यह दलील आ सकती है कि पंचायतें गलतियां करेंगी, ठीक निर्णय नहीं करेंगी, पंचायतों में दलबन्दी होगी। मुझे क्षमा कीजिये; अध्यक्ष महोदय. अगर मैं कहूं कि यह दलील उन लोगों की है जो जनता को नहीं जानते हैं, जनता को नहीं मानते हैं। मैं इस दलील को नहीं मानता हूं। हमें जनतन्त्र के विकास के लिए खतरे उठाने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, पुरानी सामन्ती राज व्यवस्था के हमने खतरे उठाये हैं और हानि उठायी है। यह सब मान्य है कि यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जनतंत्र का विकास करना चाहते हैं तो हमें जनतंत्र के विकास के लिये भी खतरे उठाने पड़ेंगे। मेरी दलील यह है कि पंचायतों को अधिकार देने का राज्यपाल के भाषण में जो संकेत मिलता है वह शुभ है। सरकार के मन में जनता के अन्दर विश्वास पैदा करने की ओर यह कार्य मंगलाचरण है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन मे यह विचार रख रहा था कि हर स्थान पर जनता का सहयोग लेने का काम हमें जनतन्त्र के द्वारा राजतंत्र में कायम करना पड़ता है।

मुझे इस राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ अभाव भी प्रतीत हुए। हम कृषकों के मानी, मजदूरों के मानी, मिल मालिकों के मानी या किसी अन्य विषय के मानी में सोचते

Page No.15

(श्री जनार्दनराय नागर)

हैं, राज्य स्तर पर। किन्तु मुझे आश्चर्य हुआ कि राजस्थान की साहित्यिक स्थिति के बारे में, उसकी गति विधि के बारे में राज्यपाल के भाषण में कुछ भी नहीं मिला। राज्यपाल के भाषण में राजस्थान के साहित्यकारों, सांस्कृतिक प्रतिभाओं तथा राजस्थान के जो अन्य समाजसेवी कार्यकर्ता हैं, उनकी दशा सुधारने के लिए कोई संकेत नहीं मिलता है। हमारे राज्यमें कई अकादमियों (acadamies) कायम की जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन अकादमियोंको कायम करने का प्रारम्भ ही आशाजनक नहीं है। बहुत ही कम रकम से ये अकादमियां कायम की जा रही हैं। मैं मानता हूं कि राज्य की प्रगति के लिये अकादमियां बहुत आवश्यक हैं। मैं सदन के नेता का, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि साहित्यिकों की जहां तक प्रगति का सवाल आता है वह बहुत अहम सवाल है। उसके सम्बन्ध में काफी आश्वासन दिये जा चुके हैं। अगर इस ओर राज्यपाल के भाषण में भी संकेत मिलता तो हमें विशेष प्रसन्नता होती।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन में मैं रखना चाहता हूँ कि राज्यपाल के अभिभाषण में विस्तार का अधिक जिक्र है लेकिन नई प्रगति के लिए किसी सरकारी नीति के निर्माण का उल्लेख नहीं मिलता है। मैं मानता हूँ कि हमारी सरकार को अधिक प्रगति के लिए दृढ़ प्रगतिशील नीतियों का निर्माण करना पड़ेगा। पंचवर्षीय आयोजन के प्रशासन का कार्य सुलझा हुआ है लेकिन पंचवर्षीय आयोजन को अमल में लाने का जो कार्य है, मैं मानता हूं, वह तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि राज्य प्रगतिशील नीतियों के निर्माण की ओर नहीं बढ़ता। मेरा विश्वास है कि हमको इस बात का विशेषत: प्रयत्न करना पड़ेगा कि हमारी नीतियां प्रगतिशील हों और वे जनता को मालूम हों। इस सदन के द्वारा राजस्थान की जनता को प्रगतिशील नीतियों का संदेश भी देना चाहिए।

मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि शिक्षा के सम्बन्ध में राज्यपाल के भाषण में विस्तार का तो उल्लेख किया गया है, लेकिन जहां तक शिक्षा-ढांचे में परिवर्तन करने की नीति का का सवाल है, उसका राज्यपाल के भाषण में कोई जिक्र नहीं है। मैं यह बात मानता हूं कि हमारे राज्य में शिक्षा का विस्तार हुआ है। शिक्षा के विस्तार से मेरा मतलब यह है कि कुछ स्कूल बढ़ाये हैं और कुछ नई योजनायें शुरू की गई हैं। मैं मानता हूं कि हमारे राज्य में अभी तक शिक्षा की प्रगतिशील नीति का निर्माण नहीं हो सका है। केवल शिक्षा के विस्तार का संकेत ही पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि राज्य के अन्दर शिक्षा की प्रगतिशील नीति के निर्माण करने की ओर कदम उठाया जाना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा के सम्बन्ध में विदेशी दृष्टिकोण सामने रखा जा रहा है और विदेशी नमूने की शिक्षा देश में लाई जा रही है हमारे देश की प्रतिभा और आवश्यकता से अनुकूल शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के निर्माण की ओर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि सरकार इस ओर कोई कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे राज्य में कुछ कुछ प्रथम पहलू

Page No.16

(श्री जनार्दनराय नागर)

शिक्षा के प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन इन प्रयोगों के बढ़ने की उम्मीद, मैं समझता हूं, कम है। मैं बड़ा हैरान हुआ, जब उन्होंने कहा कि छात्रों की पढ़ाई में तरक्की का ठीक अन्दाजा लगाने के लिए तिमाही परीक्षा के स्थान पर, सालाना इम्तिहान के अलावा, हर विषय में लगातार पांच बार परीक्षण किया जाय। इस प्रकार का सुझाव सरकार का है। मैं बड़ा हैरान हुआ, अध्यक्ष महोदय, परीक्षा पद्धति को उठा न देनेकी आवश्यकता अनुभव करके भी हमारी सरकार को इस प्रकार पांच बार परीक्षण की आवश्यकता हुई। वर्तमान परीक्षा पद्धति मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, मनोरथ और जीवनके विकास के लिए, मैं समझता हूं अत्यन्त दूषित है। आज इस परीक्षा पद्धति को हटाने में हम बहुत देर कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज राजस्थान में प्रगतिशील शिक्षा के दृष्टिकोण से शिक्षा—पद्धति के निर्माण करने की आवश्यकता है। मुझे अच्छी तरह मालूम है, इस बात को लेकर शंकाशील शिक्षा विशारद कहते हैं कि इस दूषित परीक्षा पद्धति को हटा देने पर क्या होगा ? मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस परीक्षण पद्धति के हटाये जाने पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं राज्य सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे निर्भय होकर वर्तमान परीक्षा पद्धति को हटा दें। इस सदन के कई माननीय सदस्य हमारी राजस्थान सरकार को इसमें सहायता करेंगे। मैं सदन को बताऊं, अध्यक्ष महोदय, कि हमारी वर्तमान परीक्षा पद्धति १०० में से ६७ असत्य बातें लिखने पर निर्भर हैं, और उसमें ३३ सत्य बातें लिखी जाती हैं। यानि १०० में से ६७ असत्य बातें लिखने की गुंजाइश है। हमारे बच्चों की शिक्षा इसी आधार पर है। उत्तर पुस्तकों के व्यापार पर उनका अध्ययन अवलम्बित है। १६५७ में जब आप समूचे राष्ट्र के विकास करने की कल्पना कर रहे हैं तब अन्य राष्ट्रों में जो प्रगतिशील शिक्षा पद्धतियां है, उनका हम अनुसरण करें। अध्यक्ष महोदय, इस अनुकरण के बजाय हमें अखिल भारतीय स्तर पर नीति निर्माण कर हिन्दुस्तान में शिक्षा पद्धति का निर्माण करना चाहिए। यों तो केन्द्रीय सरकार इंगलैण्ड या अमरीका की शिक्षा पद्धति का अनुकरण कर रही है; इससे क्या भारतीय प्रतिभा का, भारतीय आवश्यकता और उसकी मानवता के परम्परागत विकास के अनुसार आप भारतीय शिक्षा पद्धति का निर्माण कर पायेंगे। मैं समझता हूँ कि वह दिन अभी बहुत दूर है। जहां तक अनुकरण का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, हम इस दूषित परीक्षा को हटा कर राजस्थान में समूची नई पद्धति का निर्माण कर सकते हैं। यह उल्लेख करने के लिए ही मैं यह बात नहीं कह रहा हूं। यदि सरकार इस बात के लिए तैयार हो कि वर्तमान परीक्षा पद्धति को हटा कर समूची नई पद्धति का निर्माण वह करे तो इस सदन के बहुत से सदस्य सरकार की सहायता कर सकते हैं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि हमारे राज्य में एक विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय की स्थिति के बारे में राज्यपाल के अभिभाषण में कोई संकेत नहीं मिलता है। मैं मानता हूँ कि अब वह समय आगया है जब राजस्थान सरकार को राजपूताना विश्वविद्यालय की ओर ध्यान देना चाहिए। मुझे जहां तक मालूम हुआ है, इस विश्वविद्यालय को मदद की आवश्यकता

Page No.17

(श्री जनार्दनराय नागर)

है किन्तु उसकी प्रक्रिया और कार्य विधि में संशोधन की बहुत जरूरत है। मुझे यह देख कर हैरानी होती है कि हमारा यह विश्वविद्यालय केवल इम्तहान लेने के लिए ही बना हुआ है। आज यह विश्वविद्यालय मैट्रिक की परीक्षा लेता है, इन्टरमीडिएट, बी. ए. और एम. ए. की परीक्षा लेता है।

(१२ मध्यान्ह)

परन्तु आज हमारा वह एकाकी विश्वविद्यालय है जो अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों की तुलना में जवानी में नहीं पहुँचा है और जो हमारी सांस्कृतिक जागृति और शिक्षा का केन्द्र है उसकी सारी स्थिति देखें तो वह परीक्षा लेने का ब्युरो मात्र मिलेगा। मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि राजपूताना विश्वविद्यालय को मैट्रिक और इन्टरमीजियट की परीक्षाएं लेने की क्या आवश्यकता है ? राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट के बाद हमारे विश्वविद्यालयों की विचार धाराओं में परिवर्तन आना चाहिए। कमीशन ने अपनी यह राय दी है कि निश्चित रूप से हमारे विश्वविद्यालयों का दृष्टिकोण केवल परीक्षाएं लेने का न होकर जन-जीवन के साथ घुलमिल कर उच्च शिक्षण की गति विधि के निर्माण का होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय जमाने के साथ बढ़ नहीं रहे। आज स्थिति यह है कि जनता की कई प्रगतिशील शिक्षण संस्थायें हैं, उनकी गति-विधियां हैं। उसके साथ जनता हर राह से आगे बढ़ रही है। राजपूताना विश्वविद्यालय, मैं यह मानता हूँ, स्थिर हो गया है और राजस्थान की जनता आगे बढ़ रही है। यदि हमारा राजपूताना विश्वविद्यालय जनता के आगे नहीं हुआ तो जनता उसको पीछे छोड़ कर आगे बढ़ जायगी और वह केवल पुस्तकों का एक सुन्दर मन्दिर या पुस्तकालय मात्र बना रहेगा। अतः राजपूताना विश्वविद्यालय को इन्टरमीजियेट और हाई स्कूल की परीक्षाओं से मुक्त कर दिया जाय। राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त एजुकेशन रीओर्गेनाइजेशन हाई पावर कमेटी के अन्तर्गत मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि हमारे जो डिग्री कालेज हैं उन्हें विश्वविद्यालय को सौंप देना चाहिए। जब इसके चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार और स्टाफ है तो फिर यह द्विविध तन्त्र क्यों चले ? हमारे राजपूताना विश्वविद्यालय को सृजनात्मक और रचनात्मक जीवन शिक्षण का एक व्यापक और सघन केन्द्र बनाने के लिए विचार किया जाना चाहिये।

मैं इन शिक्षण के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का उल्लेख नहीं करना चाहता। हमारे राज्य में सौभाग्य से जनता के शिक्षण-दीक्षण के स्कूल हैं, थोड़े से समाज-शिक्षण केन्द्र चलते हैं, उदयपुर में जनता कॉलेज चलाया जा रहा है सरकार की सहायता से, लेकिन कोई व्यापक कदम इस सम्बन्ध में लिया गया हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। निश्चय ही राज्य की ओर से समाज शिक्षण का कार्य राष्ट्रीय विस्तार खंड के कार्यों के साथ साथ किया जा रहा है। हमारे समाज शिक्षण के कार्य का विस्तार खण्ड राष्ट्रीय के साथ ही हो, उसे मैं पूर्ण उद्देश्य नहीं मानता। इसके लिए एक निश्चित दृष्टिकोण बन कर जब तक समुचित राज्य का ही समाज शिक्षण विभाग नहीं बनता तब तक हमारे जनतन्त्रात्मक राज्य और इस सदन के जीवन के विकास का सवाल हमारे सामने खड़ा ही

Page No.18

(श्री जनार्दनराय नागर)

रहता है । इन चुनावों में हमने देखा कि जनता में आगे बढ़ने की एक उत्कट इच्छा है, जनता में इच्छा है कि वह अपने जनतंत्र को समझे और आगे बढ़े । यह तभी संभव है जब कि राज्य द्वारा शिक्षा समाज का काफी विस्तार किया जाय । राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग एक सुख–दुख मिली कहानी है । जब से वृहद राजस्थान बना तब से शिक्षा विभाग के अध्यक्ष बदलते रहे हैं, मन्त्री भले ही न बदले हों, शिक्षा मंत्रालय के सचिव बदलते रहे हैं, और गौर से देखें तो सहज निर्णय पर पहुँचते हैं कि शिक्षा मन्त्री भी बदलते रहे हैं । यह सुखद भी है और दुखद भी है । तो राजस्थान सरकार का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य के इतने शिक्षा के विकास को देखने का माप दण्ड सैकड़ों स्कूलों का होना नहीं बल्कि स्कूलों को प्राण देने वाला, कालेजों को ठीक तौर से मार्ग–दर्शन देने वाले अध्यक्ष और विभाग के अच्छे प्रबन्धक का भी होना आवश्यक है । सचिवालय में भी इसी दृष्टि से पुनर्संगठन करने की आवश्यकता है । संतोष यह है कि जब से हमारे मुख्य मंत्री ने शिक्षा विभाग को सम्भाला है तब से कुछ योजनायें हमारे सामने आई हैं, एक बहुत बड़ी सारी दुविधा थी, समस्या थी गैर–सरकारी संस्थाओं को सरकारी मदद देने की । सरकारी मदद देने की नीति में परिवर्तन करने के लिए हम जैसे लोग जो इस क्षेत्र में काम करते हैं बड़े परेशान थे । जब हमारे सदन के नेता ने मुख्य मंत्री के भार के साथ ही साथ शिक्षा विभाग का कार्य सम्भाला तो इन्होंने गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन किया और उसके परिणामस्वरूप ग्रान्ट इन एड में काफी सुधार हुए हैं और हमारी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं के जीवन में जो रस्साकशी है उसमें कमी आई है । शिक्षण की गतिविधियों में गत दो वर्षों से आत्म विश्वास लाया जा रहा है । शिक्षा के समुचित विकास के लिए मैं यह मान कर चलता हूं कि शिक्षा विभाग का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए जो इस सारे आयोजन को चला सके, उसका मार्ग प्रदर्शन कर सके और स्कूलों और कालेजों में सम्यक् प्रेरणा दे सके ।

आज अखिल भारतीय प्रतिनिधि संस्थाओं में हमारे राजस्थान को बहुत कम प्रतिनिधित्व मिलता है । पहले तो बिलकुल ही नहीं था, अब गत दो वर्षों से कुछ मिलता है, वह भी बहुत कम प्रतिनिधित्व मिलता है । इसके लिये प्रयत्न किया जाना चाहिए कि राजस्थान को भी अपना समुचित प्रतिनिधित्व मिले ।

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं एक बहुत बड़ी बात माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सदन के समक्ष रखना चाहता हूं, जो यह है कि हमारे राजस्थान के लोगों का विदेशों में अध्ययन का सिलसिला नहीं है । राजस्थान सरकार इस ओर जागरूक है कि नहीं, इस बारे में मैं नहीं जानता । भारत सरकार के साथ राजस्थान सरकार का अच्छा ताल–मेल हो तो हम समझते हैं कि राजस्थान के अच्छे अच्छे विद्यार्थियों, जहीन और अच्छे कर्मचारियों को बाहर विदेशों में अध्ययन और अनुभव के लिये भेजा जा सकता है । इसके सम्बन्ध में कोई सम्यक् नीति सरकार की हमारे सामने आई हो, ऐसा मेरे ध्यान में नहीं है । सरकार को इस ओर प्रयास करने की आवश्यकता है ।

अन्त में मैं सहकारिता की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । श्रीमान्

(श्री जनार्दनराय नागर)

राज्यपाल के अभिभाषण में इसका कोई संकेत नहीं मिला । इस दृष्टि से यह अभिभाषण विचार न करने वाला, एक चुप रहने वाला भाषण ही कहा जायगा । कहां तो हमें सहकारिता आन्दोलन के बारे में अधिक आशाजनक सूचनाएं मिलनी चाहिये थीं, जिससे सहकारिता और आन्दोलन की अधिक प्रगति के बारे में हम राजस्थान सरकार को बधाई दे पाते । सहकारिता की प्रवृत्ति जनता में अब घर करपाई है किंतु समितियों को बहुत देर देर सेक र्जा मिलता है, कर्जा बहुत मुश्किल से मिलता है, लोगों को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं और इन मुश्किलों के कारण समितियां ठप्प होकर बैठ जाती हैं । आज राजस्थान में सहकारी समितियां बढ़ रही हैं, पंचायतों के निर्माण और सहकारिता समितियों के निर्माण के लिए गांवों में जनता मांग करती है । इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पिछले अनुभवों की बुनियाद पर जो जो कठिनाइयां, जो जो मुश्किलें सहकारी समितियों को आती हैं उन्हें ध्यान में रखकर सहकारिता की सरकारी नीति में सुधार की कोशिश करें तो हमें काफी आशाजनक सहकारिता के विकास का क्षेत्र मिलेगा ।

अंत में मैं एक विशेष बात की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं और वह यह है कि जहां शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण मामलों की तरफ श्री राज्यपाल महोदय का संकेत है, वहां दूसरी तरफ हमारी उद्योग नीति के मामले में भी कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख और संकेत है । हां, यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक नीति का अखिल भारतीय स्तर पर निर्माण किया जा सकता है । मैं मानता हूं कि यह एक बहुत अच्छी बात होगी । यदि राजस्थान में औद्योगिक नीति का अखिल भारतीय स्तर पर निर्माण हो, मगर ऐसा मुझे संभव मालूम नहीं होता । मैं यह मानता हूं कि हमारे राज्य सरकार की औद्योगिक प्रयत्नों में प्रोत्साहन देने की स्पष्ट नीति का उल्लेख होना बहुत आवश्यक है । यदि राजस्थान सरकार अपनी स्पष्ट नीति बतला कर काफी लोगों को इसमें प्रोत्साहन देगी तो काफी लोग इस ओर आकर्षित होंगे और सरकार उनके धन को औद्योगिक कार्यों में प्राप्त कर सकेगी ।

अन्त में मैं श्री राज्यपाल महोदय के भाषण के बारे में धन्यवाद देने के लिए भी जो प्रस्तावक है उनमें मैं भी प्रस्तावक महोदय के स्वर के साथ अपना स्वर मिलाता हूं और कहना चाहता हूँ कि राज्यपाल महोदय ने समाजवादी व्यवस्था की ओर आगे बढ़ने के लिए जो बातें कहीं, उससे तो पूर्णतया सहमत होना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि अधिक उत्पादन, अमीर और गरीब का भेद अभी कम करने का फार्मूला जो उन्होंने दिया वह आधारभूत नहीं हो सकता, व्यवहारिक दृष्टि से यह ठीक हो सकता है लेकिन जो समाजवाद की सम्पूर्ण नीति है उसकी दृष्टि से यह अपर्याप्त है ।

(घंटी)

फिर भी मैं समझता हूँ कि यह संकेत अच्छा संकेत है । पिछले पांच वर्षों में हमने गणतंत्रीय राज्य विकास के लिए संघर्ष किया है । हम इस संकेत को अच्छा समझते हैं और इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने का प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं ।

१२.१२ म. प.

श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा) :

अध्यक्ष महोदय, दिनांक २५. ४. ५७ को राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ और उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव जो सदन के समक्ष रखा गया है, मुझे दुःख है कि मैं इस प्रस्ताव में प्रस्तावक महोदय के स्वरों के साथ अपना स्वर नहीं मिलाते हुए उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यद्यपि कहा यह जाता है कि हम सबको मिल कर धन्यवाद के प्रस्ताव को पारित करना चाहिये लेकिन मुझे दुःख है, यह कहते हुए कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में केवल ऊपर ऊपर की बातों पर ही ध्यान दिया है और उस राजस्थान के जन-समुद्र के अन्दर गहराई में जाने की कोशिश नहीं की है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय सदस्यों का ध्यान, आपके द्वारा कोटा जिले की ओर आकर्षित करना चाहूं तो आपको प्रतीत होगा कि आज कोटा जिले की ओर किसी का ध्यान नहीं गया है और किसी ने ध्यान नहीं दिया है। जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं और जिसके अन्दर शाहबाद एक ऐसा जिला है जिसको कोटा का कालापानी कहते हैं और जहां की पब्लिक अत्यन्त पिछड़ी हुई है उसके प्रति श्रीमान् का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि डाकुओं की समस्या का अन्त हो गया, लूट की समस्या और डकैतों का सफाया हो गया है, लेकिन मैं आपका ध्यान उस क्षेत्र के बाबत बताऊंगा कि उसी शाहबाद के भीषण जंगलों में अभी भी अमृतलाल की याद से, आज भी देवली के सेठ की हुई घटनायें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि डाकुओं का आतंक अभी समाप्त नहीं हुआ। मांगरोल तहसील में रायथल के सेठ के यहां जो डकैती हुई वह कह रही है कि अभी तक डाकुओं का आतंक है। शाहबाद तहसील कोटा में ही है। वहां की डकैतियां कह रही हैं कि अभी डकैतियां कम नहीं हुई। हो सकता है कि यह कह दिया जावे कि हमने डाकुओं को समाप्त कर दिया है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोटा जिले में तो गत वर्ष की अपेक्षा डकैतियां बढ़ी हैं, मौत की घटनाएँ बढ़ी हैं। इस लिए मैं सदन का ध्यान और समस्त माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि केवल यह कह कर कि हमने चोरों का सफाया कर दिया है और चोरियें और डकैतियां अब खत्म हो गई हैं; हाथ पर हाथ धर कर बैठने की आवश्यकता नहीं है, यदि कहीं भी कोई डकैत होते हैं और डाकुओं का आतंक होता है तो पूर्ण रूप से अधिकारियों को चैन नहीं लेना चाहिये।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, याद दिलाना चाहता हूँ कि चुनावों के दौरान में, मैं शाहबाद क्षेत्र में गया। जहां भी मैं गया वहां तहसील के लोग कहते हैं कि रात के समय मत जाओ। रात को कोई नहीं जाता था। वहां अमृतलाल का आतंक इतना छाया हुआ है। यदि राजस्थान की सरकार अमृतलाल को अभी तक नहीं दबा सकी तो राजस्थान की सरकार ने अभी तक जो कुछ किया है बहुत कम किया है।

इसके अतिरिक्त राज्यपाल ने चंबल की योजना के विकास पर प्रकाश डाला है। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चंबल योजना जिस प्रगति के साथ चलनी चाहिए थी वह नहीं चल रही है। आज उसका कारण क्या है? उन कारणों को मैं आपके

Page No.21

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सामने संक्षेप में रखना चाहता हूं। वहां पर मजदूरों और इंजीनियरों में आपस में झगड़ा चल रहा है। मजदूरों में जो मतभेद चल रहा है वह यह कि इंजीनियर चाहते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों को ठेका दिया जावे ताकि उनका कुछ भला हो सके और इसी कारण वे वहां के भारतसेवक समाज, चम्बल समिति जो है उसको ठेका नहीं देते हैं। इस बात पर परस्पर झगड़ा चल रहा है। इसी कारण से वहां पर काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है और जो चम्बल योजना सन् १९५८ में समाप्त होने वाली थी आ। उसको, मैंने सुना है कि, उसको आगे बढ़ा दिया गया है और मैं समझता हूं कि जितनी अवधि आगे बढ़ाई गई है उसमें भी यह काम पूरा नहीं कर सकेंगे।

आज कोटा की स्थिति आप सब जानते हैं। कोटा में होस्पिटल बन रहा है, उसमें १२३ बिस्तरों का इन्तजाम है लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि यह कोटा की बढ़ती हुई आबादी के अनुपात से कम है और हमें दुःख है कि हमारे राजस्थान सरकार की कोटा के प्रति जो उपेक्षा की नीति चली आ रही है वह विचारणीय है। आज होस्पिटल बन रहा है, जिसको बनाने के लिये महाराजा श्री भीमसिंहजी ने ७ लाख रुपया दिया था, उसमें से भी पूरा खर्च नहीं हो पाया है, करीब पांच लाख रुपया खर्च हुआ है। कोटा के होस्पिटल के काम को इस प्रकार से धीमे चलाना शोभा की बात नहीं है। कोटा को देखते हुए यह संभव था कि किसी प्लानिंग के द्वारा या मास्टर प्लानिंग बनाया जाता और उस प्लानिंग के अनुसार कोटा को बसाया जाता। आज हम देखते हैं कि कोटा की गलियें अंधकार से भरी हुई हैं। आज से १० वर्ष पहले वहां पर जब उम्मेदसिंहजी और भीमसिंहजी का शासन था और मैं कोटा गांव से, आया था तो वहां पर पानी की कमी नहीं थी, रात भर बत्तियें जलती रहती थीं। लेकिन दो-चार वर्षों से मैं यह देख रहा हूँ कि नलों में पानी नहीं आता और पॉवर हाउस का काम जन-संख्या के साथ संतोषजनक तौर पर नहीं चल रहा है। वाटर वर्क्स बनाया गया है लेकिन अभी तक उसी रफ्तार से काम चल रहा है। गुमानपुरा वार्ड, नयापुरा और स्टेशन वार्ड में नीचे की मंजिल में पानी नहीं आता है। अब बिजली की व्यवस्था के बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले कोटा में रात भर बिजलियें जला करती थीं लेकिन आज अंधेरा देख कर दुःख होता है। हम विचार कर रहे थे कि राज्यशाही से मुक्ति पाकर स्वतन्त्रता का अनुभव कर सकेंगे, हमारे कोटा के विकास का कोई साधन जुट जावेगा लेकिन मुझे दुःख है कि इस कोटा में गलियें सड़ रही हैं आम बाजारों में अंधेरा रहता है। पॉवर हाउस की मशीन खत्म हो चुकी है और उसके लिये काफी लिखा-पढ़ी चल रही है लेकिन फिर भी सम्बन्धित अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं कोटा में पहले की सड़कें हैं उनकी ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोटा से इटावा तक जो सड़क बन रही है उसका ठेका पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आज से कई वर्ष पहले दिया जा चुका था। मैं, माननीय-अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि कोटा का वह इलाका जो इटावा की ओर जाता है राजस्थान के अन्न का भंडार कहा जा सकता है, सबसे अधिक अनाज राजस्थान में इसी इलाके में पैदा होता है लेकिन उस अनाज को बाजार तक लाने के लिए रास्तों का अभाव है, वहां कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जिससे कि वह अनाज शहर तक लाया

Page No.22

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जा सके, ऐसी कोई उपयोगी सड़क ही नहीं है। खास तौर से बरसात के समय में तो वहां बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जो सड़क कोटा से इटावा को बनाई जाने को थी वह पूरी नहीं हो रही है। मैं शाहबाद तहसील का और जहां से चुन कर आया हूं वहां का जिक्र करता हूँ। शाहबाद से थाना जाते समय सड़क का ठेका दिया जा चुका है लेकिन वह सड़क अभी तक पूरी नहीं बन पाई है। उससे जनता को वास्तव में परेशानी है। मैं उस क्षेत्र की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में, जहां से कि मैं चुनकर आया हूँ कोई हाई स्कूल नहीं है। सारी तहसील के अन्दर करीब चार-पांच ही मिडिल स्कूल हैं। इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और रख देना चाहता हूं और वह है वहां के लोगों की भावना। वह इलाका राजस्थान के एक कोने में पड़ता है और वहाँ के लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि हम मध्य प्रदेश सरकार से अधिक नजदीक हैं और राजस्थान से बहुत दूर हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम राजस्थान के कोने में पड़े हुए हैं, तो राजस्थान सरकार हम से मुंह मोड़ रही है। जब मैं वहां गया और लोगों में इस प्रकार की भावना देखी तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं आपकी आवाज को राजस्थान सरकार के सामने रखूंगा। तो आज मैं श्रीमान् के सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि शाहबाद तहसील के अन्दर एक हाईस्कूल की बहुत बड़ी आवश्यकता है, किशनगज तहसील के अन्दर जल का बहुत अधिक तोड़ा है, वहां पास ही एक बांध था जो टूट चुका है और जो नहर थी वह भी टूट चुकी है। आजकल गर्मी के मौसम में वहां के जानवर भी पानी के अभाव में प्यासे मर रहे हैं। वहां जल की कोई व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं श्रीमान्, मैं मेरे ही क्षेत्र की एक तहसील छीपा बड़ौद का जिक्र करता हूँ कि वहां के एक धनीमानी सेठ ने स्कूल बनवाने के लिए एक बिल्डिंग जिसकी कि लागत तीस हजार रुपये के करीब होगी, उसको विकसित करने के लिए कुछ हजार रुपये मांगे थे; मगर उसके लिए अभी तक कोई रकम नहीं मिल पाई है। यह वास्तव में बड़े ही दुःख की बात है कि जनता की ओर से भी अनुदान की हुई चीजों का भी सरकार सदुपयोग नहीं करती है। हमारी राजस्थान सरकार जब कि यह चाहती है कि यहां के लोग अधिक से अधिक शिक्षित बनें, जो निरक्षर लोग हैं साक्षर बनें, इस तरह की योजना लाने वाली हमारी सरकार के सामने इस प्रकार की चीजों का न करना और जनता द्वारा दिये गये अनुदानों का उपयोग न करना एक बहुत बड़ा कलंक है। मैं, यही नहीं, इसका एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां एक प्रसूति गृह का निर्माण किया गया था लेकिन आज वहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग तो बन कर खड़ी हो चुकी है लेकिन उसके अन्दर कार्य करने वाले व्यक्तियों का अभाव है। वहां पर बोर्डिंग हाउस का निर्माण चल रहा है। वहां के एक धनीमानी सेठ ने अपने पौत्र के जन्म दिवस के उपलक्ष में एक बिल्डिंग दे दी है। मैं सरकार के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि वह कम से कम जनता को पहचाने और जनता के जो काम करने वाले हैं उनमें सरकार को अधिक से अधिक सहयोग देना चाहिये। लेकिन मुझे देख कर दुःख होता है कि सरकार इस तरह की चीज को जो कि जनता द्वारा की जाती है और जनता द्वारा अनुदान की जाती है ठुकरादी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जाती है। एक तहसील वहां पर माननीय अध्यक्ष महोदय, छाबड़ा है। मैं जब अभी पिछली बार चुनावों के समय गया तो मैंने देखा कि उस नवाबीकाल के अन्दर जहां टोंक के नवाब राज्य किया करते थे, मुझे चार नदियां पार करनी पड़ीं और इन चारों नदियों की धरातल से गुजरना पड़ा। उस समय जिस समय कि मैं गया था वह चुनाव के दिन थे और सर्दी का मौसम था। इन नदियों में पानी कम था लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब बरसात का मौसम आ जायगा तो वहां कैसे जाया जा सकेगा? पहले जब कि नवाबी राज्य था तो लोग उनके राज्य में रोया करते थे, लेकिन आज जब कि हमारी सरकार है, लोग आठ आठ आंसू रो रहे हैं। आजादी प्राप्त होने के बावजूद भी इस इलाके में कोई सड़क आदि अथवा पुलों आदि का निर्माण नहीं हो पाया है।

अभी कोटा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एक ब्लॉक की इजाजत हुई थी लेकिन मुझे अभी यह जानकर दुख हुआ है कि उसमें अब ब्लॉक नहीं खोला जा रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि छाबड़ा का इलाका जो कि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है वहां पर एक ब्लॉक डिवीजन की अत्यन्त आवश्यकता है। यही नहीं, श्रीमान् मैं आपके सामने वहां जो दुर्व्यवस्था हो रही है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज हम अगर कोटा की ओर नजर करके देखें तो हमें मालूम होगा कि कोटा की आबादी बढ़ती जा रही है और इस कारण वहां पर लड़कियों के लिए एक विद्यालय की आवश्यकता है। वहां पर एक ग्रेजुएट कॉलेज होना चाहिए और वहां की महारानी साहिबा ने कालेज बिल्डिंग बनाने के लिए सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है लेकिन मुझे कहते हुए दुःख है कि हमारी सरकार इस प्रकार के अनुदानों का लाभ उठाना नहीं चाहती और वहाँ की शिकायतों की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहती।

इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के विषय में कहना चाहता हूँ और खास तौर से उसके अधिकारों के बारे में कहना चाहता हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है कि पंचायतों को अधिकार दिया जाना चाहिए लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि वहां पर जो पंचायतें चल रही हैं उनका हाल मुझे मालूम है और जैसा मेरे पहले इस विषय पर बोल चुके हैं कि पंचायतों के अन्दर झगड़े बढ़ रहे हैं; आज हमें पंचायतों की वृद्धि के साथ ही साथ जो चुनाव होते हैं वहां गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होना चाहिए, जिससे परस्पर जो द्वेष बढ़ता जा रहा है वह कम हो जाये। मैं सदन के सामने इस बात का सुझाव देता हूँ कि पचायतों के अन्दर गुप्त चुनाव की प्रणाली होनी चाहिए। गुप्त चुनाव प्रणाली न होने से गांव वालों के अन्दर द्वेष बढ़ता है। यह जो आपस में लड़ने झगड़ने की बात है इसको रोकने का कोई साधन नहीं है सिवाय इसके कि पंचायतों के गुप्त चुनाव हों। खास तौर से गांव की जनता इतनी साक्षर नहीं है कि वहां खुले चुनाव करवाये जायें, वहां तो गुप्त मतदान ही होने चाहिए। हम इस बात को रोक नहीं सकते कि पार्टीबाजी के आधार पर चुनाव न हों। हर एक पार्टी चाहती है कि उसका विकास हो लेकिन जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि पार्टियों के आधार पर चुनाव न

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हाँ, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि पार्टी-बाजी के आधार पर चुनाव नहीं होने चाहिये, लेकिन हम इससे मुक्त नहीं हो सकते। आज के इस बढ़ते हुए पार्टी के युग में हम इस चीज को नहीं रोक सकते। इसका तो एक ही इलाज हो सकता है कि वहां पर गुप्त मतदान करायें, इसी से वहां के द्वेषों को हम हटा सकते हैं। गुप्त मतदान प्रणाली ही इसका केवल मात्र एक समाधान है। इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान पंचायतों की ओर दिलाना चाहता हूं और वह भी उन पंचायतों की ओर जो कि तहसील सेन्टरके अन्दर बनी हुई हैं और उनको किसी प्रकार का दान या सहयोग यहां से, केन्द्र की ओर से, राज्य की ओर से नहीं मिलता है। एक ओर तो हम देखते हैं कि कुछ तहसील सेन्टरों के ऊपर नगर-पालिकाओं का निर्माण हो चुका है तथा कुछ पर नगर-पालिकाओं का निर्माण न होने के कारण वहां की पंचायतों को सहायता नहीं मिल पाती है। आप विचार कीजिए कि उन बड़े बड़े कस्बों में जहां कि पंचायतें चल रही हैं उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है, वहां कस्बों में सफाई आदि का क्या प्रबन्ध हो सकता है? मैंने देखा है कि जहां की आबादी ज्यादा है और जिस आबादी के ऊपर नगर-पालिका बन सकती है नहीं बनाई जाती है। छीपा बडौद इतना बड़ा इलाका है जिसकी कि आबादी बहुत अधिक है लेकिन वहां कोई नगरपालिका स्थापित नहीं की गई। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बड़े कस्बे हैं और जिनकी आबादी ज्यादा है वहां पर नगर-पालिकायें स्थापित की जायें। इसके साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि नगरपालिकाओं और पचायतों को सहायता देने का कोई मापदण्ड भी निर्धारित कर लिया जाय। एक ओर तो हम नगरपालिकाओं को सहायता देते हैं और केवल उन नगरपालिकाओं को, जहां कि आबादी बहुत थोड़ी है और उन पंचायतों को हम कोई सहायता नहीं देते हैं, जहां कि आबादी अधिक है। अभी सरकार रुपये पर दो पैसा लगान में से पंचायतों को देना चाहती है, यदि कहीं चुनाव निर्विरोध हो, यह तो मैं आपको बता दूं कि नहीं देने के कई बहाने हैं। यदि देना ही है तो किसी प्रकार की पाबन्दी या कन्डीशन नहीं होनी चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि जनतंत्र में हमारा शासन नीचे से चले, हमारी जो प्राथमिक इकाइयां, जो पंचायतें हैं उनका पूर्ण विकास हो, पंचायतों को आत्म-निर्भर होने के लिए आज बहुत बड़े अनुदान की आवश्यकता है। इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष, मैं आपका ध्यान ईसाई मिशनरीज़ की जो गतिविधियाँ हमारे कोटा क्षेत्र में चल रही हैं उस ओर आकर्षित किये बिना नहीं रह सकता। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में इसका कुछ भी उल्लेख नहीं किया। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ईसाई मिशनरीज़ की गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही हैं। उस सम्बन्धी एक परिपत्र इसी सदन में दिसम्बर सन् १९५६ में एक माननीय सदस्य द्वारा तत्कालीन विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था जिस पर कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर थे। मुझे दुख है कि उस बात पर कुछ भी गौर नहीं किया गया। जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा अगर कोई परिपत्र सदन में रखा जाता है तो मैं समझता हूं उसका कुछ मूल्य होता है, उसके पीछे बड़ी ठोस भावना होती है, उसका बहुत आदर होता है। मुझे दुख है कि दिसम्बर सन् १९५६ को रखे गये सदस्यों के परिपत्र पर विचार तक नहीं किया गया। इसी सम्बन्ध में

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जो यह कि एक माननीय सदस्य जो पहले संसद के सदस्य थे उन्होंने संसद में इसी प्रकार के विचार उठाये थे और कहा था कि बांसवाड़ा और राजस्थान में ईसाई मिशनरीज़ की जो गति-विधियां हैं उनको रोकने के लिए, जिस प्रकार मध्यप्रदेश सरकार ने एक जांच समिति बिठाई थी उसी प्रकार की जांच समिति यहां भी बनाई जाय। मेरा उन माननीय सदस्य से निवेदन है, वे यहां विराजमान हैं और उनके हाथ में इस समस्या को हल करवाने की ताकत भी है, इसलिये मैं आज उनसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान में बढ़ती हुई ईसाई मिशनरीज़ की गति-विधियों को रोकने के लिये प्रयास करें। अध्यक्ष महोदय, इसी विषय में मैं नियोगी कमेटी की रिपोर्ट की ओर भी सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जितनी भी शिक्षण संस्थायें ईसाई मिशनरीज़ द्वारा चलाई जाती हैं उनके अन्दर जो पढ़ाई होती है उसमें यूरोप के प्रति, लन्दन के प्रति और ब्रिटिश सत्ता के प्रति स्वामिभक्ति का दिग्दर्शन होता है, जो शिक्षा हमारे छात्रों को हमारे देश के प्रति स्वामिभक्ति रखने से दूर ले जाती है। आज ये शिक्षण संस्थायें हमारे छात्रों को विदेशी राज्य के प्रति स्वामिभक्ति प्रदर्शित करने की शिक्षा देती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी शिक्षण संस्थायें जो विदेशी पादरियों द्वारा चलाई जाती हैं उनको शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लेकर उनके नियम और उपनियमों के अन्तर्गत उनका संचालन किया जाय और उनमें देखा जाय कि उनमें भारतीय वातावरण के अनुसार शिक्षा दी जाती है या नहीं, उनमें भारतीय संस्कृति, आदर्श और मर्यादाओं का शिक्षण होता है या नहीं? देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद हमारा यह परम कर्तव्य कि जो दूषित मनोवृत्ति लेकर ये पादरी लोग शिक्षण संस्थायें चला रहे हैं उन पर अंकुश रखा जाय। यह आवाज केवल जनसंघ ने ही उठाई हो, यह बात नहीं किन्तु मध्यप्रदेश के कई कांग्रेसी सज्जनों ने भी यह आवाज उठाई है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से जोरदार अपील करूंगा कि हमें मिशनरीज़ की इन शिक्षण संस्थाओं को निरुत्साहित करना चाहिये। मुझे इसके साथ साथ यह कहते हुये भी दुख होता है कि उच्चतम अधिकारी ऐसी शिक्षण संस्थाओं में जाते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं। यह एक अत्यन्त विचारणीय विषय है कि जहाँ उच्च अधिकारी जाते हैं इससे उन, संस्थाओं का महत्व बढ़ता है। यह प्रवृत्ति घातक है। इससे यह प्रतीत होता है कि वे अधिकारी विदेशियों का प्रभाव स्थापित करने में योग देना चाहते हैं। मैं अधिकारियों से यह निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में न जायें।

इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, आधुनिक शिक्षा पद्धति के बारे में जिक्र किये बिना नहीं रह सकता। इस बारे में मेरे पूर्व वक्ता उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी प्रकाश डाल दिया है। मैं भी इस बारे में यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज की शिक्षा प्रणाली में हमें आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। शिक्षा पद्धति के लिये जैसा कि मैंने पहले कहा हमारे भारतीय वातावरण, आदर्श और संस्कृति का समावेश होना चाहिये। आज हम देखते हैं कि कालेजों से निकले हुए हमारे छात्र बाबुगिरी की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, उनको

(श्री दयाकृष्ण विजय)

किसी प्रकार की टेक्निकल नॉलेज नहीं रहती। वे किसानी करने योग्य नहीं, शिल्पी करने योग्य नहीं, दस्तकारी करने योग्य नहीं; हर आदमी नौकरी चाहता है। यही कारण है कि हमारे देश में बेरोजगारी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। अगर हमने शिक्षण संस्थाओं में टेक्निकल शिक्षा की व्यवस्था नहीं रखी तो यह बेरोजगारी दिन प्रति दिन बढ़ती ही जायगी, वे आदमी गांवों तक नहीं पहुँच सकेंगे और खेती करने योग्य नहीं रहेंगे। अगर हम टेकनिकल शिक्षा का प्रबन्ध कर देते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम बेरोजगारी को काफी हद तक दूर कर पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में मैं जयपुर का उदाहरण आपके सामने रखूंगा। यहां पर आर्ट, पेन्ट्स संगीत आदि सिखाने का एक विद्यालय राजा रामसिंहजी के समय से चला आ रहा है। यहां के बने हुये चीनी के बर्तन आदि विदेशों में भेजे जाते थे। मुझे पता चला है, आज इस संबन्धी विभाग इस बारे में उदासीन है। वहां पर लड़कों की संख्या भी कम है। जो पहले छात्रवृत्ति सरकार की ओर से दी जाती थी वह भी या तो आजकल नहीं दी जा रही है या कम कर दी गई है। मैं तो यही कहूँगा कि इस प्रकार की संस्थाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब तक हम ऐसी शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक ये बाबू लोग शिक्षण संस्थाओं से निकलते रहेंगे।

अब अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान साहित्यिक समाज की ओर भी दिलाना चाहता हूं। आज राजस्थान का साहित्यकार अन्य प्रान्तों से बहुत पिछड़ा हुआ है। उनके विकास के लिए, मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, इन नवोदित साहित्यकों के विकास के लिए। हम देखते हैं कि अन्य प्रदेशों में साहित्यकारों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों पर पुरस्कार दिया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है, रेडियो स्टेशन्स पर सुविधायें दी जाती हैं। यह मैं जानता हूं कि रेडियो विभाग हमारी सरकार के आधीन नहीं है, फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं ताकि यहां के राजस्थान के साहित्यकारों को स्थान मिले, साहित्य का प्रकाशन हो और राजस्थान सरकार साहित्यकों के विकास के लिए संस्थायें स्थापित करे। आज हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार साहित्यकों के विकास के लिए बहुत कम कार्य कर रही है; राजस्थान के साहित्यकारों को ऊंचा उठाना एक बहुत बड़ा ध्येय है। इसलिए मेरा निवेदन है कि साहित्यकारों के एक सगठन का निर्माण किया जाय, नवोदित साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया जाय और उनके साहित्य पर पुरस्कार दिया जाय।

इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित कर देना चाहता हूं कि आज के साहित्यकार की परिस्थितियां क्या हैं? उनकी आर्थिक अवस्था इतनी गिरी हुई है कि जो व्यक्ति साहित्य की रचना की ओर लग जाता है वह अपने जीवन-यापन के साधनों से वंचित हो जाता है। जब तक सरकार उनसे सहयोग नहीं करेगी राजस्थान के साहित्यकार की आर्थिक अव्यवस्था, जो गिरी हुई है, वह ठीक नहीं हो सकेगी। यह कार्य केवल एक सांस्कृतिक अधिकारी के नियुक्त करने से पूर्ण नहीं हो जाता।

इसके अतिरिक्त मैं संस्कृत भाषा के बारे में कहे बिना नहीं रह सकता। हमारी सरकार का ध्यान संस्कृत शिक्षण की ओर कतई नहीं

(श्री दयाकृष्ण विजय)

है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि संस्कृत भाषा के विकास के साथ हमारी प्राचीन संस्कृति, आदर्श व मर्यादायें भी जुड़ी हुई हैं। हमें चाहिये कि संस्कृत के विकास के लिये जितनी भी संस्कृत के शिक्षण की संस्थायें हैं उनको प्रोत्साहन दें।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दी के विषय में कहना चाहूंगा। मैं एक पुरानी रियासत का रहने वाला हूं जहां पर सारा कार्य हिन्दी में हुआ करता था। हालांकि मैं राजाओं की सत्ता का विरोधी रहा हूं फिर भी मुझे यह बात कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि कई राजा लोग हमारे यहां राज्य-पद्धति के अनुसरण के लिये हमारी स्टेट में आया करते थे। वहां का सारा राज-काज हिन्दी में हुआ करता था। आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए दस साल होने आये लेकिन हमारे यहां हम देखते हैं कि अंग्रेजी का मोह दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। आज छोटा सा परिपत्र भी जो पटवारी के पास जाता है अंग्रेजी भाषा में होता है। एक नाकेदार को कोई आज्ञा जाती है तो वह अंग्रेजी भाषा में। मुझे मेरी कॉन्स्टीच्युएन्सी का अनुभव है, छोटे कर्मचारियों के साथ मेरे सम्बन्ध हमेशा से रहे हैं, कई पटवारियों को अंग्रेजी समझने में दिक्कत होती थी; वे मुझसे पूछा करते थे। इसको देखते हुए आज हम देख रहे हैं कि हर एक तहसील में एक अंग्रेजी जानने वाला क्लर्क रखा जा रहा है। कुछ वर्ष पहले जब हमारा देश आजाद नही हुआ था, वहां इस प्रकार अंग्रेजी क्लर्क रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज हमारा दुर्भाग्य है कि आजाद होने के बाद भी तहसीलों में अंग्रेजी क्लर्क रखने की आवश्यकता पड़ी। आज यह अंग्रेजी का मोह हमारी गुलामी का परिचायक है, हमें इसे दूर करना चाहिये और १९६५ तक हम सोचते हैं कि हमारा कार्य, राज कार्य पूरी तौर से हिन्दी में होने लग जायगा; मुझे इस बात का भी दुःख है कि हमारे यहां से भी जो विज्ञप्तियां निकलती हैं वे भी अंग्रेजी में होती है।

(स्लिपें हाथ से अध्यक्ष को बताते हुए)

Members of the Legislative Asse-
"mbly..................................."

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य अपना भाषण शीघ्र ही समाप्त कर दें।

श्री दयाकृष्ण: (जारी) मैं जल्दी ही खत्म करता हूँ। यह हिन्दी में भी लिखा जा सकता था। पर अंग्रेजी में लिखा है। राज्यपाल महोदय के निमन्त्रण आते हैं वे भी अंग्रेजी में आते हैं, हालांकि उनके हिन्दी में आ सकने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिन्दी के प्रति जो आज के शासन का रवैया है उसका मैं माननीय सदस्यों के सामने भंडाफोड़ कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जब सरकार हिन्दी के प्रति अपने कर्तव्य की बात करती है तो फिर यहां पर हिन्दी में ही कार्य होने चाहिये। मैं समझता हूं, यहां हिन्दी में समझने वाले ही ज्यादा बैठे हैं। जो कोई अंग्रेजी में भाषण करते भी हैं तो अधिकांश सदस्य उनको नहीं समझते होंगे। अन्त में मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे और आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि काम हिन्दी में अधिक से अधिक किया जावे।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक २५ को जो राज्य-

(श्री मदनसिंह)

पाल महोदय का अभिभाषण हुआ उसमें आज तक के राजस्थान सरकार के किये गये कार्यों की भूरि भूरि प्रशंसा हुई और उस प्रशंसा के साथ साथ आइन्दा जो राजस्थान सरकार कार्य करने वाली है उसके लिये राज्यपाल महोदय ने दिग्दर्शन कराया और आशीर्वाद भी दिया। मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो कुछ कार्य राजस्थान सरकार ने आज तक किये या आगे करने वाली है उन पर मैं विश्वास नहीं करता और यही कारण है कि माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ। यह विरोध इस लिये नहीं करता कि मैं एक विरोधी दल से चुना हुआ आया हूं। पर इसके पीछे एक वास्तविकता है, सच्चाई है। इस प्रकार अगर धन्यवाद की यह ढाल ओढ़–ओढ़कर आगे भी यह सरकार इसी तरहसे कार्य करती रही तो राजस्थान का या राजस्थान की जनता का भला होनेवाला नहीं है, कारण कि ऐसी ही अवास्तविक धन्यवाद की अगर पद्धति पड़ गई तो यह घातक ही नहीं बल्कि आज तक जो हमारे राष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं ने जो आजादी के लिये बलिदान किया है उस पर भी और उनके कार्यों पर भी पानी फेरने वाली है। यह मैं आपको बतलाऊंगा, समझाऊंगा कि किस किस तरह से आजादी के लिये जिन महान् नेताओं, महात्मा गांधी जैसे व्यक्तियों ने और दूसरे बड़े २ नेताओं ने जो बलिदान किये हैं उन पर किस तरह इन धन्यवाद के प्रस्तावों से पानी फिरता है। यह आजादी इसलिये नहीं ली गई थी कि बड़ी बड़ी लम्बी चौड़ी सड़कें बनाई जावेंगी, बड़े बड़े तालाब और नहरें खुदवाये जावेंगे। क्या उसके पीछे यही लक्ष्य था? क्या इसके पीछे यह लक्ष्य था कि बड़ी बड़ी पंचवर्षीय योजना बनाई जावेंगी? अगर पूर्ण रूप से यही लक्ष्य था आजादी का तो मैं समझता हूँ कि यह उनके किये कराये पर पानी फेरने वाला है। अगर यह प्रश्न किया जावे कि जितने भी राजस्थान में या देश में कार्य हुये वे आज भी विदेशियों द्वारा काम हो जाते हैं तो क्या सदस्यगण को तसल्ली होगी कि वे विदेशी वापिस आकर राज्य करें? मेरी मान्यता है कभी नहीं। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि आखिर जो कुछ आज तक कार्य हुये और जो कुछ उनके बारे में राज्यपाल महोदय के भाषण में कहा गया और जो आगे होने वाले हैं उन सबको अगर सम्पूर्ण रूप से राजस्थान में करना चाहते हैं तो उस पर धन्यवाद दिया जावे और अगर ऐसे कामों पर धन्यवाद नहीं दिया जावेगा तो स्पष्ट लागू होता है कि आज तक जो कार्य हुए, जिस लक्ष्य से आजादी ली गई थी उस आजादी का पूरा कार्य नहीं हुआ और मैं तो इसलिये भी विरोध करता हूं कि जहाँ से मैं वोट लेकर आया हूँ, जिस जनता ने मुझे वोट दिया है, इसके विरोध में दिया है कि आज तक जो कुछ भी कार्य हुए, जिनके बारे में विश्वास दिलाया गया वे पूर्ण रूप से सरकार द्वारा नहीं हुए और इसी कारण से आज हम देखते हैं कि इतनी बड़ी महान् संस्था का विरोध जगह जगह हो रहा है। इसलिये मैं आपसे कुछ और निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह धन्यवाद का प्रस्ताव तो ऐसा है जैसा कि मारवाड़ी में कहावत है "बिल्ली नाची और चूहों ने तालियाँ बजाईं।" हमने ही कार्य किया और हम ही प्रशंसा कर रहे हैं। अगर ऐसे कार्यों के लिये ही धन्यवाद दिया जावेगा तब तो और महान् जो कार्य होंगे उनके लिये फिर क्या दिया जावेगा, यह मैं पूछना चाहता हूँ?

(श्री मदनसिंह)

दूसरी बात यह है कि कोई भी सरकार क्यों न हो जब तक पाँच—दस कार्य जो सरकारी विभाग के हैं उनको सम्पूर्ण रूप से नहीं कर सकती तब तक जनता का सहयोग वह प्राप्त नहीं कर सकती। एक कार्य है सरकार का, रक्षा का। अध्यक्ष महोदय, आज तक जो रक्षा का काम हुआ है वह मैं मानता हूँ कई जगह ठीक हुआ है पर सम्पूर्ण रूप से पूरी जनता को इस कार्य से संतोष हो गया है या तसल्ली हो जावेगी, यह चीज मैं नहीं मानता। कारण, जिन जिन डाकुओं ने जनता के साथ अन्याय किया, जनता की जान-माल की हानि की, जनता की नाकें काटीं वैसे डाकुओं के यहां मन्त्री महोदय जाकर अभयदान देते हैं। तो इस पर से क्या मैं यह नहीं सोचूंगा कि इस प्रस्ताव का जो समर्थन करना है वह थोड़ी बहुत डाकुओं के दोस्तों के कार्यों की प्रशंसा करनी है। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन महोदय ने उस डाकू को, जैसलमेर की तरफ वाले को, अभयदान दिया उसने स्वयं उनकी नाक काट ली होती तो क्या वे वहां जाकर इस बात की हिम्मत करते कि अभयदान देते। कभी नहीं जो डाकू बलवन्तसिंह को अभयदान देने गये थे। वे यहां सरकार के बड़े से बड़े मंत्री थे, कांग्रेस के कुछ बहुत बड़े काम करने वाले थे। उन्होंने उसे अभयदान दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर यह भी बता दीजिये कि उनको अभयदान देकर किया क्या? उससे क्या डाकू कम हुए? उस डाकू ने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। तो जहां तक रक्षा से सम्बन्धित कार्य हुए हैं मैं यह कतई नहीं मानता कि यह सरकार के कारण से हुये हैं। मुझे खुद को मालूम है कि इस रक्षा के मामले में भी कितना पक्षपात होता है, इसके उदाहरण मैं दूंगा। जब जब डाकुओं के साथ मुकाबले में विरोधी दल के कोई आदमी आये हैं, जो गैर-कांग्रेसी आये हैं सरकार ने आज तक उनको कोई बढ़ावा नहीं दिया। कम से कम मैंने पांच-छः बार डाकुओं का मुकाबला किया और जो पुलिस नहीं कर सकती थी वह किया। इससे प्रसन्न होने के बजाय हमारे मिनिस्टर लोग उल्टे रुष्ट हुए और यह किया कि यह विरोधी दल का आदमी है। इसको अगर इस मामले में धन्यवाद की एक चिट्ठी भी दे दी तो गजब हो जावेगा क्योंकि यह चुनावों में सारे एरिया में हमें खतम कर देगा।

(अश्रव्य)

मैंने आठ डाकुओं पर हमला किया, चार घन्टे तक लगातार मुकाबला हुआ। यह पहला किस्सा हुआ जब कि पुलिस की हिम्मत नहीं थी। अचानक जाकर हमला किया था। आठ ऊँट मारे गये थे, ४५ हजार का माल लूट लिया गया था। पर हमने उन्हें भगा दिया। अब इसका श्रेय हमें कहीं न मिल जावे, इसके लिए क्या करते हैं कि, उनका अर्थात् पुलिस वालों का कोई चार गैलन का एक ढोल गुम हो गया, उसी का बहाना लेकर पुलिस वालों ने कोई बीस कागज भेजे कि वह हमारा चार गैलन का ढोल वापिस दिया जावे। मैं इसी सिलसिले में यह निवेदन कर दूं, केवल इशारा मात्र कर देता हूं, किसी का नाम-धाम नहीं लूंगा, उसी क्षेत्र में डाकुओं आदि से मुकाबला करने के नाम पर औरों को राइफलें आदि इनाम में मिलती हैं। अभी अभी बड़े बड़े डाकुओं को इशारे से मिला लिया और इसका श्रेय इस तरह से लेते रहते हैं। तो यह पक्षपात होता है,

(श्री मदनसिंह)

इन कामों के लिए धन्यवाद लेना चाहते हैं। यह ढाल ओढ़ना चाहते हैं कि इसके सहारे से आगे तक वैसे ही काम होते रहें। तो इस धन्यवाद का मतलब यह है कि जो कुछ न्याय-अन्याय हुआ वह ठीक हुआ। यह ढाल सबके जरिये मिल जावेगी। सब के द्वारा एक सर्टिफिकेट मिल जावे और फिर निश्चिन्त होकर काम करते रहें। ऐसे प्रस्ताव अगर यहां पास होते हैं तो इसका मतलब अन्याय को प्रश्रय देना होगा, अन्याय कभी दूर नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि हमारे महान् नेताओं ने जो काम बताये अगर वे होते तो हम समझते कि कुछ धन्यवाद देने लायक काम हुआ है। आज यदि महात्मा गांधी और सुभाष विराजते तो ऐसे कामों के लिए धन्यवाद का प्रस्ताव रखने की हिम्मत उनको नहीं होती, जो चोर-डाकुओं से रक्षा नहीं कर सके। इसलिए यह विचार करने की जरूरत है कि अगर ऐसे कामों के लिए धन्यवाद होगा तो फिर आगे जो बड़े बड़े काम होंगे उनके लिए (शब्द) कोष में कौनसा शब्द बचेगा।

आपको मालूम है चाणक्य ऋषि तथा केकय नरेश के राज्य के अन्दर जहां काल का नाम नहीं था, जहां ऐसा राज्य था हिन्दुस्तान में कि जहां सोना और चांदी पड़े रहते थे, उस पर कोई मन ही नहीं चलाता था; ऐसे राज्य के लिए क्या प्रस्ताव करें तो ठीक हो सकता है पर आज तो ऐसा राज्य मैं समझता हूं, कोई स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। इसलिये छोटे छोटे कामों के लिये जहां कोई बात पूर्ण हुई नहीं, राज्य का अनुभव नहीं, मैं कहता हूं कि इस प्रकार का धन्यवाद का प्रस्ताव पास करके ढाल रखना चाहते हैं, जो ढाल जनता की आलोचनाओं से बचा सके, कि बड़े काम कर लिये।

तो, हां, मैं रक्षा के लिए कह रहा था। रक्षा नहीं हुई। इसका मोटा कारण है पक्षपात हुआ। जब तक पक्षपात नहीं मिटेगा रक्षा नहीं हो सकेगी। पुलिस की यह हालत है, मैं मेरे डिस्ट्रक्ट की बात कहता हूँ कि जैसे लंका में विभीषण की हालत थी। बड़े २ नेता धमकियां देते हैं कि पुलिस कर्मचारियों को जैसलमेर के टीबे में ट्रांसफर कर देंगे, अगर हमारे केस ठीक नहीं हुए तो। एक मिनिस्टर के अगर चोरी हो जाती है तो पुलिस लगन से देखती है लेकिन जहां मिनिस्टर का प्रश्न नहीं और अगर एक गरीब किसान के घर में चोरी हो जाय उसके लिए वह लगन नहीं, ऐसी बातें होती हैं और फिर भी अगर आप कहते हैं कि समानता है तो यह सब झूठ है, पाखण्ड है। एक मिनिस्टर की मोटर से कोई नीचे आकर मर जाता है तो दिखावे के रूप में दिखावे के रूप में मोटरें दौड़ती हैं और फल कुछ नहीं होता; वैसे हमारे गांव में पन्ना रैगर का लड़का मर जाय तो पुलिस तुरन्त गिरफ्तार करती है। तो क्या यह पाखण्ड नहीं है, असमानता नहीं है। अतः मैं कहता हूं कि आपकी रक्षा में समानता नहीं है, जो चौड़े दिख रही है। मैं विरोध के लिए ठहरा। मुझे मालूम है धन्यवाद का प्रस्ताव पास होगा, आप मेजोरिटी में हैं। इसका जवाब आध घन्टे में नहीं दिया जावेगा। हम जानते हैं कि पक्षपात की नीति होते हुए जैसा जवाब असेम्बली में दिया जायगा यदि जरा वैसा पब्लिक में दिया जाय तब तो आपकी पोल खुल सकती है। यहां आप पंखों के नीचे बैठे हैं। राजाओं को कहते थे कि पंखों के नीचे बैठ कर गरीबों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, पर आज जो राजाओं के पंखे थे, वे ८८ पंखे यहां भी हैं, झाड़ भी लगे हैं..

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप भी बैठे हैं ।

("झाड़ भी लगे हैं" ऐसी आवाज)

श्री मदनसिंह : मैंने लीडर से कहा था कि असेम्बली में जाकर सत्याग्रह करूं कि पंखे चलें नहीं ...

(हंसी)

एक दिन देख लेंगे पंखों के नीचे बैठ कर अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे तो ।

अगर इसी तरह का रक्षा का प्रबन्ध रहा तो यह केवल लीपा-पोती है। वास्तव में देखा है कि गांवों में हजारों की संख्या में चोरियां होती हैं । जितनी आपकी पुलिस नहीं घूमती है उतना मैं जनसुरक्षार्थ घूमता हूं । जितना मिनिस्टर नहीं घूमते हैं मैं घूमता हूं । क्या होता है कि पुराने मीणे होते हैं, पैसा बन्धा है, नाज–बाज दे दिया जाता है, आपके सहयोग पर चोरियां वापस वसूल होती हैं । पुलिस को मालूम तक नहीं पड़ता । इसलिए क्या कह सकते हैं कि सच्चाई से चोरियां बन्द हो गईं, सच्चाई से रक्षा होती है । इसलिए मैं तो कहूंगा, नहीं । सच्चाई की दुहाई देकर धन्यवाद का प्रस्ताव पास करना यदि आप चाहते हैं, ढाल रखना चाहते हैं, यह गलत है । पुलिस की साक्षी दिलाना चाहते हैं कि १९५७ में चोरियां कम हुईं, यह कतई सच्चाई नहीं। इसीलिए दुनियां हंसती है। आप यह न समझिये कि जनता असेम्बली के कामों को देखने नहीं आती, आप कहते हैं कि चोरियां कम हुईं, धाड़े कम पड़े । वे देख रहे हैं गेलेरी में बैठे हुए लोग । गांवों में चोरियां होती हैं । मैं मानता हूं कि मिनिस्टरों की रक्षा ठीक हो रही है लेकिन गांवों में नहीं हो रही है। जन-हित भावना वाले अन्य रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन करने नहीं देते। मुझे संतोष नहीं है कि रक्षा का काम राजस्थान में हो रहा है । अगर हो रहा है तो पक्षपात से।

दूसरा काम शिक्षा का है। काम का भार तो सिर पर लादा, पर निभाया नहीं जा रहा है। आप ही कहें क्या शिक्षा का काम ठीक है ? मेरी तो मान्यता है, जैसा सरकार का काम रक्षा का है, वैसा ही शिक्षा का काम भी ठीक नहीं है। राज्यपाल महोदय के भाषण में कहा गया है कि इतने स्कूल खुलेंगे, इतने कालेज खुलेंगे, इतनी मिडिल स्कूलें खुलेंगी। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि स्कूलों में पढ़ेंगे क्या ? आप चाहते क्या हैं ? क्या गांधीजी ने इसी पढ़ाई की आज्ञा दी थी ? क्यों, इसी पढ़ाई से आप स्कूलों में महात्मा गांधी जैसे आदर्श चरित्र पैदा करना चाहते हैं, क्या जवाहरलाल नेहरू पैदा करना चाहते हैं, क्या विवेकानन्द पैदा करना चाहते हैं ? अगर आपकी यही धारणा है तो यह गलत है । वरना आपकी कोई नीति शिक्षा में सुधार की होनी चाहिये। आज आप गांवों से रुपया स्कूल खोलने के लिए लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर में इतने स्कूल खुलते हैं तो क्या आप जयपुर के नागरिकों से लेते हैं ? यदि नहीं तो भेद क्यों ? गांवों में दबाव डालते हैं कि स्कूल खुलाने के लिए पैसा दो, इधर उनसे टैक्स लेते हैं और इधर शहर में स्कूल बनते हैं। आज गांवों में शहरों के बनिस्पत ज्यादा पब्लिक रहती है। कितने मेम्बर हैं जो अपने बच्चों को गांवों में ही पढ़ाते हैं ? मैं मिनिस्टरों के बच्चों को यहां मोटरों में जाते देखता हूं तो इसका कारण यही है कि यहां शिक्षा अच्छी होती है। तो मैं चाहता हूं जिनके

(श्री मदनसिंह)

आप वोट लेना चाहते हो, कहते हो, आप सरकार हो, आप महाराजा हो, उन महाराज कुमारों को जाकर देखो। मास्टर पढ़ाई करा रहा है, ऊपर से छत टूटी हुई है, मास्टर पढ़ाता है लेकिन उसका ध्यान जाता है उस टूटे हुए छप्पर की ओर कि कहीं गिर न पड़े। यह हाल है गांवों के स्कूलों का। इसलिए मुझे संतोष नहीं है और न जिन्होंने मुझे वोट दिया है उन्हें संतोष ही है, क्योंकि सरकार का शिक्षा का कार्य ठीक नहीं हो रहा है। आपको वापिस पांच साल के बाद वोट लेने हैं। अगर आपकी यही नीति रही तो यह पब्लिक को धोखा है। मिशनरीज़ ने धोखा दिया हो या देते हों तो ठीक है, लेकिन यह अपनी जनता को जनता की ही सरकार धोखा दे तो उचित नहीं? देखें, मिनिस्टर महोदय प्रण तो कर लें कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के सिवाय अपने बच्चों को और कहीं नहीं पढ़ायेंगे। हाथ उठायें कि कितने तैयार हैं? अगर नहीं हैं तो यह स्पष्ट है कि वहां पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, और आप इस प्रकार दुर्व्यवहार करते हैं। तो फिर जो डींग हाकी जाती है कि समानता है, यह आडम्बर है। गरीबों के लिए पढ़ाई गांवों में हो, और अच्छी पढ़ाई यहां हो, यह क्यों? मुझे मालूम होता है कि ये जो बादल है वे उड़ जावेंगे, थोड़े दिनों के भीतर और जनता समझ रही है कि झूठ और पाखंड की जो चीजें हैं वे चलने वाली नहीं हैं। आप सुन लें, स्थिति को सुधार लें; नहीं तो आन्दोलन चलेगा। महात्मा गांधी की तपस्या को हम देखते हैं वरना तो असेम्बली में आने की जरूरत नहीं थी।

(घंटी)

क्योंकि मैं दस वर्ष का अनुभव कर चुका हूं कि आपकी शिक्षा यही रहेगी, आपके ग्रन्थ यही पढ़ाये जायेंगे और आप जो धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ा रहे हैं उसी के बीज गांवों में बोये जा रहे हैं इसलिये हम सबको इसका विरोध करना है। आपके तरीके से जो काम हो रहा है उसका विरोध मैं करता हूं क्योंकि आप जो काम अपने तरीके से करना चाहते है वह भी ठीक ढंग से नहीं हो रहा है और हम जिस तरह से चाहते हैं उस तरीके से तो काम आपसे होगा भी नहीं। इसलिये अगर आप ११६ के बहुमत से पास करना चाहते है तो दूसरी बात है, अन्यथा आपकी शिक्षा अच्छी नहीं, आपकी रक्षा अच्छी नहीं, आपका तरीका अच्छा नही। जिस राज्य में शिक्षा अच्छी नहीं, रक्षा अच्छी नही, जिस राज्य में अन्न और वस्त्र नहीं मिलते हैं, उसका कोई प्रबन्ध नहीं उस राज्य के राज्यपाल को अपने अभिभाषण के लिये धन्यवाद देने के लिये हमारी संस्था तैयार नहीं है। इसका विरोध ही होगा। चाहे हम लोग ४-५ ही हों।

१.०१—म. प.

मुझे आश्चर्य होता है, जहां अन्न और वस्त्र नहीं मिलते वहां आप कहते हैं कि तरक्की की जा रही है। आप कहते हैं कि हम जगह जगह बिजली लगा रहे हैं। लेकिन जहां पानी हो वहां बिजली लगाने में तो कोई बात नहीं है। लेकिन जहां टीबे पड़े हुए हैं वहां बिजली लगावें तब तो कुछ समझा भी जाय कि तरक्की हो रही है। गंगानगर के लिये आप कहते हैं कि वहां अनाज अच्छा उपजता है लेकिन आप वहां के काश्तकारों की समानता टीबों में रहने वाले काश्तकारों की स्थिति से करें तो आपको पता चले कि कहां साधन

Page No.33

(श्री मदनसिंह)

बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन आप जहां साधन है वहां और साधन बढ़ाना चाहते हैं और जहां अभाव है वहां नहीं बढ़ाना चाहते। इसलिये चाहिये तो यह था कि जहां पानी का साधन नहीं है वहां बिजली लगाते तो कुछ माना जाता। इसलिये जिस सरकार की शिक्षा ठीक ठीक नहीं, जिसका न्याय ठीक नहीं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण जल्दी समाप्त करें।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूँ कि यह ऐसी चीज जो बुरी लगती है क्योंकि सत्य चीज हमेशा बुरी लगा करती है। यदि यह बुरी लगती है तो मैं बैठ जाऊं, वरना मुझे ५–१० मिनिट और चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप ५ मिनिट में खत्म कर दें।

श्री मदनसिंह : (जारी) दूसरी बात है पंचायतों, म्युनिसिपैलिटियों और जिला बोर्डों के बारे में। यों तो कहा जाता है कि सरकार ने इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की। आप लाख कोशिश करें लेकिन करेंगे कौन? करनेवाले आप हैं या आपके नीचे के लोग हैं, जिनकी तारीफ कई माननीय सदस्य कर चुके हैं। इसलिये जब तक पार्टीबाजी से ऊंचे उठकर आप नहीं करेंगे तब तक राजस्थान की जनता का भला नहीं होना है। पंचवर्षीय योजना में भी पक्षपात हुआ है, उसे मैं ५ मिनिट में नहीं कह सकता। पूरी बात कहने के लिए पांच वर्ष लगेंगे और इसीलिये मैं आया भी हूं और आगे कहता रहूंगा। पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत दांता-रामगढ़ होकर सड़क बनाने के लिये कहा गया था। सड़क मारोठ से सीकर तक जाय, ऐसी तजवीज थी। अभी चुनाव लड़कर जो नये सदस्य मारोठ से आये हैं उन्होंने कहा कि यह सड़क घेटवास होकर जाय क्योंकि यदि दांता होकर चली गई तो दांता ठाकुर जीतेगा। दांता की हालत तो आज वही हो रही है जो अकबर के समय चित्तौड़ की थी। कहीं दांता में तरक्की होने की योजना होती है तो वह वहीं रुक जाती है। दुर्भाग्य से या हमारे सौभाग्य से दांता में तीन बार चुनाव हुए उनमें से एक भी बार कांग्रेस सफल नहीं हुई। इसलिये दांता को ऐसा एरिया घोषित किया गया है जैसा अकबर के टाइम में चित्तौड़गढ़ था। लेकिन अब इतना पक्षपात नहीं होना चाहिये, वहां की जनता भी और जगह की जनता के जैसी ही है। यह नहीं होना चाहिये कि यहां से रामराज्य परिषद् का सदस्य जीता है इसलिये वहां कुछ नहीं किया जाय।

वैसे ही पंचायतों में पक्षपात चलता है। पहली बात तो यह है कि पंचायतों को इतने अधिकार होने ही चाहिये क्योंकि पंचों में इतनी पढ़ाई नहीं है इसलिये वे नहीं जानते कि अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जाय? उनको अधिकार इसलिये दिये गये हैं कि उनको अधिकार देकर लोगों को दबवाकर कांग्रेस को वोट दिलाये जांय। इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं मालूम होता। इसमें कई प्रकार की अनियमितताएँ भी चलती हैं। जो लोग पंच खड़े होने के लायक नहीं होते, उनकी इतनी उम्र नहीं होती कि वे लोग भी पंच बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर गोटी पंचायत के पंच नारायणसिंहजी को लीजिये। उनके खिलाफ दरख्वास्त आई हुई है और अदालत से भी फैसला हो चुका है लेकिन

(श्री मदनसिंह)

मिनिस्टर साहब ने अभी तक उनको पंच रखा है ।

ऐसी ही हालत जिला बोर्डों की है। सीकर जिला बोर्ड के अध्यक्ष के हाथ में चौबीसों घंटों दारू की बोतल रहती है, उनको वहां का अध्यक्ष बनाया है। कभी आपने पहले भी सुना है क्या कि ऐसे आदमी जिला बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं ? पलासर में मां-बेटियों के सामने नंगे होकर वे नाचते रहे, यह सरकार को अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन आज भी उनको कायम रखा है और यह कहा गया है कि वे ही जिला बोर्ड के अध्यक्ष रहें। राजस्थान के इतिहास में आज तक ऐसे आदमी को पोस्ट नहीं मिली होगी लेकिन कांग्रेस के राज्य में आज वही नाच और शराब मौजूद है। ऐसा ही हाल जयपुर जिला बोर्ड का भी हुआ। वहां लाखों रुपयों का गबन हुआ और वहां के अधिकारियों पर केस चल रहे हैं, केस में इन्क्वायरी हो चुकी है लेकिन फिर भी केस में देरी हो रही है। आज विरोधी दल के किसी मेम्बर पर ऐसा केस होता तो उसका फैसला सरकार एक मिनटमें कर देती लेकिन क्योंकि वे कांग्रेस के आदमी हैं इसलिये उनके खिलाफ देरी की जा रही है। इस तरह जिला बोर्डों और पंचायतों की यह हालत है।

आगे चलकर यह कहा गया है कि यहां सरकार समानता लायेगी सोशलिस्टिक पैटर्न आफ गवर्नमेण्ट बनेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि एक दो सदस्यों को छोड़कर कांग्रेस का एक भी सदस्य शायद सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ गवर्नमेण्ट का मतलब नहीं जानता। जनता को तो पता ही नहीं कि यह बला कहां से आई, यह चिड़िया क्या है ? आज मैं आंखों के सामने माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि हमारी कांग्रेस और सरकार के सोशियलिस्टिक पैटर्न में कौन-कौन लोग हैं। आज झालावाड़ नरेश जैसे लोगों को यहां लाकर सोशियलिस्टिक पैटर्न ओफ गवर्नमेण्ट और गरीबों का राज्य बनाया जा रहा है। जनता देखे कि बड़े बड़े ठाकुर जो जनता का खून चूसते थे और बड़े बड़े डाकुओं के साथ मिले रहते थे वे आज कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस के कपड़े पहन कर बैठे हैं। तब फिर मैं कैसे मानूं कि जनता का राज्य हो रहा है ? मैं कैसे मानूं कि सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट लायेंगे। मैं विश्वास दिलाकर कहता हूँ और मैं अनुभव करता हूं कि जब तक कांग्रेस राज्य कायम रहेगा तब तक पूंजीपति टांटियाजी और सोमानी जी जैसों का……

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): ओन ए पोइन्ट ओफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, जो अभी कहा गया कि, बहुत से डाकुओं के साथ मिले रहते हैं और वे ही कांग्रेस के कपड़े पहन कर बैठे रहते हैं, मैं इन पर सख्त एतराज करता हूँ।

श्री मदनसिंह दांता : यदि यह सच्ची बात है और मैं सिद्ध कर दूं तो फिर भी····

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हां, साबित करें।

श्री मदनसिंह दांता : वे रामराज्य से पहले खड़े हुये थे। उनको इस बात की सजा मिली थी, जिनका नाम देवीसिंह जी था। उन्होंने कांग्रेस के कपड़े पहने····

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : देवीसिंह जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं।

Page No.35

श्री अध्यक्ष : मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि व्यक्तिगत आरोप, चाहे वे सज्जन सदन के सदस्य हैं या नहीं, नहीं लगाने चाहिये और जो भाषण माननीय सदस्य दें उनमें बहुत संयम और व्यवहारिकता होनी चाहिये।

श्री मदनसिंह दांता : (जारी) अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरा यह पहला मौका है इस सदन में बोलने का। पर परसों मैंने सुना था कि एक सदस्य, जो इधर बैठे हैं, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, ने कहा था कि, "ये सफेद डाकू बैठे हुए हैं।" मैंने सोचा कि ये शब्द कहे जा सकते हैं, इसलिए मैंने कहा।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये शब्द प्रोसीडिंग्ज से एक्सपंज किये जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : वास्तव में क्या शब्द इस्तेमाल हुए हैं, उनको देखने के बाद में निर्णय किया जायगा।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपके पांच मिनट समाप्त हो गये हैं, अब आप समाप्त करें।

श्री मदनसिंह : मैं एक मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपको अभी तो कई मौके मिलेंगे।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि सदन में से मुझे कौन निकाल सकता है, मैं यहां पर पांच वर्ष तक तो बोल सकता हूँ। मैं कह रहा था कि जो सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं, वह इस तरह से नहीं होगी जैसे, कि पूंजीपतियों का एक गुट बनाना चाहते हैं। इस तरह................

(घंटी)

से यह जनता के उपर लादा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी चीजों

(घंटी)

पर विश्वास दिलाया जा रहा है ये फिजूल होंगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(श्री मदनसिंह के स्थान ग्रहण कर लेने पर) पुनः) मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्यों से कि जो लिस्ट हमारे पास आई है वह बड़ी है और समय सीमित है इसलिए अब जो भाषण होंगे उनके लिए ज्यादा से ज्यादा १५ मिनट दिये जा सकेंगे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि १५ मिनट में वे भाषण समाप्त कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य इस वाद–विवाद में भाग ले सकें।

एक माननीय सदस्य : वाद-विवाद का समय बढ़ाया जा सकता है।

श्री किशनलाल शाह : (नांवा) अध्यक्ष महोदय, पहले तो यह प्रणाली थी कि जो स्पीकर महोदय की दृष्टि में आते थे उनको मौका दिया जाता था। अब जो यह लिस्ट आई है वह माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मान ली गई या सदस्यों ने लिस्ट दी है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूँ कि यह लिस्ट कल मांगी गई

(श्री अध्यक्ष)

थी कि जो सदस्य इस पर बोलना चाहें या जिन दलों के लोग बोलना चाहें, वे अपने नाम दें। उस पर यह लिस्ट आई है और अब उस पर बोलना तय किया जायगा।

श्रीमती चन्द्रकला : हमें तो इस लिस्ट का पता नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का भाषण जो कुछ हुआ, उसके विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह सही बात है कि राज्यपाल का भाषण अतीत की ओर संकेत करता है और साथ साथ हमारे भविष्य के लिए मार्ग निर्धारित करता है। लेकिन इसके ऊपर दो राय नहीं हो सकती हैं कि राज्यपाल ने अपने भाषण में जो बातें कहीं वे सही कहीं और उस भाषण को पढ़ा जाय तो ऐसा मालूम होगा कि राज्यपाल ने अपने भाषण में हमको संकेत किया है और वह संकेत हम सबको मानना होगा। सबसे बड़ी बात जो इस भाषण में हम पाते हैं वह यह है कि आज राजस्थान के अन्दर जो प्रगति हो रही है, सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार खण्ड से कार्य रूप में जो प्रगति हो रही है, जो अभ्युदय और उत्थान हो रहा है, उसके बारे में किसी के दो मत नहीं हो सकते। यद्यपि जो उन्नति हो रही है उसमें कुछ कमियाँ हो सकती हैं और उन कमियों की ओर जो हमारे माननीय विरोधी भाइयों ने प्रहार किया वह प्रहार भी कुछ अंशों तक वाजिब हो सकता है। मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे काम होते हैं, जिन कामों के अन्दर कमी हो सकती है लेकिन हमें ऐसे दृष्टिकोण से उन कामों की ओर देखना चाहिए कि वास्तव में राजस्थान ने कितनी प्रगति किन परिस्थितियों में की है। मैं यह नहीं चाहता कि विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्य प्राचीनता के मोह में फंस कर बड़ी बड़ी गर्व-मय बातें करते रहें। मैं चाहता हूँ कि उनको प्राचीनता का मोह छोड़ देना चाहिए। बदलते हुए जमाने के साथ, बदली हुई स्थिति के साथ उन्हें भी बदलना चाहिए। पुरानी इमारत के कलश होने की अपेक्षा यह कहीं ठीक है कि वह नये भवन की नींव का पत्थर बने। मैं नहीं चाहता कि वे प्राचीनता का मोह न करें, लेकिन हमें नये, बदलते हुए जमाने के साथ दौड़ना है। जमाना बदला जा चुका है। यदि देश की हालत बदलनी है, समाज का नया ढांचा बनाना है, मनुष्य का उत्थान करना है, जीवन के पुराने मूल्य को खत्म करना है तो जो पुरानी परम्परा को दृष्टिगत करते हुए हम आलोचना कर बैठते हैं, यह ठीक नहीं है। मैं नहीं कहता कि राज्यपाल के भाषण का यह मतलब हो जाता है कि जो सरकार करती है वह ठीक करती है। सवाल यह होता है कि हम इस भाषण के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रगट करें या नहीं। मैं चाहता हूँ कि इस भाषण को पढ़ने के बाद कोई शख्स यह नहीं कहेगा कि राजस्थान एक उन्नतिशील मुल्क है या उसने उन्नति कर ली है। इस भाषण में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कमियां राजस्थान सरकार में हैं, वे इस भाषण से मालूम होती हैं। इस भाषण में यह खूबी है।

हमारा जो शिक्षा का सवाल है, सचमुच यह सही बात है कि एक अच्छा मालिक यह नहीं चाहता कि हमारी मशीन एक अनाड़ी के हाथ में सौंप दी जाय। हमारे कोमल बच्चों का दिमाग ऐसे शिक्षकों के

(श्री मूलचन्द डागा)

हाथ में सौंप दिया जाता है, जिससे उनके दिमाग का विकास न हो पाए। आप देश की हालत जानते हैं, शिक्षकों की हालत जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे बच्चों का दिमाग एक कोमल थाला है, जिसमें जो बीज डाल दिया जाता है, वह सदा के लिए डाल दिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे शिक्षा मन्त्रीजी इस बात के लिए विचार करेंगे कि परमात्मा के नाम पर इतने सारे स्कूल खोलने की महरबानी न करें बल्कि यह ख्याल रखा जाय कि जो इन स्कूलों में शिक्षक आयें, क्योंकि उनके हाथ में हमारे भावी राजस्थान के निर्माण करने वालों का भाग्य निर्भर है, अतः वहाँ अच्छे शिक्षक भेजे जायं। आज गांवों में जो शिक्षक भेजे जाते हैं, उन शिक्षकों की हालत, उनकी स्थिति और उनकी तनख्वाह देख कर आश्चर्य होता है कि क्या राजस्थान एक अभ्युदय और उन्नतिशील मुल्क बन सकेगा। यह हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि पंच वर्षीय योजना में २५ नये स्कूल खोल दिये, ३० स्कूल खोल दिये, लेकिन उनका नियंत्रण, व्यवस्था ठीक नहीं हो। यह हमारे लिए कोई शोभा की बात नहीं है, यह शोभनीय वस्तु नहीं है। जो शिक्षक गांवों में भेजे जाते हैं वे मिडिल क्लास के स्टेन्डर्ड के शिक्षक भी हो सकते है, हम नहीं चाहते कि वहां मेट्रिक पास शिक्षक ही जाएँ लेकिन उनकी तनख्वाह अच्छी हो। सोशयलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी में यह बात बीच में कहना चाहता था, की बात हम करते हैं लेकिन आप राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स को देखेंगे तो उस पर यह हैडिंग लगायें "समाजवादी ढंग का ढांचा"; तो अफसोस होगा कि इस प्रकार से सोशयलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी कायम करना चाहते हैं। अभी सुखाड़िया साहब के भाषण, बड़े बड़े महत्वपूर्ण भाषण उदयपुर में हुए हैं, उनमें उन्होंने कहा कि शिक्षा को उन हाथों में सौपना है जो अपना विकास पूर्ण कर चुके हैं। आप एक शिक्षक को ४५), ५०) रुपये देना चाहते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति के हाथ बच्चों का दिमाग सौपना चाहते हैं, क्या यह सोचना वाजिब होगा? लेकिन यह व्यवस्था केवल शिक्षा के साथ ही लागू नहीं है। ग्राम व्यवस्था पर मैं आपको बताऊं कि हमने एक टिनेन्सी एक्ट पास कर दिया है। राजस्थान टिनेन्स एक्ट एक बहुत अच्छी तरह का कानून बनाया गया। राजस्थान में इस तरह का एक कानून पास हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन इस कानून के पीछे क्या खामियाँ हैं? मुझे अनुभव है इस बात का क्योंकि हमारे जोधपुर डिवीजन के अन्दर एक सवाई लाग होती है। आज पटवारी जाते हैं लेकिन उनके साथ गांव के चौधरी जाने से इन्कार करते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें लाग नहीं मिलती। जो पटवारी लोग इकठा करते हैं, वह रकम पटवारी के पास नहीं रहती है, चौधरी जो पैसा इकठा करते थे वह खजाने में जमा करते थे। फल क्या हुआ? यह परिणाम निकला कि एम्बेज़लमेन्ट के केस ४०६ दफा में पाली की हुकूमतों में दर्ज होते हैं, छोटे छोटे आदमी बड़ी रकम अपने कामों में ले लेते हैं, गवर्नमेंट की उस रकम का दुरुपयोग करते हैं क्योंकि वे चौधरी नहीं चाहते कि वे पटवारी के साथ खेतों में घूमें, क्योंकि उनको एक रुपये पर एक पैसा मिलता था। आज एक भामी एक कनवाड़ का काम कैसे कर सकता है, कैसे काम हो सकेगा? तो एक तरीका होता था, एक व्यवस्था थी जिस अवस्था में गांव के चौधरी आराम से

(श्री मूलचन्द डागा)

काम करते, भामी आराम से काम करते थे और गवर्नमेंट की रकम गवर्नमेंट के पास आ जाती थी। आज सवाल टिनेन्सी एक्ट का आता है। टिनेन्सी एक्ट में एक विकट प्रश्न है, आप गांवों का उत्थान करना चाहते हैं, गांवों में नया सवेरा देखना चाहते है, गांवों को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं लेकिन आप जानते हैं कि गांवों में क्या हालत हो रही है। आप जानते हैं कि आज भामियों की क्या हालत हो रही है व जटियों की क्या हालत हो रही है, जिनके पास कि काश्त की भूमि नहीं है और राजस्थान में चर्म उद्योग बिल्कुल नष्ट हो गया है और अब उनको काश्त के लिये भूमि नहीं मिल रही है। जटिये और भामियों को पहले बापी की जमीनें मिलती थीं लेकिन आज उनको जमींदार जमीन देने से इन्कार करते हैं और आज इस तरह जटिये भामी बिलकुल बेकार हो गये हैं और जमीन नहीं होने से काश्त नहीं कर पा रहे हैं। जैतारण तहसील में लांबियां गांव है जहां ४०० जटियों की फेमिलीज़ हैं, जो बिलकुल बेकार हो रही हैं, चमड़े का उद्योग पहले ही नष्ट हो गया, अब काश्त करने के लिये उनके पास जमीन नहीं है, दर्जनों शिकायतें सरकार के पास पहुंच चुकी हैं। तो इन जटियों और भामियों की क्या हालत होती है ?

टिनेन्सी एक्ट में लिखा है, 'गोचर भूमि' इसके लिए गडरियों और किसानों के बीच एक सवाल पैदा हो गया है। गड़रिये लरड़ियों को लेकर चराने के लिए चलते हैं तो किसान बीच में लठ लेकर खड़ा हो जाता है कि मेरी बापी की जमीन है, इस जमीन में नहीं आने दूंगा, उस जमीन का सवाल है जहां लरड़ियां हमेशा से चरती आई हैं। वह गड़रिया हमेशा से चराता आ रहा है, उन लरड़ियोंको गड़रिया ईशू मसीह की तरह प्रेम करता है, उसे किसान रोकता है, लकड़ी चलती है, किसान कहता है कि अपने खेत में नहीं आने दूंगा, किसान अपनी बापी की जमीन में गडरिये को नहीं आने देता। हम चाहते हैं कि राजस्थान में भेड़ों की ऊन का व्यापार बढ़े पर कैसे बढ़ेगा, जब कि राजस्थान की भेड़ें भूखों मरेंगी क्योंकि भेड़ों के जीने का साधन नहीं है, उस खेत में नहीं जा सकतीं। टिनेन्सी एक्ट में कानून है कि काश्तकार की जमीन बापी की है, बापी पट्टा नहीं होता था तो यह सवाल नहीं होता था। राजस्थान टिनेन्सी रूल्स में सेकिन्ड चैप्टर में अनओक्युपाइड (unoccupied) लैंड के बारे में है कि वह गोचर भूमि घोषित की जा सकती है, तो आज इस प्रश्न का हम क्या हल निकाल सकते हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि राइके और देवासी लरडियों को लेकर सावण और उन्हालू फसल के बाद खेतों में जाते थे, इसी तरह उनको अब भी जाने का अधिकार दिया जाय और एक बड़ा सवाल है वह यह है कि टिनेन्सी एक्ट के अन्दर गांवों की लाग होती है, उसको उगाहने और इकट्ठा करने की ओर ध्यान दिया जाय।

अब सवाल रहता है पंचायत एक्ट के बारे में। बड़ी तारीफ है। एक सज्जन ने कहा कि पुराने जमाने में हिन्दुस्तान में धन्यवाद के प्रस्ताव दिये जाते थे बाहर के लोगों द्वारा। हिन्दुस्तान के अन्दर राजाओं ने बड़े बड़े काम किये और मेगस्थनीज और दूसरे बाहर के यात्रियों ने आकर धन्यवाद दिया। पर इसके माने यह नहीं कि राजस्थान सरकार

(श्री मूलचन्द डागा)

जो अच्छे अच्छे काम करती है उनके लिये भी इसकी प्रशंसा न की जाय।

आज किसान जमीन को उपजाऊ बनाता है, अपनी जमीन की तरक्की के लिये तहसीलों में तकावी लाने के लिये दौड़ा दौड़ा जाता है, सीमेंट से अपने कूओं को मजबूत करना चाहता है, ये अवश्य जागृति के निशान हैं। लेकिन पंचायती राज्य का क्या होगा, जहां पंच अशिक्षित हैं, कानून को समझते नहीं लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि गांव गांव में पंचायतें कायम हो गई हैं पर तहसील पंचायतें कायम नहीं की गई हैं। जैतारण में तहसील पंचायत नहीं है, अपीलें लेकर कहां जायं, रेवेन्यु सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज हैं कहते हैं, कि मुझे अपील सुनने का अधिकार नहीं है। मिस्लेनियस काम के लिये एक आदमी अदालत में जाता है तो उस कानून को कायम करने से पहले सोचिये कि किस रूप में उसका इम्प्लिमेन्टशन कर सकते हैं। बर पंचायत के सारे के सारे केसेज़ ठप्प पड़े हैं, यह पंचायतों की हालत है। पंचायत केसेज़ में वकील नहीं होते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिवीजन जाता है तो पंचायत की तरफ से कोई आता नहीं, कोई पैरवी करने वाला नहीं होता। यह एक्ट में खामी है। हम पंचायत एक्ट को काम में लाना चाहते हैं, हम व्यवस्था कायम करना चाहते हैं लेकिन पंचायतें ऐसे ऐसे केसेज़ को हाथ में ले रही है कि कि जो उनके अधिकार के नहीं हैं और कोई महीना ऐसा नहीं जाता जब कि पंचायतों के फैसलों को हाईकोर्ट के फैसलों से धज्जियां नहीं उड़ाई जाती हों। मिश्रीलाल का केस है, हाईकोर्ट ने अपनी एक बड़ी कमेन्टरी (commentary) इस पर दी है। तो पंचों के केन्द्र खुलने चाहिये. और पंचों को इस काम के लिये शिक्षित करना चाहिये, नहीं तो हमारी पंचायतें जिस उद्देश्य से कायम की गई हैं, वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

इसके अलावा गांवों की बेकारी का सवाल बड़ा भयंकर सवाल है। हम चाहते हैं कि देश का मापदंड मजबूत हो, आदमी मजबूत हो, खाने को भोजन हो और पहनने के लिये उनके पास कपड़ा हो, पर दूसरी ओर बेकारी के प्रश्न को लीजिये। आज गांवों में बेकारी बड़े भयंकर रूपमें बढ़ रही है। एक आदमी गांव में आटे की चक्की लगाता है, तहसीलदार और पंचायत को अधिकार है कि किस गांव में चक्की लगानेकी इजाजत दे। चक्की लगते ही उस गांव के पचासों गरीब बेकार हो जाते हैं। इसी तरह गांव में तेल के घाणे लगाने की इजाजत दी जाती है तो सैकड़ों तेली बेकार हो जाते हैं। इस तरह एक तरफ तो चमड़े का व्यापार चला गया और एक तरफ एक आदमी चक्की लगाता है तो पचासों बेकार हो जाते हैं, एक घाणा लगाते हैं तो तेली बेकार हो जाते हैं और इस तरह भयंकर बेकारी के कारण उनका जीवन दूभर हो जाता है। यही वजह है कि आज १५ अगस्त और २६ जनवरी के राष्ट्रीय त्योहार को लोग गांवोंमें उतनी शानसे नहीं मनाते नहीं मनाते जितनी कि दीवाली और होली मनाते हैं।

अब मैं तीसरी चीज की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह है शासन व्यवस्था की। शासन व्यवस्था के बारे में दो राय नहीं हो सकती। बड़ी मुश्किल तो यह है कि पंच वर्षीय योजना को देख लीजिए, फाइव इयर प्लान को देख

(श्री मूलचन्द डागा)

लीजिए, अगर कोई आदमी सोता हुआ हो तो उसको जगाना आसान है परन्तु जो जागता हुआ सोता है तो उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। सारी जगह लिखा हुआ है कि हम काम नहीं कर सके, काम करने वाले इतने योग्य नहीं हैं। गुरुमुख निहालसिंह आदरणीय राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ। भ्रष्टाचार पर खूब लिख दिया। यहां तक लिख दिया कि यदि इसका बीज नष्ट नहीं किया गया ;.पर किस प्रकार बीज नष्ट होगा, सवाल यह पैदा होता है। राजस्थान के अन्दर, राजस्थान की कोई भी गली में निकलता हुआ आदमी कहता है कि भ्रष्टाचार बहुत है, वह शासन के किसी भी अंग पर कुठाराघात करता है, ऐसा क्यों करता है ? उसके दिल में दर्द है, वह चाहता है कि व्यवस्था को ठीक किया जाय, हम भी चाहते हैं कि व्यवस्था को ठीक किया जाय, पर तरीका क्या हो ? यह व्यवस्था जिसमें भ्रष्टाचार इतना भयंकर रूप धारण कर गया है, उसको ठीक रखना चाहते हैं, इसके भी तरीके हैं। सब से बड़े तरीके दो हो सकते हैं।

पहला तरीका यह है कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले जो लोग हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाय। कानून से सुधार नहीं हो सकता तो.हमें अपने तरीकोंसे सुधार करना होगा। हमें समाज में नये परिवर्तन लाने के लिये अपने तरीके अख्तयार करने होंगे और वे हैं कि भ्रष्टाचार को पनपाने वाले, रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वालों का बहिष्कार करना होगा। कानून मनुष्य को सुधार नहीं सकता। कानून पाप को खोल सकता है, मगर पाप को मिटा नहीं सकता। मंत्रियों ने डाकुओं को शरण दी, वह उसी उद्देश्य से शरण दी गई होगी कि पाप मिट जाएगा। मैं यह समझता हूं कि यह एक ऊंचा सिद्धान्त है। अगर हम इस चीज को अपना लें कि राजस्थान विधान सभा के जितने भी सदस्य हैं, अध्यक्ष महोदय, हम विश्वास करके प्रतिज्ञा करें कि राजस्थान की भूमि पर करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं रहने देंगे, क्योंकि हम लोगों की ताकत इसी बात पर तोली जा सकती है, हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं और हम पर जनता ने विश्वास किया है, हमें अपने कर्तव्यों का परिचय देना है, तो मैं कहूंगा कि इसके लिये प्रयत्न करें। मैं यह कहूंगा कि इसके लिये एक ऐसी कमेटी मुकर्रर की जावे जो इसको रोक सके; तभी तो उचित होगा और इसको रोकने के लिये मिनिस्टरों की संख्या और अधिक बढ़ा दी जावे तो कोई एतराज नहीं। एक जिले के बीच एक मंत्री होना चाहिये जो इस बात की देख-रेख करे कि कौन जिले का कौन व्यक्ति अपना काम करता है। हमारे पास साधन हैं। काम के तरीके हैं, उसको गतिशील करना है।

(घंटी)

समय समाप्त हो चुका है अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री किशनलाल शाह (नांवा) : On a point of order, Sir, before fixing the time limit the sense of the House was not taken.

श्री अध्यक्ष : कल जब माननीय सदस्यों से निवेदन किया गया था कि वे अपने नाम दें और यह भी उस समय बताया गया था कि कल समय निर्धारित करना पड़ेगा, तो इससे हम यह कह सकते हैं कि सदन की सेन्स ले ली थी।

श्री किशनलाल शाह : I wanted the Chair to please take the sense of the House in this matter.

(श्री किशनलाल शाह)

इसमें सेन्स लेकर समय निर्धारित करने की बात थी।

श्री अध्यक्ष : The sense of the House has been taken.

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण के संबन्ध में जो वाद-विवाद हुआ उसको मैंने सुना। मुझे उनके भाषण को सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ लेकिन उनके भाषण को मैंने पढ़ा और पुनः पढ़ा। उसको पढ़ने पर मुझे, माननीय अध्यक्ष, मेरे जीवन की एक घटना याद आ गई। मैं एक बारात में गया था, २००-२५० मील का फासला था। स्टेशन पर गये तो स्टेशन पर लड़की वालों की तरफ से लोग आये और उन्होंने स्वागत किया लेकिन स्टेशन पर जो स्वागत लड़की वालों की तरफ से किया गया था उसमें न तो पानी था, न चाय थी। इन सब बातों का अभाव था। लड़की वालों की तरफ से कहा गया कि यहां पर इन्तजाम करने में आपका समय बहुत बरबाद होता इसलिये यहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, आप जल्दी से मुकाम पर पहुँचें ताकि समय बरबाद न हो। हम जल्दी से जल्दी मुकाम पर पहुँचे। वहां पहुंचने पर कहा गया कि खाने-पीने की बात पीछे भी हो सकेगी, सबसे प्रथम काम लग्न-साधन का है इसलिए जल्दी से जल्दी तैयारी की जाए ताकि लग्न चुक न जावे। कपड़े पहना कर दूल्हे को तैयार किया गया। वहां पर भी खाने-पीने और पानी का नाम नहीं। आखिर उसे कपड़े पहनाकर लग्न साधने के लिए चले। यह तो आप जानते ही हैं कि हिन्दुओं में इस काम में घन्टों लगते हैं, फेरे शुरू हो गये। रात को एक बज गया। कहा गया क्या करें, समय बहुत हो गया। खाने का मजा नहीं आयगा। ठंडा या गर्म जो भी था खा पीकर सोये। सबेरा हुआ तो क्या देखते हैं कि वहां लड़की वालों की तरफ से एक शक्कर का भरा ढोल आया ...

एक माननीय सदस्य: यह भाषण अध्यक्ष महोदय किस पर हो रहा है।

एक माननीय सदस्य: भूमिका बाँध रहे हैं।

श्री रघुवीरसिंह: और कहा गया कि हमारे यहां ऐसा दस्तूर है। कल दावत है, इसलिए आपकी भूख पक जावे, आज खाना नहीं मिलेगा। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इसका फल यह हुआ कि बहुत सारे बराती जो यह सब कुछ देख चुके थे उन्होंने अपना टिकट कटाया और वे ही लोग वहां ठहरे रहे जिन्हें दहेज या बिदा का लालच था। वही दशा मैं समझता हूँ कि हमारे राज्यपाल के भाषण की है। हो सकता है कि जैसे वे बराती थे, जिनको डॉवरी या दहेज-बिदाई का लालच था वे तो बैठे रहे और जो जीमने के लिए गये थे उनको इस भाषण से कभी भी सन्तोष नहीं हो सकता। आगे मैं यह निवेदन करता हूँ कि इस भाषण में सबसे पहले सफलता बताई है वह डाकुओं की कमी है। हो सकता है कि किसी अंश में डाकुओं का आतंक कम हुआ हो। लेकिन इसके कम हो जाने से कितने लोगों को राहत मिली, यह विचारणीय विषय है। डाकुओं का लक्ष्य कौन होते हैं? डाकुओं के लक्ष्य वे ही लोग होते हैं जो धनवान

Page No.42

(श्री रघुवीरसिंह)

हुआ करते हैं और राजस्थान में धनवान कितने हैं, यह संख्या किसी से छिपी नहीं है और यहभी मैं जानता हूं कि राजस्थान में डाकुओं का आतंक खास हिस्से में बढ़ा हुआ था। मैं अपने जिले की कह सकता हूँकि पिछले सालों में डाकुओं का नाम नहीं सुना। इसलिए यह कहना कि डाकू कम हो गये इस लिए लॉ एण्ड ऑर्डर की परिस्थिति अधूरी है , इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। डाकुओं के कम हो जाने से बहुत हम यह समझ लें कि देश में सब लोग सुरक्षित हो गए हैं, मैं तो इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि आज अमीर लोगों को लूटने वाले डाकू जरूर कम हो गये हैं लेकिन गरीबों को लूटने वाले डाकू बहुत बढ़ गये हैं और वे हैं सरकार के पुलिस के कर्मचारी और पटवारी और सेन्ट्रल गवर्नमेंट टोबेको अधिकारी, आपके बहुत सारे पंच सरपंच और नेता जी। मैं जिस स्थान से आया हूँ एक नहीं सैकड़ों अभियोग आपके सामने रख सकता हूँ कि किस प्रकार से वे लोगों को एक्सप्लोइट करते हैं और रुपया एक्सट्रेक्ट करते हैं। मैं रिश्वत का नाम नही लेता। अगर वे रिश्वत लें तो दूसरी बात है लेकिन वे लोगों को वास्तव में लूटते हैं। एक पटवारी काश्तकार से जाकर कहता है कि तुम्हारे पास जमीन कम है। मैं तुमको ज्यादा जमीन दिला सकता हूं,१००रुपयेके नोट हाजिर करो, हम तुमको जमीन दे देते हैं। वह बेचारा भोला आदमी उस पटवारी को १००) रुपया दे देता है। पटवारी साहब कहते हैं कि फलां-फलां खेत में जमीन तुम्हारे नाम लिख दी गई है। किसान वहां पर पहुँचता है जहाँ पर उसे पहुँचने के लिए पटवारी ने कहा। वहां जाता है तो देखता है कि उस खेत का दूसरा मालिक बैठा है। वह दूसरे काश्तकार से टकराता है। वह उससे पूछता है कैसे आये, वह कहता है पटवारी के कहने से। उसको एतराज होता है। वह पटवारी के पास जाता है तो पटवारी कहता है, खेत उसी के नाम लिखा हुआ है। नतीजा यह होता है कि गरीब को अदालत में दावा करना पड़ता है। अदालत में कार्यवाही शुरू होती है, उस बीच में नेताजी उसके पास पहुँच जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अदालतों के चक्कर में क्यों पड़ते हो, उसको पुलिस में ले जाते हैं और क्या होता है कि पुलिस में दरख्वास्त दिलाते हैं कि फलां खेत मेरे नाम लिखा है, मुझे काश्त करनी है और झगड़ा होने का अन्देशा है; पुलिस वाले नेताजी के आदेश से फौरन १०७ की कार्यवाही शुरू कर देते हैं। अब १०७ की कार्यवाही शुरू हुई और खेत के असली मालिक के विरुद्ध समन्स जारी हो गए। अब समन्स इश्यू होने के बाद में आप के सब इन्सपेक्टर साहब ने हलफिया बयान दिये कि फौरी झगड़ा होने का अंदेशा है इसलिये जेर दफा १०७ की जमानत की कार्य-वाही की जाय। अदालत में वर्ष दो वर्ष हो जाते हैं तब जाकर कोई फैसला होता है। अगर फैसला किस्मत से, जिसका खेत होता है उसके हक में हो जाता है तो ठीक है और अगर फैसला उसके विरोध में होता है तो वह बेचारा नाहक मारा जाता है और इस तरह से दोनों ही पार्टियां लुट-पिट कर बर्बाद हो जाती हैं। अब आपही बतायें, यह डाका नहीं तो और क्या है ? मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक ओर तो हम यह कहते हैं कि डाके की समस्या का हल हो गया और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इस प्रकार गरीब जनता पर डाका डाला जाता है। मैं तो

Page No.43

(श्री रघुवीरसिंह)

इसको एक तरह से डाका ही कहूँगा। तो यह कहना कि डाके की समस्या हल हो गई, झूठ है; बल्कि यह काम तो और अधिक बढ़ता ही जा रहा है।

इसी तरह से पंचायतों के बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर किसी व्यक्ति की किसी पच से लग गई तो फिर पंच उसका पीछा नहीं छोड़ता और पच को इतने अधिकार दे दिये हैं कि बस पूछिये नहीं। पच की अगर किसी से लग गई तो उसने उठाकर नोटिस दे दिया कि देखो तुम्हारा चबूतरा ज्यादा है, यह रास्ते में बहुत निकला हुआ है इसलिये इसको तीन दिन के अन्दर अन्दर ही तोड़ देना चाहिये। तो इस प्रकार से पच लोग गांव के अन्दर लोगों को को तंग करते हैं। अभी चुनाव के दौरान में मेरे क्षेत्रों का जब मैंने दौरा किया तो वहां पीनाण गांव में करीब पचास लोगों को इस तरह का नोटिस दिया हुआ है। उनके चबूतरों को तुड़वाने के नोटिस दिये जा रहे हैं। उन लोगों ने पीढ़ियों से यह चबूतरे लगा रखे हैं और काफी समय से उनके यह चबूतरे बने हुये हैं तो यह कैसे सम्भव हो सकता है कि उनको तुड़वा दिया जाय? वहां पर लोगों को दीवानी दावे करने पड़ रहे हैं। वहां पंचायत के साथ लोगों की अच्छी खासी मुकदमेबाजी शुरू हो रही है। मैंने तो चुनावों के दौरान में काफी दौरा किया और दौरा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारी यह जो पंचायतें है यह तो ठीक हैं, हमारे गांव पहले ही गन्दे थे और मैं समझता हूं अब तो और भी अधिक मैले हो गये हैं। Externally they were dirty, लेकिन इन पंचायतों ने तो उनको इन्टरनली भी डर्टी कर दिया है। वहां ऐसा वातावरण बन गया है कि वहां की शांति को बहुत धक्का पहुंच रहा है। इसलिए यह कहना कि शांति है, राज्य में शांति है, राज्य में की व्यवस्था अच्छी है मैं तो कहता हूँ कि यह उसी तरह से है जिस तरह से कि सरफेस पर एक तरह अच्छी है और नीचे खूब उबलता हुआ पानी है। इसी तरह से जैसे 'there is a lull before a storm'; यह शांति अल्पकालीन शांति है और जिस तरह से लोगों का एक्प्लोइटेशन हो रहा है उसका नतीजा भविष्य में बहुत ही दुखमय होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

१.४३—म० प०

(श्री सज्जनसिंह, सभापति, पदासीन)

दूसरा संकेत राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भ्रष्टाचार की ओर था लेकिन दुख का विषय यह है कि राज्यपाल महोदय ने यह मानते हुए भी कि राज्य में भ्रष्टाचार है इसके लिये कोई भी मार्ग या कोई भी योजना नहीं बताई कि किस प्रकार से यह भ्रष्टाचार कम हो सकता है ? इसके संबन्ध में मैं जो कुछ भी पिछले दिनों में सरकार की ओर से किया गया उसके सम्बन्ध में एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको अपनी बीती ही सुनाता लेकिन चूंकि समय नहीं है इसलिये मैं यहीं कहूंगा कि ज्यों ज्यों भ्रष्टाचार को मिटाने का यत्न किया जा रहा है यह अधिक बढ़ता जा रहा है। मैं देखता हूं कि भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। इस भ्रष्टाचार के मिटाने के जिम्मेदार कौन हैं ? इसके लिए मैं आपको ठीक बताऊं कि इसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकार ही है। यह तो ठीक ही है कि हमारे मंत्रीगण आज्ञा देते हैं और उसका पालन सेक्रेटरी करते हैं, सेक्रेटरी

Page No.44

(श्री रघुबीरसिंह)

से डिप्टी सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी से असिस्टेन्ट सेक्रेटरी और फिर वह पहुँचते पहुंचते पुलिस कॉन्सटेबल के पास पहुँचता है। आखिर में पुलिस कान्सटेबल की बारी आती है, किसी मामले के जांच करने की और पुलिस कांस्टेबल की क्या हैसियत है ? उसकी हैसियत यह है कि उसको तनख्वाह मे केवल ५५) रुपये मिलते हैं और इस ५५) रुपये में उस बेचारे को अपना सारा काम चलाना होता है। अब ५५) रुपये वाला आदमी, जिसके घर में पांच आदमी खाने वाले हों, अपना खर्चा उसमें पूरा कर ले और ईमानदारी के साथ अपना जीवन बिताये, यह तो मैं समझता हूं कि आज के युग में असंभव है। इसलिये यह कहना कि हम भ्रष्टाचार के लिये सख्त कदम उठायेंगे, मैं तो समझता हूँ कि, बहुत गलती होगी और असली कदम तो यह होना चाहिये कि जो कुछ भी सरकार के मुलाजिम हों उनको कम से कम पेट भरकर रोटी तो दी जाये। जब तक उनको पेट भर कर रोटी नहीं मिलेगी वह कभी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। जिनको ५५ रुपया तनख्वाह मिलती है उससे हम यह कैसे आशा कर सकते हैं कि वह ईमानदारी से काम करेगा ? पटवारी है वह ५०) रुपया पाता है। अब पचास रुपये में वह क्या तो अपना काम चलायेगा और क्या वह अपने घर वालों को खिलायेगा ? हालांकि पटवारी इतना छोटा आदमी है. लेकिन उसकी कलम में बहुत ताकत है। मैं यह जानता हूं कि जो कुछ भी एक पटवारी कर देगा वह आपका कमिश्नर नहीं भी मिटा सकता। पटवारी की कलम में इतनी ताकत है कि उसने एक बार जो लिख दिया वह ऊपर तक ज्यों का त्यों रहता है। उसके हाथ में इतनी ताकत है और उसको इतनी कम तनख्वाह मिलती है तब वह कैसे ईमानदार हो सकता है और कैसे ईमानदारी से रह सकता है ? जब इन पचास रुपयों में वह अपने बच्चों का पालन भी नहीं कर सकता तो वह ईमानदार नहीं हो सकता है।

इसी तरह से मैं आपका ध्यान एक और दूसरी बात की ओर दिलाता हूँ। सेन्ट्रल टोबैको के लिए मुझे कुछ कहना है। यह टोबैको का सेन्ट्रल सब्जेक्ट है लेकिन इससे जो कुछ भी नुकसान पहुँचता है, जो कुछ भी कष्ट पहुँचता रहा है वह हमारी जनता को भी पहुँच रहा है। गांव में लोग तमाखू एक-एक या दो दो बिस्वा बो देते हैं और तमाखू बोने के बाद वह उसको अपने ही काम में लाते हैं। इस तमाखू को कोई वह बेचने के लिए नहीं बोते हैं। जो यह एक एक बिस्वा तमाखू बोई जाती है वह उनके खुद के पीने के लिए बोई जाती है। यह तमाखू ही ग्रामीण जनता का एक एन्टरटेनमेन्ट है, रिक्रियेशन है। न तो वहां चाय है, न दूध है, न सिगरेट है केवल वहां पर तो तमाखू ही उनका एन्टरटेनमेन्ट है। और इस एन्टरटेनमेन्ट के लिए अपने खर्च के लिए बिस्वा दो बिस्वा अगर तमाखू बो लेते हैं तो उसके ऊपर एक्साइज़ ड्यूटी लग जाती है और मैं समझता हूं कि दुनियां में कहीं भी एक्साइज़ ड्यूटी प्रोड्यूसर्स से कभी वसूल नहीं की जाती है। लेकिन हमारे यहां Excise duty is being realised from the producer. एक्साइज़ ड्यूटी कन्ज्यूमर्स पर लगनी चाहिए और कन्ज्यूमर्स ही उसको देने का हकदार है। लेकिन यहां

(श्री रघुवीरसिंह)

टोबेको पर जो एक्साइज़ ड्युटी लगाई जाती है वह प्रोड्यूसर्स पर लगाई जाती है। अब जो भी और जितनी भी जमीन में टोबेको बोई जाती है उसकी रिपोर्ट टोबेको इन्सपेक्टर के पास जाती है और टोबेको इन्सपेक्टर के पास इतना समय नहीं है कि वह यहां आ कर देख ले कि पैदावार कितनी हुई ? नतीजा यह होता है कि उस स्थान पर जितनी भी तमाखू पैदा होती है उसका सारा अन्दाजा लगा कर यह मालूम कर लेते हैं कि एक बीघा में कितनी एवरेज पैदावार तमाखू की हुई। अब पैदावार एक बीघे पर दस मन मानकर उस पर एसेसमेन्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए कि उस दस मन पर एक्साइज़ ड्युटी करीब ३१० रुपया आती है जो काश्तकार को ही चुकानी पड़ती है। अब आप ही बतावें कि ऐसी दशा में जब कि एक काश्तकार को एक बोघा पर तमाखू बोने पर ३१० रुपया देना पड़ेगा तो वह किसी को सौ-पचास रुपया देकर ही अपना पीछा छुड़ायेगा; नहीं तो और क्या करेगा ? आप सोच लीजिए कि क्या राजस्थानी इलाके में ऐसी भी खेती होती है कि जिसमें तीन सौ रुपया तो केवल टैक्स का दे दिया जाये, और लागत का दाम निकाल कर के उसको फायदा हो जाये ? इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि एक ओर तो आप भ्रष्टाचार बन्द करने के लिए कहते हैं

(समय—समाप्ति सूचक घंटी)

और दूसरी ओर लोगों पर इतने इतने टैक्स लगाते हैं, इस तरह से भ्रष्टाचार कभी बन्द नहीं हो सकता।

इसी तरह से यहां एक जल बोर्ड बना हुआ है। उस जलबोर्ड की करतूत देखें तो आप देखते रह जायेंगे। The board is a Company of 'Karmath' Netas who distribute dividends without any investment. जलबोर्ड का काम जिन लोगों के पास है उन लोगों की कोठियां बन रही हैं, उनके सोने के जेवर बन रहे हैं। तो मैं यह निवेदन करता हूँ कि यह कह देना कि भ्रष्टाचार खत्म हो, इसका मंत्र हम पढ़ते रहें तो इससे कभी खतम नहीं होगा। इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले जो कार्य करना होगा वह यह है कि जिसके जरिये भ्रष्टाचार होता है उसका उपाय करें। जो गरीब लोग इस लायक नहीं हैं कि वे अपना पेट का ठीक प्रकारसे पालन कर सकें और अपने बाल-बच्चों को खाना खिला सकें, उनको पर्याप्त पैसे मिलने चाहिए। भ्रष्टाचार दो तरह से होता है।

(समय—समाप्ति सूचक घंटी)

भ्रष्टाचार वे आदमी करते हैं जिनके पास पेट भरने के साधन नहीं हैं, जो अपने बाल बच्चों का पेट नहीं भर सकते हैं। उसे हम भ्रष्टाचार नहीं कह सकते। वह जो आवश्यकता है, सरकार को चाहिये कि इन भूखे कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन देकर उनकी भूख मिटावें।

श्री तनसिंह (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष, श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने हम लोगों का जो इस नई विधान सभा के सदस्य बनकर आये हैं, स्वागत किया है इस बात के लिये हम उनके आभारी हैं। लेकिन आज से पांच वर्ष पूर्व जब कि मैं इसी सदन का सदस्य था मुझे कभी उस बात का सामना नहीं करना पड़ा जिस बात का सामना इस सत्र में मुझे करना पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, जिस रोज माननीय

Page No.46

(श्री तनसिंह)

राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत होने वाला था उस दिन मैं एक बेग लेकर आया था तो उस समय मुझे बाहर ही टोक दिया गया और कहा गया कि यह थैला अन्दर नहीं ले जा सकते। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या माननीय सदस्य जो राजस्थान का भाग्य निर्णय करने के लिये आते हैं, जिनका ताल्लुक राजस्थान की खुशहाली से है, उन सदस्यों से ऐसा कहा जाय, मैं समझता हूँ, उचित प्रतीत नही होता। क्या उस थैले के अन्दर बोम्ब्स थे या छुरे थे, बन्दूकें थीं जो मैं सदन में ले जाना चाहता था। मैं बाहर खड़े हुए आदमियों को यह दिखाने के लिए राजी हो गया कि मैं इसमें क्या क्या ले जा रहा हूं। मैंने कहा आपको थैला देखना हो तो देख लो और मुझे जाने की इजाजत दी जाय, ताकि सदन में इस थैले का नमूना बतायें; यह हमारे ऊपर कितना विश्वास है, इस बात से पता चलता है और फिर हमारा स्वागत किया जाता है। राजस्थान के भाग्य निर्णय का हमें अधिकार दिया है, मैं समझता हूं, अच्छा यह होता कि इस प्रकार की बातें होने से पहले हमारे लिये यह सोचा जाता कि हम भी राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि हैं और हम पर भी राजस्थान की खुशहाली का उत्तरदायित्व है।

इसके अलावा, राज्यपाल महोदय ने यह कहा कि हमने आयोजन प्रणाली का आविष्कार किया। इससे यह पता चलता है कि आज से कभी पहले आयोजन का योजनाबद्ध कार्य हुआ ही नहीं था। लेकिन फिर इसके राष्ट्र की आय में वृद्धि हुई है, अन्न की पैदावार बहुतायत से हुई। केवल इस प्रकार कहने और प्रचार करने से काम नहीं चलता। हमें इस बारे में व्यवहारिक दृष्टिकोणसे देखना होगा। आज से पहले जब कि इस प्रकार की आयोजना का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति मे कितना अन्तर है ? आज यह कहा जा रहा है कि लाखों रुपया इन आयोजनाओं में खर्च किया गया, इससे अन्न की उपज बढ़ी ही। अगर वास्तव में अनाज की उपज बढ़ी होती तो आज अनाज के भाव इतने ऊंचे नहीं होते। चाहे आप असंख्य रुपये खर्च क्यों न कर दें, केवल भौतिक साधन उपलब्ध करने से सुख और शांति उपलब्ध नहीं हो सकती। रामराज्य परिषद् का यह ध्येय है कि वह भौतिक की अपेक्षा आध्यात्मिक मूल्यों को ज्यादा महत्व दे। वह इसलिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास अतुल सम्पत्ति और विपुल धनराशि है, केवल इसलिए उसे सन्तोष हो जाय, सुख और शांति मिल सके यह असम्भव है। मैं यह देखता हूं, एक साधारण चपरासी को ही ले लीजिए अगर उसको उच्च अधिकारी भी बना दिया जाय तो भी उसको सन्तोष नहीं होगा, वह आगे और तरक्की पाना चाहेगा कि उसको और प्रतिष्ठा और पैसा मिले। एक साधारण व्यक्ति को यदि प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है तो भी उसको सुख और शान्ति प्राप्त नहीं होगी। केवल भौतिक साधन हमें सुख और शान्ति नहीं दे सकते। शान्ति देनेवाली तो मनःस्थिति है। हम देखते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, दूसरी पंचवर्षीय योजना चालू हुई, अनाप-शनाप रुपया व्यय होने जा रहा है फिर भी विकास योजना बनाने वालों ने इस बात की ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि क्या असंख्य रुपया खर्च करने पर लोगों में सुख-शान्ति पैदा हो सकती है ?

Page No.47

(श्री तनसिंह)

जब तक हम जनता में सन्तोष पैदा नहीं कर सकते हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते और त्याग की भावना नहीं भर सकते। किसी व्यक्ति के पास अनाप-शनाप रुपया भी हो जाय, जब तक इसी बात से उसको सन्तोष नहीं होगा उसको सुख और शान्ति नहीं मिल सकती। इसके लिए मेरा यह निवेदन है कि जहां हम दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू करने जा रहे हैं तो शिक्षा में धार्मिकता और नैतिकता का समावेश होना चाहिए। हम तो आज देखते हैं कि स्कूलों में अनैतिकता और नास्तिकता बढ़ रही है। इन बातों से आदमी में सन्तोष का अनुभव नहीं हो सकता, चाहे कितना ही विकास कार्य क्यों न किया जाय। यह शिक्षा में भारी कमी है। आज की शिक्षा मनुष्य में सन्तोष की भावना पैदा करने में असमर्थ है। इस द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस प्रकार के आयोजन का नामोनिशान नहीं।

इसके अलावा, एक बात और है जो यह कि आज पांच वर्ष का काल समाप्त हुआ किन्तु हम एग्ज़ीक्युटिव से जुडिशियरी को अलग नहीं कर पाये। पांच वर्ष हो गये राजस्थान की सत्ता कांग्रेस के हाथ में आये। राज्यपाल महोदय के भाषण को देखते हुए यही प्रतीत होता है कि अभी पांच साल तक तो जुडिशियरी को एक्जीक्युटिव से अलग करने की बात नहीं। अब हमें देखना है कि क्या वास्तव में जहां यह डेमोक्रेसी है, जहां किसी दल विशेष के हाथ में सत्ता हो और उसी के हाथ में जुडिशियरी हो वहां न्याय की क्या आशा की जा सकती है? यकीन कीजिये, आज भी प्रजातंत्र के युग में हमारे यहां ऐसे कानून हैं जिनके अन्तर्गत बिना किसी को कुछ कहे, कुछ कारण बताये किसी भी आदमी को पकड़ सकते हैं, उसकी पांच छः महीने ही नहीं १२ महिने तक रख सकते हैं। उसके बारे में किसी प्रकार कार्यवाही नहीं हो सकती, ऐसे ऐसे कानून यहां विद्यमान हैं। लेकिन किसी कारण से कोई अलग रहता है तो उस पर भी मुकदमा चला दिया जाता है क्योंकि इनके हाथ में पुलिस है और जो मजिस्ट्रेट फैसला देने वाले हैं उनकी तरक्की, उनके ट्रान्सफर्स उनके हाथ में हैं। अगर सत्ता के लोगों को नाराज कर दिया तो उनको ऊंचे पद से नीचे फेंक सकते हैं, एक मजिस्ट्रेट को सेटलमेन्ट ऑफिसर बना दिया जा सकता है और दूसरे ही दिन शिक्षा विभाग का अधिकारी भी बना दिया जा सकता है। कलेक्टर का कुछ बना दिया जा सकता है। जिन लोगों के हाथ न्याय करने का अधिकार हैं और वे न्याय करने वाले अधिकारी किसी दल विशेष की सरकार के हाथ के खिलौने हैं वैसी स्थिति में न्याय की आशा क्या की जा सकती? इन पांच सालों में जुडिशियरी को एक्ज़ीक्युटिव से सेपरेट करने का प्रजातन्त्रवाद में जो महत्वपूर्ण कार्य था वह नहीं किया गया और न इस संबन्ध में राज्यपाल महोदय ने ही आगे कुछ करने का विश्वास ही दिलाया है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वह है हमारे देश में, हमारे प्रान्त में प्रोहीबिशन को लाना। यह बात बतायी गई है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के समाप्त होते होते नशा-बन्दी पूर्ण रूप से लागू कर दी जायगी। इसके पहले भी मैंने सुना था कि कुछ कार्य-वाहियां इस बारे में की गई कि होटलों और रेस्टोरां में कोई शराब नहीं पी सकता, दूसरी बात यह की गई है कि जिस दिन वेतन मिलता

(श्री तनसिंह)

है उस रोज शराब की दूकानें बन्द रहेंगी इसी प्रकार हफ्ते में एक दो रोज शराब की दुकानें बन्द रहेंगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या केवल शराब की दुकानें बन्द करने मात्र से शराब बन्दी हो सकती है, शराब पीने वाले शराब पीना रोक सकते हैं? अफीम का भाव मेरे ख्याल से ६॥ रुपया तोला है, क्या इस प्रकार भाव बढ़ा देने से कोई चीज खाना रोक सकते हैं, क्या इन चीजों के भाव बढ़ा देने से अफीम की ख्वाहिश को रोक सकते हैं? कदापि नहीं। हमें इसके लिए जनता में प्रचार करने की आवश्यकता है। कोई भी प्रोहिबिशन कानून के आधार पर ही नहीं हो सकता। होगा क्या कि जब द्वितीय पंच वर्षीय योजना का काल समाप्त होने आयगा यहां पर एक कानून ला दिया जायगा और हम लोगों से कहा जायगा कि इस पर अंगूठा लगा दो। जितने भी सामाजिक सुधार आप करना चाहते हैं वे कानून के जरिये हो नहीं सकते। मैं आपके सामने बम्बई का उदाहरण रखूं। वहां के लिए कहा जाता है कि वहां पर पूर्ण रूप से नशाबन्दी लागू है लेकिन मैं आपको अपना उदाहरण दूँ। मुझे कुछ अर्से पहले बम्बई जाने का मौका हुआ। वहाँ के पुलिस अधिकारी ने मुझे शराब ओफर किया। जिस प्रान्त में नशाबन्दी होते हुए और जिनको नशाबन्दी रोकने का अधिकार दे रखा है, जिन पर इसका उत्तरदायित्व है, वे ही पुलिस अधिकारी शराब ओफर करते हैं। यह तो एक ही किस्सा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वहाँ बम्बई प्रान्त में घर घर शराब की भट्टियां हैं, वही हाल राजस्थान का भी होने वाला है। उन भट्टियों के लिये रिश्वतें दी जाँयगी पुलिस में आगे ही करप्शन है। वह और भी बढ़ेगा। इससे पुलिस अधिकारियों के लिये रिश्वतों का बाजार बहुत गर्म हो जायगा।

तो आज यदि प्रोहिबिशन के लिये प्रचार किया जावे, जनता को समझाया जावे तो जनता समझ सकती है, जागरुक हो सकती है और नशे को छोड़ सकती है। पर अफसोस इस बात का है कि इस सरकार को और इसके पक्ष वालों को फुरसत नहीं है, वे तो स्वयं अपने कामों में उलझे हुये हैं। उनको जनता में प्रचार करने और उसे समझाने का समय नहीं है। तो उनको जनता की क्या चिन्ता है? तो अगर चिन्ता नहीं है तो फिर शराब के लिए यहां कोरा कानून लाकर ही वह इसे बन्द करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं होगा।

२.०१ म० प०

राज्यपाल महोदय ने एक बात और बताई कि सरकार ने भूस्वामी समस्या का हल कर दिया। मैं समझता हूं कि उससे जागीरदारी प्रथा को खत्म कर दिया, जमींनदारी प्रथा खत्म करने के लिये कटिबद्ध है। सांप खा जाता है और सात आठ आदमी मर जाते हैं, सात आठ आदमियों को खत्म करने पर भी सांप को महान् कोई नहीं कहता। केवल जागीरदारों को खत्म करने से आप प्रशंसा के योग्य नहीं हैं। आपकी शोभा तो तभी होगी जब कि किसी की चीज खत्म होने पर इसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनसे जो दूसरी समस्यायें पैदा हो जाती हैं उनको आप समुचित रूप से हल करते हैं। इनको समुचित रूप से हल करना बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण काम है। इस उत्तरदायित्व को अब आपने कहां तक निभाया है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, वह आप ही जानें। इन समस्याओं को हल करने में जो सरकार ने

Page No.49

(श्री तनसिंह)

ढील दे रक्खी है, जो लम्बा अर्सा टाला जा रहा है वह बड़ा भारी शक उत्पन्न करता है कि क्या सरकार वास्तव में इस समस्या को सुलझाने के प्रति जागरुक है या केवल बताने के लिये ही है ?

श्रीमान् राज्यपाल ने यह बताया कि बिना वर्तमान पर बलिदान किये भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि बलिदान तो हमारा हो गया और अब भी होता ही जा रहा है। विरोधी दल हमेशा बलिदान का बकरा बनाया जाता रहा है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो स्पिरिट उस पक्ष की आपस में है उसकी छाया विरोधी पक्ष पर भी डालना चाहते हैं। उनको अपने दल विशेष से भी सन्तुष्टि नहीं होती और इधर भी आक्रमण करके सन्तोष प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इधर हम सारे ही रहने वालों को हर प्रकार से बलिदान किया जाता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सभी दृष्टियों से। अच्छा होता कि वे आत्म बलिदान का पाठ स्वयं सीखते तो हम अपने आपको कृतकृत्य समझते।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

राजा श्री मानसिंह (वैर) : Mr. Speaker, Sir, I feel that the Governor'sAddress is nothing but praise on the First Five Year Plan on which we are informed the Government has spent Rs. 50 crores. We all feel, Sir, that this huge amount which has been spent has not been properly utilised. If this amount had been properly spent, a lot more could have been done. Either the wastage has been due to bad planning or the amount has been misappropriated due to corruption, favouritism and lack of supervision.

एक माननीय सदस्य : A bit louder please.

राजा श्री मानसिंह : The Hon'ble Governor has mentioned that the Government is about to take some steps to eradicate corruption. Bribes are openly taken in hospitals, schools and other departments. At present the system is most defective. There is a formation of an Anti-Corruption Branch which enquires into cases of corruption. It has done a lot of good work and has caught many cases red-handed. But on the whole, the object of the system is defeated, Sir, because before the cases are put before courts, a departmental enquiry is held, where the cases are usually hushed up or delayed for two to five years. The only way to prevent this, Sir, is to give more powers to the Anti-Corruption Branch whereby they may put up cases in the courts without going through Departments. I would even suggest, Sir, that the Anti-Corruption Branch could be improved by having efficient officers, responsible officers from all Departments, including technical

Page No.50

(राजा श्री मानसिंह)

departments, included in the Anti-Corruption Branch.

I do not say, Sir, that the Five Year Plan has been a total failure but I do feel that the Five Year Plan has only touched those areas where the Congress hope to win seats. In this respect, Sir, the Five Year Plan has been most successful. We see that the number of the Congress party in this House has increased from 81 to 119.

I have mentioned over and over again that many offlicers take active part in politics. Before the last elections I mentioned in this House that I feared that high ranking officers of the Bharatpur District would take active part in politics. A number of such cases have been put forward before the Government. But I am sorry to note, Sir, that no action has been taken.

There has been no mention in the Governor's Address, Sir, of the heavy industrial policy which has been promised by a State Minister of the Central Government in Bharatpur. I should like to know whether the Rajasthan Government intends to open a Government Wagon Factory at Bharatpur, a Government sugar factory at Rupwas, and a Government cement factory at Bayana. I have even received a communication from the Railway authorities informing me that the Goverement intends to build a branch line from Kosi to Bharatpur via Deeg. In my opinion this would be a sheer waste of public funds and would lay wastage large tracts of good agricultural lands. If a railway line is to be built in Bharatpur I would suggest that a railway line be built from Mathura to Alwar via Deeg or from kosi to Bayana via Nadbai. I would request the Government to put this suggestion before the Central Government.

There is a mention in the Governor's Address of the Government wishing to decentralise power. But I see from time to time, Sir, that the District Boards Act is postponed. Two years have passed and again the Government has postponed the implementation of this act for another year. It is obvious from this policy that the Government is reluctant to hand over power to the rural sector. This policy is also reflected, Sir, in the actions of the Public Service Commission. The Public Service Commission of Rajasthan, as I have mentioned, Sir, is a farce. I feel, Sir, that the Commission is influenced by the party in power and by the Heads of Departments. The services must be given an opportunity by on the grounds of efficiency and qualifications, and not on

(राजा श्री मानसिंह)

grounds of recommendation. I also feel, Sir, that often less qualified candidates from urban areas are given preference to more qualified candidates from rural areas. I would like to see, Sir, that the Government takes certain steps in this matter to see that this is put right.

We all know that the Kharif crop in Rajasthan was a total failure and the Rabi crop also in some areas was severely affected. I was surprised to note that the measures the Rajasthan Government has taken to help the farmers is the opening of cheap grain shops in towns. I should have thought that the Government should have given some remission of land revenue and free distribution of seed. Even in the flood affected areas last year the Government did not remit land revenue. We all talk about helping the farmer in theory, but in practice the story is different. For instance, we are told that Rajasthan will be given a large amount of hydro electric power. Of this, not even one percent has been earmarked for agricultural purposes. At least 30% of the hydro-electric power that will be available to Rajasthan must be allotted for agricultural purposes.

Even so, certain industries are subsidised today by Government and they pay only two annas a unit for the power supplied to them, whereas the poor farmer has to pay three annas per unit for the power which he uses for irrigating his fields, and then he has to sell his crops in competition against the cheap grain shops that the Government has opened in the towns.

Sheep breeding is a major industry of Rajasthan. More than 40% of the wool produced in India is produced by Rajasthan. But it is surprising to note, Sir, that the Central Government Sheep and Wool Improvement Centres, of which there are 32 in India, but not one has been allotted for Rajasthan. Perhaps our Government is too busy trying to do away with party actions rather than trying to improve our own province.

The Governor has talked about socialist pattern of society, to increase production and to decrease unemployment in the province. In this respect, Sir, I should like to say that a good beginning can be made by bringing industries and mnies under cooperatives, in which labour will be given a major share, but if it is not possible for the Government to do it now, then at least the Government should bring in a legislation whereby the labour is guaranteed a share in the profit in addition to their daily wages.

Finally, Sir, I do not want to

(राजा श्री मानसिंह)

say, as one of my friends across the floor is in the habit of saying that this is a "terrible non-sense"; but I do feel that this Address does fall in the same category and it is most disappointing. As such I will appeal to the House that the motion which is before this House should not be passed.

(कई सदस्यों के बोलने के लिए प्रस्तुत होने पर)

एक माननीय सदस्य : माननीय चेयरमेन........

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : महाराजाधिराज ।

महाराजाधिराज श्री हरिश्चन्द्र (डग): चेयरमेन महोदय, सबसे पहले मैं गवर्नर साहब को जो थैंक्स का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं । लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिनकी ओर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहताहूँ । करीब दस साल पहले जब कि राजस्थान कायम हुआ तो उस वक्त जनता में और कर्मचारियों में एक तरह का उत्साह था और वह उत्साह इस बात का था कि राजस्थान बनने पर उनकी तरक्की होगी, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा । इस बात की अभिलाषा थी कि जो नया राजस्थान बनने जा रहा है उसमें हमें बढ़ने का एक मौका मिलेगा । गवर्नर साहब ने अपने भाषण में जो फरमाया है, "यदि हमने अपना उत्साह कायम रखा तो अवश्य ही लक्ष्य तक पहुँच जावेंगे"; मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस जनता में उत्साह न हो वह जनता आगे कभी नहीं बढ़ सकती । आपके सामने, सदन के सामने इस तरह की मिसालें हैं, जापान की । जापान में क्या हुआ ? जापान में एटम बम के गिरने से कितना नुकसान हुआ कितनी गरीबी फैली लेकिन उस देश में एक उत्साह था और इस उत्साह के कारण पांच-छः साल में हिरोशिमा को फिर से बना लिया । इटली में मुझे करीब ३।। साल रहने का मौका मिला । मैंने देखा, वहां की जनता, वहां की सरकार में एक तरह का उत्साह था, जोश था । यह कहने में मुझे बड़ा अफसोस है कि राजस्थान में जो उत्साह दस साल पहले था वह उत्साह मैं आज मौजूद नहीं पाता हूं । उसकी वजह है और वह वजह हमें ढूंढनी चाहिए । वह उत्साह क्यों कम हो रहा है, वह उत्साह कर्मचारियों में क्यों नहीं पाते ? उसकी कोई वजह होनी चाहिए, इसके ऊपर ध्यान और विचार करना चाहिए और अगर यह साबित हो कि उत्साह देश में धीरे-धीरे कम होता जा रहा है तो हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि उसको सही तरीके पर, सही लाइन पर लावें और उस सही लाइन पर कायम रहें । जिस देश में उत्साह नहीं होता वह गिरने लगता है । मैं दो नज़ीरें देता हूं । एक को तो अंग्रेजी में रेड टेपिज्म कहते हैं । काम एक तरीके से चलना चाहिए । लेकिन काम एक विशाल समुद्र में चला जाता है और उसकी कोई पूछताछ नहीं होती है । इसके कारण हैं । जनता सोचती है कि कुछ भी नहीं होगा, जो मांग करेंगे तो उसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा और उनको उत्साह नहीं रहता है और उत्साह कम होता जाता है । यह शोचनीय बात है । हमें उस प्रणाली को तब्दील करना पड़ेगा ताकि जनता की मांगें जल्दी से जल्दी पूरी कर सकें । इस रेड टेपिज्म को खत्म करें । मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहूंगा कि मैंने करीब दो

(महाराजाधिराज श्री हरिश्चन्द्र)

साल पहले राजस्थान सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी और वह चिट्ठी झालावाड़ की जनता की जो मांगें थीं, उन मांगों की ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। मुझे दुख इस बात का है कि आज तक इन मामलों में कुछ नहीं हुआ। अगर इस प्रकार की बातों में डेढ़ साल, दो साल जवाब देने में लग जाते हैं तो हम सोच सकते हैं कि जनता जो मांग करती है उसका क्या होता है? यह शोचनीय बात है। इसमें किसी को बुरा लगना, भला लगना छोड़ देना चाहिए। हमें जरा ऊपर जाना चाहिए, सही बातें हैं वे सदन में कहनी चाहिए। हम इसीलिये यहां आये हैं। सही बातें हैं वे सदन में कहें और उन पर गौर करना लाजमी है क्योंकि यह जरूरी हो जाता है प्रजातन्त्र प्रणाली में।

दूसरा यह है कि मेरे सामने एक प्लान आज आया है, वह है सेकिन्ड फाइव इयर प्लान। यह बहुत अच्छी चीज़ है। अगर प्लान नहीं होता है तो हम किसी रूप में आगे नहीं बढ़ पाते, प्लान बनाना आवश्यक हो जाता है।

किसी देश की तरक्की जब करते हैं तो प्लान पहले बनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ देखने की बात यह होती है कि प्लान कहीं प्लान ही नहीं रह जावे। क्या कागजी कार्यवाही होकर रह जाती है या उसका एग्जीक्युशन हो रहा है या नहीं? मुझे फिर दुःख है कि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां एक सड़क नहीं बनी है, एक भी सड़क नहीं बनी है। यदि इसी तरह हम प्लान बनाते रहेंगे और उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो मुमकिन है प्रजातत्र प्रणाली में विश्वास न रहे क्योंकि जब जनता की मांग पूरी नहीं होती है तो उनका विश्वास चला जाता है और जब लोगों की मांग पूरी नहीं हो तो वे उसको छोड़ने लगेंगे। आप यदि गांवों में जायेंगे और घूमेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां की जनता यह कहती है कि इससे तो हम पहले ही अच्छे थे। तो एक आवाज उठती है कि हम पहले ही अच्छे थे। तो यह चीज़ प्रजातंत्र राज्य के खिलाफ साबित होती है। इस पर सरकार को ख्याल करना चाहिये कि ये बातें प्रजातंत्र के विरुद्ध जाती हैं। उनको समझाने और बताने की जरूरत है कि हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं।

दूसरी बात मैं कहूँगा सर्विसेज़ के ऊपर। क्योंकि मैं साढ़े सात साल तक फोरिन सर्विस में रहा हूँ इसलिये मैं जानता हूं कि सर्विसेज़ को किस तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर एक आदमी यह सोचता है कि जो कर्मचारियों में एक दफा चला गया वह भ्रष्टाचारी है, यह हम मानकर चलते हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि इस तरह की प्रणाली कैसे चल रही है कि जो कर्मचारी सामने आये उसके पहले ही सब की निगाह जाती है कि यह आदमी भ्रष्टाचारी है, यह गलत बात है। लेकिन साथ ही साथ हमको यह जरूर देखना है कि वह उत्साह जिसके बारे में पहले मैंने कहा था वह कर्मचारियों में है या नहीं, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? इसका कारण है और वह कारण यह है कि सर्विसेज के 'ड्यू प्रोमोशन्स' यदि उनको नहीं मिलते हैं और उनके रास्ते बन्द हो जाते हैं तो वे डिस्सेटिस्फाइड होने लगते हैं। मैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट में ७॥ साल तक रहा, मुझे यह मालूम है कि यदि इस तरह की कोई बात होती है तो एक तरह का डिसकण्टेण्टमैण्ट फैलता है और कर्मचारी

(महाराजाधिराज श्री हरिश्चन्द्र)

सोचते हैं कि यह क्या हो गया, फिर उसको मिटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्योंकि हमारा देश अभी हाल ही आजाद हुआ है तो हमें जो जरूरी बातें हैं उनको देखना चाहिये, उन पर गौर करना चाहिये। यदि हमारी सर्विसेज़ सेटिस्फाइड नहीं हैं, उनका काम पूरा नही हो रहा है, उनके दुख दर्द में हम (सहायक) नही हैं तो वे इधरउधर देखने लगते हैं; तो हमारा फर्ज हो जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो मांगें हैं उनके जो ड्यु हैं वे ड्यु उनको हर वक्त मिलने चाहिये। वे कहीं के भी हों, इधर के हों या उधर के, इससे कोई मतलब नहीं लेकिन उनका जो ड्यु है वह हर वक्त मिलना चाहिये। तभी आपके कर्मचारी सेटिस्फाइड रहेंगे, उनमें उत्साह रहेगा और आपके जो प्लान्स हैं उनको वे एग्ज़ीक्यूट करेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहब ने अपने भाषण में चम्बल डेम (चम्बल बांध) के लिए फरमाया है। यह ठीक है कि यह चम्बल बांध बन रहा है। लेकिन काश्तकारों को सिर्फ पानी पहुंचा देने से ही सारी बातें हल नहीं होतीं। अभी जो चम्बल बांध बन रहा है उससे कई हजार एकड़ जमीन में आबपाशी होगी, पानी पहुंचेगा। सिर्फ पानी पहुंचाने से ही काम खत्म नहीं हो जाता है। वहां का जो एग्रीकल्चरल पेटर्न है वह तब्दील होगा। जिस खेत में ज्वार बोते हैं वहां ज्वार नहीं बोयेंगे वहां का पेटर्न चेन्ज होगा। मैं यह इस वास्ते कहना चाहता हूं कि चंद सालों में काफी पानी जायेगा, उसके लिये हमको अभी से प्लान बनाने की जरूरत है कि हम इसमें किस तरह आबपाशी करेंगे, इसकी प्रोड्यूस होगी उसको कहां ले जायेंगे, उसके लिए सड़कें चाहिए। गन्ना वहां पैदा हो जायगा लेकिन यदि वह बाहर नहीं जा सकता तो उससे क्या फायदा होगा ? तो हमें उसके लिए सड़कें बनानी हैं। साथ साथ इतने हजार एकड़ जमीन में गन्ना या कपास बोया जायगा तो उसके ले जाने के लिए सड़कें या फेक्ट्रीज़ चाहिएँ; कहां कहां सड़कें बनेंगी, कहां कहां फेक्ट्रीज लगेंगी, बीज का क्या होगा आदि ये सब बातें वहां के आदमियों को समझाने की जरूरत है। मैं फिर आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसमें भी उत्साह की जरूरत है। मैं वहां के गांवों में घूमा हूँ और मैंने वहां के काश्तकारों से बातें की हैं। मैंने उनसे पूछा कि यहां से पानी निकलेगा तब तुम्हें क्या फायदा होगा ? तब उन्होंने कहा कि पानी तो ५-६ वर्षों में आयेगा, लेकिन हमारी तो अभी से आफत हो रही है। तब उनसे पूछा कि क्या आफत हुई, तब उन्होंने कहा कि पहले कुओं से आबपाशी करते थे लेकिन अब बीच में से नहर निकाल दी इसलिए खेत के दो हिस्से हो गये, एक इधर और दूसरा उधर और सारे का आबपाशी-कर देना पड़ता है। क्यों कि बीच में नला है इसलिए उधर कुए का पानी नहीं पहुंच सकता। इसलिये जो खेत बीच में आये हैं उतने हिस्से की रेन्टल वेल्यू देनी चाहिये जितनी आबपाशी करते हैं और जो दूसरा हिस्सा बीच में है उसके लिए माफी देनी चाहिये। ऐसे आपको कई हिस्से मिलेंगे जहां लोग परेशान हैं। पानी तो अभी ५ साल बाद आयेगा। उनको समझाने की जरूरत है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ सरकार है इसलिए आपकी वाजिब मांग पूरी होगी। लेकिन इस सब के अभाव में वे जानते हैं कि कहां जावें और

(महाराजाधिराज श्री हरिश्चन्द्र)

किसको कहें और यदि किसी को कहें तो कोई सुनवाई नहीं करेगा। तीन-चार साल लगेंगे हम क्या करें ? तो इस तरह की परिस्थिति आपके सामने है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि चम्बल बांध बन रहा है, अभी से उसका प्लानिंग शुरू करें कि कहां सड़कें बनेंगी, कहां कहां फेक्ट्रीज होंगी आदि। इन सब का प्लान अभी से बनाना जरूरी है।

दूसरी बात इस किताब में लिखी है कि सैकन्ड फाइव ईयर प्लान में ५००० के गांवों तक सड़कें पहुंच जायेंगी। इसके लिए मैं कुछ निवेदन करूँगा। जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ वहां कतई सड़कें नहीं हैं। जब राजस्थान बना था और झालावाड़ स्टेट का इन्टीग्रेशन हुआ, उस वक्त मैंने सात लाख रुपये इस सड़क के लिए छोड़े थे जिससे कि वह सड़क (भवानी मण्डी—डग) बन जाय। लेकिन जब राजस्थान सरकार कायम हुई तब यह पैसा जनरल फंड में चला गया और वह सड़क ज्यों की त्यों रह गई। हम आशा करते हैं पिछले ८ वर्षों से कि कुछ रास्ते बन जायेंगे, तरक्की होगी लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर कतई तरक्की नहीं हुई है और हम पहले से भी ज्यादा पिछड़ गये हैं। तो इस तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उससे निवेदन करूंगा कि अगर वह सेकिंड फाइव इयर प्लान को पूरा करना चाहती है तो अभी से उनको जहां जहां पर तरक्की नहीं हुई है, ऐसे कई क्षेत्र हो सकते हैं, जहां कि तरक्की नहीं हुई है मैं अपनी कहता हूं, कोई दूसरा अपनी कहता है, लेकिन जो प्लान है वह सारे राजस्थान के लिए लाभदायक तभी कहा जा सकता है जब कि प्रजातंत्र राज्य जो है, वह ठीक तरह से चल रहा हो। अगर किसी हिस्से में तरक्की हो और किसी हिस्से में तरक्की न हो, तो यह प्रजातंत्र राज्य नहीं। हमें देखना यह है कि राजस्थान जो है और इसमें जितनी जनता है उस सबकी तरक्की हो रही है या नहीं ? अगर नहीं हो रही है तो हम पिछड़ रहे हैं, और अगर हो रही है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि कोटा डिवीजन ऐसा डिवीजन है जहां से गल्ला सारे राजस्थान में पहुँचता है। ऐसी जगह की तरक्की मैं नहीं देख रहा हूं। एक बांध को बना देना ही तरक्की नहीं कहलाता है। जनता में यह भावना होनी चाहिए कि आजादी के बाद हमारी तरक्की हुई है या नहीं ? अगर आप गांवों में जायेंगे तो वहां यह हालत मिलेगी जो कि ५० साल पहले थी।

अब एक और विषय आ जाता है भ्रष्टाचार का। उसके लिए मुझे कहना पड़ेगा कि प्रजातंत्र राज्य में हम सब की अभिलाषा थी कि यह हमारा जो दरख्त है प्रजातंत्र का, इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़े हैं वह औंडी हों, इसका हम यत्न करें और हमारे द्वारा यह फले फूले, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैं जिन गांवों में घूमा हूं, वहां मैंने देखा है कि वहां पर जनता की यह आवाज आती है कि साहब क्या करें, हमारा तो पैसे के सिवाय काम नहीं होता। तो यह जो आवाज है, उससे, मैं कहूंगा कि आज हम सब लोगों का, सरकार का ही नहीं, जितने हम यहां हैं, उन सब का यह फर्ज हो जाता है कि हम देखें कि यह जो हवा चल रही है, यह ठीक नहीं है क्योंकि जो भ्रष्टाचार है उसे या तो सरकार मिटाती है या जनता मिटाती है। अगर सर–

(महाराजाधिराज श्री हरिश्चन्द्र)

कार ने नहीं मिटाया तो हो सकता है, आज नहीं तो १० साल के बाद जनता मिटायेगी। हमको यह देखना है कि जनता जब कोई चीज मिटाती है तो किस तरह से मिटाती है कि इसका कोई ठिकाना नहीं। तो अभी से उसको सम्भाल कर मिटाने की जरूरत है, क्योंकि यह थोड़ा बहुत जो भ्रष्टाचार है, इसको मिटाने की जरूरत है, क्योंकि यह थोड़ा बहुत जो भ्रष्टाचार है, इसको रोकने की जरूरत है, नहीं तो यह दरख्त प्रजातन्त्र का खत्म हो जायेगा और फिर किस तरह से हम आगे बढ़ सकेंगे, इसको आज कहना असम्भव है और मुश्किल है।

अन्त में मैं गवर्नर साहब के भाषण के सिलसिले में धन्यवाद का प्रस्ताव जो रखा गया है, उसका समर्थन करते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

(दो माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : हम दोनों पांच-छः दफा उठ चुके हैं लेकिन आपकी नजर नहीं पकड़ चुके। हमें भी बोलने का अधिकार दिया जाय।

श्री सभापति : श्री नारायणसिंह मसूदा।

एक माननीय सदस्य : नम्बर बाई नम्बर बोलने का अधिकार देने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री नारायणसिंह।

श्री फतहसिंह (भीम) : On a point of order. May I know the names of the speakers who are going to speak now and whether my name is there on the list?

श्री सभापति : Now that the speaker has been named I hope the hon'ble member will have some patience.

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : सभापति महोदय, राज्यपाल का भाषण आज ऐसे समय पर हुआ है जब हम अपनी पंचवर्षीय योजना का एक प्रयोग कर चुके हैं और उसके अनुभव के आधार पर आज हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ कदम उठाना चाहते हैं। हम एक ऐसी प्रगति के मोड़ पर हैं जबकि आज हमें अवसर प्राप्त हुआ है कि हम पीछे घूम कर अपने प्रयोग की खूबियों और खराबियों का धीरे-धीरे विश्लेषण कर सकें और समझ सकें और समझकर, उसके आधार पर, उनके अनुभव पर हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजनाको कारगुजार बना सकें, उसको सही ढांचे और सही ढंग से कार्यान्वित करने के लिये अग्रसर हो सकें। अभी सदन का भी परिवर्तन हुआ है और सरकार ने भी आज एक नया बाना पहना है, यद्यपि कलेवर उसका वही है और यह संतोष की बात है कि आज इससे हमारे प्रयोग एवं अनुभव का क्षेत्र एक प्रकार से अक्षुण्ण रहता है और हम खड़े कदम से आगे बढ़ने का उत्साह रख सकते हैं, आशा रख सकते हैं। ऐसे अवसर पर राज्यपाल महोदय के प्रेरणात्मक ये शब्द हमारे कानों में गूँज उठते हैं और हमें काफी प्रेरणा और शक्ति देते हैं। वे शब्द ये हैं :

"मैं आशा करता हूँ कि आप निरन्तर स्मरण रखेंगे कि जनता ने आप पर भरोसा व विश्वास किया और आप इस सम्मान के योग्य

Page No.57

(राव श्री नारायणसिंह)

बनने के लिये निरन्तर परिश्रम करते रहेंगे।"

यह हमारे लिये आगाह ऐसे समय पर है जब हम एक दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये कदम उठाना चाहते हैं, हम हमारे देश को एक नई प्रगति का रूप देना चाहते हैं। इसके अलावा भी राज्यपाल महोदय ने हमें काफी प्रेरणात्मक और मार्ग दर्शनात्मक सन्देश दिया है कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं और कुछ समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने उन खराबियों की तरफ भी इंगित किया है, उन खराबियों को इकबाल किया है कि जिनको हमने पंचवर्षीय योजना में अनुभव किया हम उन खूबियों और खराबियों को मान कर चलें तो वास्तव में हम प्रगति की तरफ सही और ठोस कदम उठाते हैं क्योंकि जब राज्यपाल महोदय हमारे सामने उन खराबियों को इंगित करते हैं तो हमको यह प्रेरणा देते हैं, संदेश देते हैं, हमको इस ओर अग्रसर करने का तकाजा करते हैं, कि उन खराबियों का संशोधन करके उनको हटा सकें। ऐसे मार्ग दर्शनात्मक वाक्यों के लिये और प्रेरणात्मक भाषण के लिए राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दिये बिना हम नहीं रह सकते और मैं तो यह सिफारिश करूंगा इस सदन से कि हम एक मत हो राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास कर दें। पाश्चात्य पार्लियामेन्ट्री पद्धति से हमने समर्थन और विरोधी पक्ष के रूप में प्रजातन्त्र का वस्तुतत्व समझा है कि यह ठीक है या नहीं, यह अलग बात है लेकिन अगर इस समय हम समर्थन के लिये समर्थन करते हैं अथवा कटौती के लिए काट करते हैं तो हम हमारे देश को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। इस लिए जिस पार्लियामेन्ट से हमने प्रेरणा लेकर प्रजातन्त्र का गठन किया है, व्यवस्थाओं को हमने पार्लियामेंट की पद्धति के अनुसार बनाया है, उनकी तरफ प्रेरणा के लिए हम देखें तो हम देखेंगे कि जब विकट संकट काल आता है, उस समय विरोधी और समर्थक पक्ष दोनों एक साथ होकर एक कार्यवाही करने के लिये आगे आते हैं लेकिन इस समय प्रजातन्त्र में हमें यह महसूस होता है कि विपक्षी दल एक खण्डनात्मक नीति को पकड़ कर बैठ जाता है तो दूसरा दल केवल समर्थन के लिये समर्थन करता है। इससे वस्तुतः दुःख सामने नहीं आ सकता। आज का समय इस देश के लिये बड़ा नाजुक समय है और चारों ओर कई परदेशी राज्य आज उत्सुकता से यह देख रहे हैं कि हमने जो पंचवर्षीय योजनायें बनाई हैं, इनको कार्यान्वित कैसे कर सकते हैं, कई वर्ग हसद से देखते हैं, कई लोग हानि पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं वे स्वतन्त्रता को खलल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर हम आज इन पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने में, दोनों पक्ष, पूर्ण योग देते हैं तो एक पार्टी की योजना ही सफल नहीं होती है, बल्कि देश के निर्माण में हम योग दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा की तरफ एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं।

आज यदि हम देश की हमारी अन्दरूनी दशा को पुख्ता नहीं कर सकते तो याद रहे हमारे चारों तरफ जो खतरे हैं वे हमें खा जायेंगे, बजाय इसके कि हम उनको हजम कर सकें।

आज हमारे लिये यह आवश्यक नहीं है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के अचीवमेंट टार्जेट्स और अचीवमेंट फीगर्स को देख कर

(राव श्री नारायणसिंह)

एक आराम कुर्सी की नींद सोयें, आत्म सन्तोष की नींद सोयें, यह आज हमारे लिये अवसर नहीं है, न यह अवसर है कि केवल खंडनात्मक नीति को अपना लें। हमें आवश्यक है कि हमारी कार्यवाही, जिम्मेदारी, जवाबदारी इस धारा सभा की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं बल्कि इसकी छाया बाहर भी पड़ती है, उन क्षेत्रों और उन स्थानों पर पड़ती है जहां की जिम्मेदारी हम लेकर आये हैं, इस बात को आप न भूलें और यदि हम आपसी कसमकस, विरोध और समर्थन की लीला में उनको भूल जाते हैं तो हम उनके प्रति बड़ा अन्याय करते हैं। हमारे लिये आज यह भी आवश्यक नहीं है कि एक क्षेत्र पर ही ध्यान केन्द्रित करके, चूंकि वह हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र की ही सिफारिश करें; हमें केवल उनकी ही नहीं सभी संलग्न क्षेत्रों की सिफारिश करनी होगी जिन पर हमारी कार्यवाही का असर पड़ने वाला है।

आज हम सन्तोष के साथ श्रीमान् राज्यपाल के भाषण में पढ़ते हैं कि कई करोड़ों की धन-राशि योजना और अन्य प्रकार की योजनाओं पर खर्च हुई। हम यह भी पढ़ते हैं कि अनाज की कमी दूर हुई है, गांवों में जागृति हुई, धन्धे चालू हुए, कई प्रकार की वृत्तियां चालू हुई जिनसे देश आगे बढ़ने की तमन्ना रखता है। किन्तु इसके साथ हमें उस बात को नहीं भूलना चाहिये, उन शब्दों को नहीं भूलना चाहिये जो एक अर्थ विशेषज्ञ ने कहे हैं :

"we have only made people more conscious of thepr depressed position than before."

यदि ऐसी बात लोग कह सकते हैं तो हमें बहुत गहरा विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि हमारे अन्दर नुक्स कहां रह रहा है। अभी अभी हमारे चुनाव निकले हैं, उस समय हमने अनुभव किया कि जनता के, ग्रामीणों के मुख पर एक उपहास की रेखा हमारे कार्य के प्रति थी, ग्रामीण शिकायत करते थे और बताते थे कि फलां सड़क अधूरी रह गई, फलां सड़क श्रम से बनी पर वर्षा में धुल कर खराब हो गई, फलां जगह बीज नहीं बंटा, फलां जगह खाद नहीं पहुँचा, भीलों के नये घर बनाये गये, पर वे अधूरे और बिना छत के अधूरे रह गये, फलां जगह पर हमने तकावी की कोशिश की और इस तकावी की कोशिश में किसी को मिल गई किसी को नहीं मिली, जिसको मिली उसको भारी भ्रष्टाचार के इन्द्रजाल को पार करके मिली। इस मौके पर कुछ विशेषज्ञों के ये शब्द भी सुनने को मिलते है :

"The Second Five Year Plan is little more than a programme of public expenditure."

और भी जब हम यह सुनते हैं कि हमारा पहला प्लान मुतवातिर जो आगे चला है उसका कुदरत ने भी साथ दिया है। उसके मुताबिक अच्छे साल हुए हैं, अच्छी पैदावार हुई है ..

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

यदि इतना ही समय मुझे दिया तो मेरे विषय का प्रतिपादन नहीं अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा.......

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : १५ मिनट का समय सब के लिए निर्धारित हुआ है, इसलिये मैं मजबूर हूं।

Page No.59

राव श्री नारायणसिंह : ऐसी दशा में त्रुटियों रहें तो उन त्रुटियों की तरफ से हमें आंखें मूंदने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारी योजना को जांचने के लिये चार पांच पहलू ऐसे हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये। एक तो है नियोजन, दूसरा है अंकन व्यवस्था, तीसरा प्रशासनिक ढांचा, चौथा समाजवादी दृष्टिकोण। यदि इनके आगे अपर्याप्त शब्द जोड़ दें तो अतिशयोक्ति नहीं। हमारा नियोजन ऊपर से होता है और वह ऐसा कि जिसके लिए एक विशेषज्ञ ने कहा है :

"Method of discussion of teams of Ministers of State representatives with teams from planning Commission resulting in figures which evolve out of negotiation than of technical examination and study of actual facts."

इस प्रकार हमारा नियोजन ऊपर से शुरु होता है; तो स्वाभाविक है कि कई स्थानीय जरूरतें ध्यानान्तरित हो जाती हैं, कई प्राथमिकताएं ध्यानान्तरित हो जाती हैं और कई शोर्ट फाल होते हैं, कई प्रोग्राम लक्ष्य से ऊपर पहुंच जाते हैं और कोई प्रोग्राम ऐसे शुरू हो जाते हैं कि वे प्रोग्राम बीच में ही अटके रहे और बोटलनेक्स ट्रान्सपोर्ट आदि की डेवलप हो गई। हमारा नियोजन ऊपर से शुरू होता है, इसलिये ऐसा होता है। असल में हमारा नियोजन का कार्य नीचे से, गांव–गांव से शुरू होना चाहिये। गांवों की पंचायतों को कई कानूनी हक दे दिये हैं, पर अर्थ व्यवस्था के लिये पूरी पूरी जिम्मेदारी महसूस करने का अवसर नहीं दिया गया है। आवश्यक यह है कि हर गांव बैठ कर यह ढांचा बना सके कि कितने इसके नीचे उद्योग धन्धे होने चाहिए, कौन कौन से काम होने चाहिये कि पूर्ण अर्थों में वे लोग स्वावलम्बी बन सकें, पूरा उत्पादन एवं उद्योग विकास का वे स्थानीय नियोजन करें और फिर ऐसे नीचे से उठे विकास नियोजन को स्थानीय विकास विभाग टेक्नीकल बाना पहना दे। उनके आधारपर सारा नियोजन हो तभी वह नियोजन सही और असली हो सकता है।

अंकन व्यवस्था के बारे में ५२ के पहले हमारे पास बहुत कम आंकड़े थे, कई रियासतों में बंटा हुआ हमारा राजस्थान था, कई जागीरदारियों में बंटा हुआ था, और ऐसे रजवाड़े ..जागीरों में अंकन व्यवस्था की काफी कमी थी। ऐसे आधार पर हमने जो अंकन किया उसमें स्वाभाविक गलती रही, इस प्रकार की दिक्कत आई, इन्डियन डेलिगेशन जो यहां से चीन गया था तो उसने यही बात अपनी रिपोर्ट में कही कि चीन में भी ऐसी दिक्कतें योजना पूर्व थीं। पर आगे की अंकन व्यवस्था में भी इसके साथ ही माप दंड........

(समय सूचक घंटी)

मैं थोड़ा समय और लूंगा।

श्री सभापति : कितना समय चाहिये ?

राव श्री नारायणसिंह : १०–१५ मिनिट चाहूंगा।

श्री सभापति : १०–१५ मिनिट लेंगे तो और भी बोलना चाहते हैं, आप बजट के समय बोलें।

श्री राव नारायणसिंह : मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम समय लूं।

श्री सभापति : ५ मिनिट में समाप्त कर दीजिये।

राव श्री नारायणसिंह : हमने माप दंड ऐसा बनाया है अंकन व्यवस्था में कि इतना टन अनाज दिया, इतना टन उर्वर दिया, इतना खाद दिया कि इतना टन उपज बढ़ ही गई। पर हमने यह नहीं देखा कि जो बीज दिया गया वह कहीं काश्तकार के बजाय काश्तकार के हाथ से फालतू दूसरे लोगों के पास तो नहीं चला गया। जो तकाबी दी गई वह जिस काम के लिए दी गई उसी काम पर खर्च न की जाकर गलत रास्तों पर तो खर्च नहीं की गई; ऐसे माप दण्ड पर बना अंकन कहां तक पर्याप्त माना जाय ?

इसी तरह प्रशासनिक ढांचे की ओर भी संकेत करना चाहता हूं। यह ऐसी गम्भीर चीज है, एक ऐसा औजार है जिसकी मार्फत हमारी योजना सफल या असफल हो सकती है। वही अपर्याप्त हो तो ज्यादा आशा नहीं। वहां काफी टेक्निकल केडर बनाने की आवश्यकता है; जैसे उदाहरणार्थ भारतीय एविएशन है, उसके डाईरेक्टर बना दिये, शंकर प्रसाद जो अजमेर के चीफ कमिश्नर थे। आई० ए० एस० को सब जगह ठूँसा जाता है, सर्वग्राही सर्वज्ञ समझा जाता है तो हमारा बमक पर्याप्त रूप में नहीं हो सकता। प्रशासनिक ढाचे में बी० डी० ओ० आदि स्थानीय विकास योजनाओं में रखते हैं वह भी स्थानीय हों, ऐसी मेरी सिफारिश है। सिविल सर्विस से जो लोग आते हैं उनमें वही असलियत एवं इम्पीरियलिजम की बू होती है। कई स्थानीय अनुभवी जन सेवक हैं; किसान भी हैं, उनकी ऐसे स्थान पर नियुक्ति करने की जरूरत है। इस प्रकार से जो एग्रीकल्चरल ओफिसर वहां डेवलपमेंट ब्लोक्स पर जाते हैं, वे भी स्थानीय ही हों, स्थानीय लोगों का अनुभव काफी स्थानीय एवं प्रत्यक्ष व्यावहारिक होता है। इसमें यदि उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करके नियुक्त किया जावे तो सुधार हो सकता है। टेक्निकल एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग के लिए उन्हें इन सर्विस पार्ट टाइम ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। कहना तो काफी है लेकिन समय की कमी के कारण में कुछ समाजिक दृष्टिकोण की कमी के बारे में इशारा करूंगा। यहां पर मालिक और मजदूरों की समस्या हमारे सामने आती है। इसको हल करने के लिए हमने कई तरीके सोचे और इसके लिए कई कानून भी बनाये। हमने न्यूनतम वेतन भी नियत किये और कोशिश की कि इससे मजदूर लोगों को लाभ पहुंचे। मगर मजदूरों को मिल मालिकों ने किसी न किसी प्रकार से अपने हथकन्डों में रखा और उनका कोई हित न हो पाया। यहां पर मैं यह सुझाव दूंगा कि मजदूरों का भी इतना ही हिस्सा इन्डस्ट्री में समझा जाना चाहिये जितना उनका लेबर क्वान्टम, मजदूरी का संयोग हो।

(घन्टी)

इसके बाद मालिक मजदूर और सरकार का संयुक्त योग हो समूची इन्डस्ट्रियल व्यवस्था में।

श्री फतहसिंह (भीम):—Mr. Chairman, Sir, a very heavy responsiblity of service to the people rests on our shoulders. We are all like members of the same family; whether we sit on this side or that side of the House, is entirely different and immaterial. Mr. Speaker (Chairman), Sir, we have

Page No.61

(श्री फतहसिंह)

one common object—to achieve social security in the State of Rajasthan by fighting against want, disease, ignorance, squalor and unemployment. Mr. Speaker (Chairman), in his address the Governor referred to many things which this Government propose to do in the coming year to bring confort and relief to the people. But it was most disappointing that he didn't mention anything about one very important problem-the separation of the Judiciary from the Executive which has been taxing and agitating the mind of the intellegentia and the members of the bench and bar alike for a very long period particularly after the attainment of the Independence. Mr. Speaker (Chairman), the separation of the Executive from the Judiciary is one of the directive principles of our Constitution. Sir, an officer who combines in himself the functions of the Executive and the Judiciary cannot be expected to be impartial and dispense with Justice justly because he has an executive bias. Sir, the Tehsildar, the S.D.O. and the Collector who are entrusted with judicial work cannot dispense with justice justly, because they are primarily responsible for executive work, and they have got an executive bias. Sir, I was a member of the Legislative Assembly of Ajmer State also. I had brought a resolution in that Assembly for the separation of the Judiciary from the Executive. That resolution was discussed and the Government had assured that Judiciary will be separated in the State of Ajmer with effect from the 15th of August, 1956. That has not been done so far. Sir, the State of Rajasthan as a successor State of the State of Ajmer is bound to do everything that the Ajmer Government had committed. Time is so short that I cannot make myself clear on this point here, but I would like to know from the Government, what policy it proposes to follow to bring about this separation of Judiciary from the Executive in the State of Rajasthan.

Sir, it was most disapointing that whereas the Governor referred to many things which this Government propose to do in the State of Rajasthan in the coming year and recounted the doings of the Government in the past, but he failed to make a mention of a very important happening in the history of Rajasthan polities in the last 5 years. That was the integration (merger) of the State of Ajmer in the State of Rajasthan. Sir, the policy of the Government has shown lack of far-sight and experience in dealing with the problem of service personnel created as a result of the integration of Ajmer into Rajasthan. There have been reversions in the

(श्री फतहसिंह)

post and reductions in the pay and allowances of service personnel. It has not only caused discontentment amongst them, but has lowered their morale and efficiency too. Sir, those Government servants were recriuted on certain terms and conditions by the Ajmer State, a State established by law and constitution. The State of Rajasthan as a successor State of Ajmer is bourd to honour the terms of agreement entered into between the State of Ajmer and the public servants. Sir, it is absolutely illegal and unconstitutional to revert or reduce the pay of any of the public servants of the former State of Ajmer. In this connection, Sir, I would like to draw attention of the House to sections 115, 116 and 117 of the States Re-organisalion Act, 1956. According to the spirit of these Sections the services are to be protected and the same rights are to be given to them which they enjoyed prior to the appointed day. Clause 5 of Section 115 lays emphasis on the point that the conditions of services shall not be varied to the disadvantage of the incumbent, public servant, except with the previous approval of the Central Government. The proviso of Section 115, Sir, contemplates the formation of an Advisory Committee by the Central Government for the purpose of assuring fair and equitable treatmant to the services affected by the integration. All these things show that the Act of Parliament had ben specially particular that no prejudices should be caused to the public servants after the integration of one State to another. Sir, all these public servants of Ajmer the former State of Ajmer, would have continued in their posts and would have drawn the same emoluments if there had been no merger of Ajmer in Rajasthan. So what I am going to say or request to the Government is that they should study the position legally and constitutionally and undo the wrong done to the service personnel of the farmer Ajmer State.

Sir, coming to the corruption, the people feel that corruption has led to slackness and inefficiency in the administration. Corruption, bribery, favourtism and re-tapism have become so extensive that no part or I should say very few part of the administrative machinery will move until and unless they have oiled so to say, by gold and silver earned by the toil ane sweat and blood of the common people.

३. म० प०

A common man in the street feels that corruption in the administration was never so great as it is today. Anyhow, it is gratifying to note that this Government is thinking seriously to root out corruption from the administra-

(श्री फतहसिंह)

tion. So let us see where the shoe pinches ? To me, there are two main causes of corruption in the administration. Firstly, inadequate pay of public servants and secondly, the interference of the Ministers and the party in power in the day-to-day administration of the State. As for the fact that the pay of the public servants, particuarly low-grade ones, is inadequate, there are no two opinions. Sir, a constable of police, for example, gets Rs. 45-per month, having a big family of five to support. How can you possibly expect him to remain honest ? It is not possible. What will he do ? He will be forced by circumstances to indulge in corrupt practices. I once happened to meet a Sub-Inspector of Police, reputed to be very corrupt. He told me that he had a big family to support, whereas the pay that he was getting was very small, and moreover he was frank to say that he has to entertain certain officers; inspectors, Dy.S.Ps. and S.ps.when they visited his police station. So he told me that he was compelled by circumstances to indulge in corrupt practices. Therefore, Sir, if corruption is to be rooted out, the pay of public servants must be increased by legislation. I would not mind being texed indirectly for this if I can be spared of the humiliation of direct taxation by corrupt officials.

Coming interefronce of Ministers and the party in power in the day to day administration, we daily see the khadi-clad leaders-no reflection on anybody sitting on the other side-hovering round Govrnment offices, trying to get some thing done either for themselvss or their friends or relatives by hook or crook, rightly or wrongly. At this stage, Sir, I should be allowed to mention an event that has impressed me considerably. About six years ago I was at Lucknow, Sir, in the Army. One afternoon I had gone to Hajrat Ganj, the main business centre, with two army officer, friends of mine. What did we see there ? A thelewala was crying 'Money-making machine for four annas." A very interesting thing to hear. We went there. What did we see ? A thelewala surrounded by pedestrians on the main road in front of the Assembly House. What did he do ? He was selling white Gandhi cap for four annas each, Sir. A common man in street feels that corruption has identified itself with the power and influence which the ruling party commands or exercises. Corruption and have Congress become synonimous.

Therefore, it is in the hands of the Government, particularly, Ministers to stop corruption. If this interference by the Ministers and the party, in power, in the day-to-day administration of the state is stopped,

(श्री फतहसिंह)

I assure the House that half the corruption, three fourth of the corruption would end today, and the remaining one-fourth will end as soon as the pay of Government servants is increased.

Sir this Government aims at establishing a socialistic pattern of society in the State. But do the action of the Government justify such an aim ? I am told from a reliable source that in village DABOK near Udaipur thousands of bighas of agricultural lands have been given free of charge to a class of people who are not agriculturists by profession. On the one hand the Governor says that this Government aims at abolishing land lordism-the zamindari, whereas in practice, by actions, this Government is creating new landlords. I have very little time to go in detail about it.

Sir, recently we heard of an increment in the pay of Government servants. A chaprasi's pay was increased by Rs. 5/- only whereas the pay of big public servants was increased by big amount. Is this the way of achieving the socialistic pattern of society ? You are giving more to one who has already more and you are giving less to one who has less.

Sir, coming to the problem of unemployment. It is the primary duty of the State to give social security to the citizens of that State, and one of the main functions of the State is to end unemployment. In this connection I would like to tell this House that a young educated man of Nathdwara who had gone to Udaipur in search of employment committed suicide because he could not get employment. It is our duty to see that no one, no educated man dies of starvation. I want this Government to think seriously about finding the solution of the unemployment problem.

Sir, the Governor talked about construction of roads in Rajasthan. Roads have indeed done good to the people of Rajasthan and they will do good.........

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : The time is already over, I think, Sir.

श्री फतहसिंह : I would take only five minutes. You had taken 15 minutes more. Under the National High-way Scheme, hundreds of bighas of agricultural land in the Bhim Sub-Division has been forcibly taken over by the Government but before doing so, neither the consent of the owners was obtained, nor were any acquisition proceedings taken. In their zeal to widen and straighten the roads this Government forcibly dispossesed the owners of land from the land which they and their ancestors had improved at considerable expense and hard labour. Sir, in

Page No.65

(श्री फतहसिंह)

Merwara there is scarcity of agricultural land. This point ought to have been borne in mind and must be borne in mind whenever roads are constructed in that area. All the existing roads in Merwara were constructed during the British regime and every precaution was taken to see that not an inch of agricultural land was destroyed by Government. Is it not a pity that an alien Government did not destroy an inch of agricultural land, while the popular government is destroying hundreds of bighas of agricultural land of poor Kisans.

Coming to development. But I may be excused if I take one or two minutes more. Sir, development has done a lot of good to the State and will do good to the State. But I want to draw attention of the Government through you, Sir, that in opening development blocks, party consideration should not come in. Bhim Sud-division is one of the most backward and underdeveloped area of the State. A developtment block ought to have been opened there long ago but it has not been done so. In the last general elections the main propaganda of the Congress party was that if the people wanted devolopment block to be opened there, they must vote for Congress. I should be permitted to say, Sir, that two responsible Ministers of Rajasthan State who had gone there for their party propaganda had also spoken in the same tone. I hope it was just a joke and an election student. To deprive people of the benefits of the development plan, simply because they had not returned a Congress candidate from that area, will be dictatorial, cruel and unconstitutional, besides being not conducive to the good functioning of democracy in the country. Therefore, I want to impress upon the Government that while opening development blocks they should not take into consideration, as to from that place a particular congress candidate has or has not been returned.

And, Sir, coming to law and order. Law and order situation in our Rajasthan has no doubt been improved ever since the present I.G. took over. But the credit for this should not go to Government alone. The people also played their part in this drama. There have been several instances-or at least one instance which I know of, that was in the Beawar Sub-Division, the police informers, nose and ears were cut be dacoits. So I was saying that the whole credit for liquidating the dacoits would not go to the Government alone.

I must be allowed to say at this stage that the A. D. F. posted to liquidate dacoits, had commited more crimes on the people than the cirmes commited by the dacoits on the people in any area. The

Page No.66

(श्री फतहसिंह)

A. D. F. extorted money and tortured the innocent people with ruthless barbarity. Sir, the people say, and rightly so, that if the A. D. F., the anted dacoity force, had been absolutely honest and behaved with integrity than the liquidation of this menace of the dacoits would not have been delayed so long. Sir, armed dacoits have been liquidated, but now we have unarmed dacoits clad in pure white khadi committing dacoities in the broad day light in a non-voilent way.

I am stressing the point that such people should not interfere in the day-to-day administration and indulge in corrupt practices.

I think I should not take more time. Thank you, Sir.

श्री सम्पतराज (अकलेरा): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण इस सदन में हुआ है उसके लिए हम उनको धन्यवाद अर्पित करते हैं। इस भाषण में जहां प्रगति का लेखा उपस्थित किया गया है वहां शासन में कुछ खामियां रह गई हैं उनको भी उदारता पूर्वक स्वीकार किया गया है। इसलिये मैं राज्यपाल महोदय को उनके भाषण के लिए धन्यवाद अर्पित करता हूँ। शासन में जो खामियां हैं छोटी छोटी, उनके लिए मैं कुछ सुझाव पेश करना आवश्यक समझता हूं ताकि आयन्दा पाँच सालों में जनता की तकलीफें मिटाने में मेरे सुझाव सहायक हो सकें।

डाकुओं की संख्या निरन्तर कम हुई; इस मामले में शासन ने काफी सफलता प्राप्त की है। मगर मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना आवश्यक समझता हूं कि ग्रामों में चोरियों की तादाद बढ़ी है। सब से पहला निवेदन मेरा यह है कि २० रुपये तक की चोरी की रिपोर्ट पुलिस दर्ज ही नहीं करती। ५० और १०० रुपये तक की चोरी की रिपोर्ट भी २० रुपये की बताई जाकर दर्ज नहीं की जाती। पुलिस पंचायत का रास्ता बता देती है।

अध्यक्ष महोदय, यह सब साहबान को विदित ही है कि धारा ३७९ और ३८० भारतीय दण्ड संग्रह दस्तंदाजी पुलिस है। जब तक पार्लियामेन्ट इसमें संशोधन नहीं कर देती पुलिस २० रुपये तक के मामले दर्ज करने से इन्कार नहीं कर सकती। उनका इस विषय में इन्क्वायरी न करना अवैधानिक कार्य है।

इसके अलावा सभापति महोदय, जहां तक सिंचाई का ताल्लुक है हमारी सरकार ने प्रगति की है। मगर छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। झालावाड़ जिले के किसानों की ओर से करीब ७-८ लाख रुपये तकावी के रूप में मांगे गये कूए खोदने के लिए किन्तु रुपये कम होने से लाखों रुपयों की दरख्वास्त तहसीलों द्वारा खारिज कर दी गई। यह तो ऋण था जो सरकार को उदारतापूर्वक देना चाहिये था। बजट में कमी रहने के कारण वह रुपया नहीं मिल सका, इससे किसान लोग कूए बनवाने से महरूम रह गये। अगर तकावी पूरी तरह से मिल जाती तो कूए बनने से पैदावार बढ़ती और किसानों की आर्थिक दशा उन्नत होती और पैदावार के ज्यादा बढ़ने से अनाज के

(श्री सम्पतराज)

भाव सस्ते होते तथा किसानों की बेकारी भी मिटती।

झालावाड़ जिलेके पास गांधी सागर बांध का निर्माण होरहा है जो मन्दसोर जिले में है। उस बांध से इन्दौर, उज्जैन आदि जो व्यापारिक स्थान हैं उनको कारखानों की सुविधा के लिए बिजली मिलेगी, लेकिन झालावाड़ को बिजली नहीं दी जायगी। मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि झालावाड़ जिले को भी यहांसे बिजली की छोटी लाइन दी जाय ताकि यहां पर भी छोटे-मोटे कारखानों का निर्माण हो सके।

झालावाड़ जिले में सीमेन्ट और तांबा प्रचुर मात्रा में मौजूद है जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। अगर वहां इसके कारखाने खोले जाते हैं तो झालावाड़ जिले की बेकारी दूर होगी और वहां उद्योग-धंधे के पनपने से राज्य सरकार को लाभ होगा।

इसी प्रकार झालावाड़ जिले के अन्दर गन्ने की पैदावार भी काफी होती है। वह गन्ना केवल गुड़ बनाने के ही काम आता है। इससे काश्तकारों को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर तीनधार पर शूगर फेक्ट्री लगा दी जाय तो खानपुर तहसील अकलेरा व असनावर तहसील तथा बकानी तहसील के काश्तकारों को लाभ मिल सकता है और इस तरह से इन्डस्ट्रीज भी पनप सकती हैं।

जहां तक सड़कों के निर्माण का सवाल है राजस्थान में ६०५ मील सड़कें बनी हैं। यह ठीक है, झालावाड़ जिला इससे अछूता रहा हो, यह नहीं कह सकते। फिर भी झालावाड़ की कई तहसीलें ऐसी हैं जो आज तक पक्की सड़कों से नहीं मिलाई गई हैं। झालावाड़ से खानपुर तहसील, मनोहरथाना, पिडावा डग व गंगधार आदि तहसीलें ऐसी हैं जो पक्की सड़कों से नहीं मिली हैं। झालावाड़ से बकानी सड़क भी ३ मील अत्यन्त खराब हो रही है, इसी तरह बकानी से बरखेरा पांच मील और मनोहरथाना से महाराजपुर १२ मील पक्की सड़क बना दी जाती है तो उसका इन्दौर उज्जैन के व्यापारिक शहरों से संबन्ध हो सकता है और इन कस्बों की बेकारी दूर हो सकती है।

एक महत्वपूर्ण चीज की ओर सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह है हरिजनों के उत्थान के लिये। वैसे तो हरिजनों के उत्थान के लिये काफी कार्य राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे हैं लेकिन इतना होते हुये भी झालावाड़ जिला एक ऐसा जिला है जहां हरिजनों द्वारा बेगार ली जाती है, वहां के चर्मकारों को बेगार के लिये मजबूर किया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूं कि इस युग में जब कि आजाद हुये १० साल हो चुके हैं, हमारे हरिजन बन्धुओं को भी संविधान का लाभ मिलना चाहिये, बेगार बन्द होनी चाहिए, पूरी मजदूरी मिलनी चाहिये।

शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने प्रगति की है लेकिन हमें इस प्रगति से सन्तोष नहीं होना चाहिये। मेरा निवेदन है कि प्रत्येक तहसील में एक हाई स्कूल अलग होना चाहिये और प्रत्येक पंचायत के सदर मुकाम पर एक एक मिडिल स्कूल व औषधालय भी होना चाहिये। जहां तक मेरी तहसील बकानी का सम्बन्ध है वहां एक मिडिल स्कूल सन् १६१६ से चला आ रहा है। आज ४० वर्ष बाद भी वह मिडिल स्कूल ही बना हुआ है। इसलिये मैं

(श्री सम्पतराज)

निवेदन करूंगा सभापति महोदय, कि वहां पर हाई स्कूल की स्थापना करने की इसी वर्ष कृपा की जाय ।

राजस्थान सरकार ने बीज का वितरण करके किसानों को लाभ पहुंचाया है । पर बीज नाकाफी है, सारे किसानों को नहीं मिलता, उनको बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं । मैं इसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । कृषि कार्य के लिए रुपया और बीज की किसानों को आवश्यकता पड़ती है । सहकारी विभाग का यह हाल है और उसके कर्मचारियों का रवैया ऐसा है कि एक-एक साल और पंद्रह-पंद्रह महीने हो जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है, सहकारी समितियों की रजिस्टरी नहीं होती है। इधर बोहरगत सिस्टम खतम हो गया और उधर सहकारी संस्थाओं का यह हाल है, तो ऐसी स्थिति में किसान आज अधर में भूल रहा है सहकारी विभाग की सुस्ती तुरन्त मिटानी है ।

वन विभाग का जहां सवाल आता है राजस्थान के अन्दर झालावाड़ ऐसा जिला है जहां वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसान बेहूदा तौर पर सताये जाते हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि हालत यहां तक पहुंच गई है कि कोई भी उच्चाधिकारी या एम०एल०ए० उनके पास पहुँचते हैं तो वे रो पड़ते हैं । यह विभाग चारों ओर से उनको लूट रहा है और सता रहा है और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है । समय कम है इसलिये मैं निवेदन करूंगा वक्त आवेगा तब कि क्या क्या अत्याचार उन पर होते हैं ? मैंने वन मन्त्री महोदय से भी कहा था इन बातों के बारे में और खुशी है मुझे कि उन्होंने सुना और उनकी तकलीफें दूर करने का आश्वासन दिया । पर फिर भी मामूली कार्य से या उनकी शिकायतों को मामूली सा दूर करने से काम नहीं चलेगा । यह वन विभाग का रोग बड़ा गहराई से घुसा हुआ है । इसमें तो जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस रोग से छुटकारा नहीं होगा और लोगों को सन्तोष की सांस नहीं मिलेगी । इसमें भ्रष्टाचार ऐसी गहराई से घुसा हुआ है कि नीचे से ऊपर तक के कर्मचारी इसमें गर्क हैं ।

जंगलों की रक्षा का जहां तक सवाल है सरकार ने काफी रुपया इसके लिये रक्खा है, पर इन गत दस सालों में जहां एक ओर सरकार वनों की रक्षा के उपाय सोच रही है वहां ये वन विभाग के कर्मचारी वनों का सत्यानाश कराने के काम में लगे हुए हैं, इस तरह कि भ्रष्टाचार करके ठेकेदारों से पैसा लेकर उनके द्वारा काफी जंगलों को बरबाद करवा दिया है । आज तक इतनी भारी क्षति जंगलों की हो चुकी है कि उसकी पूर्ति सौ, दो सौ साल में हो सकेगी, वे जंगल अब सौ, दो सौ सालों में जाकर पनपेंगे । इस वन सम्बन्धी रोग को मिटाने में सरकार प्रयत्न करे और इसके लिये मेरा सुझाव है कि ठेकेदारी पद्धति से जंगल कटवाना बिलकुल बन्द कर दे । रेंजर दो सौ, पांच सौ रुपयों के पीछे जंगल को कटवाने की आजादी ठेकेदारों को दे देता है । अगर यही हालत रही तो झालावाड़ा जिले में खेती के लिये भी लकड़ी का मिलना कतई बन्द हो जावेगा ।

भ्रष्टाचार की समस्या का जहां तक सवाल है यह रोग न केवल झालावाड़ जिले में या राजस्थान में ही घुसा हुआ है बल्कि

(श्री सम्पतराज)

सारे हिन्दुस्तान में घुसा हुआ है और इसके लिये हम केवल मात्र सरकार को ही दोषी करार नहीं दे सकते, इसमें जनता भी दोषी है। जनता में से ही जो लोग सरकार में जाते हैं। तो इस तरह से हम भी जिम्मेदार हैं और आखिर लेते वे हैं तो देते तो जनता में से ही हैं। तो इसके लिये तो हमें अपने चरित्र को पहले सुधारना चाहिये, चरित्रवान लोगों को आगे बढ़ाना चाहिये, उन्हें समाज में इज्जत देनी चाहिये। साथ ही सरकार को भी अपने प्रशासन को सुधारने की कोशिश करनी चाहिये।

जनता की दो शिकायतें हैं। प्रार्थना-पत्र देते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती और दूसरा भ्रष्टाचार बन्द नहीं होता। जो शिकायत की जाती है तो जिस विभाग की शिकायत की जाती है उसी विभाग के उच्च अधिकारी के पास भेजा जाता है। नाकेदार की शिकायत हुई तो रेन्जर के पास, कानूनगो या पटवारी की तहसीलदार के पास भेज दी जाती है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में उसका कोई ठीक परिणाम निकलेगा? जो सारे के सारे नीचे से ऊपर भ्रष्टाचार में गर्क हैं वे ही क्या उसको सुनेंगे, उसकी ठीक तरह से जांच करेंगे? इस बारे में मेरा सुझाव है कि जिसकी शिकायत हो उसकी जांच उस महकमे से नहीं करवा कर दूसरे महकमे से करवाई जावे और इसके अलावा हमें प्रान्त व जिले के आधार पर शिकायतों की जांच करने के लिये और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये केन्द्रीय और जिला समितियां भी बनानी चाहिये। जिला समिति में जिले के कलेक्टर, जिले के एम. एल. ए., तहसील सरपंच और केन्द्र में विधान सभा के सदस्य व मिनिस्टर रखे जा सकते हैं और इसके जरिये शिकायतों और भ्रष्टाचार की जांच व रोकथाम हो सकती है।

छोटे मुलाजिमों की तनख्वाहें कम हैं, इससे यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने को प्रेरित होते हैं क्योंकि उनका खर्चा चलता नहीं। राजस्थान सरकार ने उनको कुछ तरक्की देकर सराहनीय कार्य किया है। पर इस छोटी सी तरक्की में उनका पेट नहीं भरता। इसलिये मेरा सुझाव है कि छोटे मुलाजिमान की सौ रुपये से कम तनख्वाह नहीं रक्खी जानी चाहिये। अगर बजट में घाटा पड़ता है तो बड़े मुलाजिमों की हजार दो हजार की तनख्वाहों में कमी करनी चाहिये और किसी की भी तनख्वाह पांच-सात सौ से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।

विभागीय जांच के लिये भी एक निश्चित समय मुकर्रर होना चाहिये। इस समय बारह बारह महीने, पन्द्रह पन्द्रह महीने तक जांच में लग जाते हैं तब भी नहीं हो पाती। इसलिये समय कुछ मुकर्रर होना चाहिये कि महीना, दो महीना या तीन महीने में अधिक से अधिक जांच समाप्त होकर रिपोर्ट मिल जानी चाहिये।

इन्डस्ट्री विभाग द्वारा छोटे उद्योगों को ऋण देने की बात कही गई है। बड़ी अच्छी बात है। पर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि गांवों में ऐसे अनेकों नवयुवक मौजूद हैं कि जो पैसे के अभाव में बेकार बैठे हैं क्योंकि उनके पास जमानत देने के लिये कुछ नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद भी नहीं है; तो इसलिये ऐसे बेकार किन्तु उत्साही नवयुवकों को भी उद्योग धन्धों के लिये अवश्य ऋण दिया जाना

Page No.70

(श्री सम्पतराज)

चाहिये ताकि देश की बेकारी मिट सके ।

पिछड़ी जातियों का जहाँ तक सवाल है उनके उत्थान के लिये सरकार काफी रकम देती है । इसके वितरण का प्रबन्ध ठीक नहीं है । इसका प्रबन्ध कलेक्टर के हाथों में देना चाहिये ताकि सब जिले के लोगों को बराबर मिल सके । जो रकम सभी जिलों के लिये मिलती है वह सभी जिलों को समान वितरित की जानी चाहिये । झालावाड़ जिले को बहुत कम मिलता है । उसे उसका सही हिस्सा मिलना चाहिये, इसके वितरण की व्यवस्था कलेक्टर के मातहत स्थानीय समिति को सौंपी जानी चाहिये ।

झालावाड़ मे ओलों से काफी नुकसान हुआ है, खानपुर, इरुलेग, मनोहर थाना आदि में काफी नुकसान हुआ है । इसलिये अन्य तहसीलों की तरह यहां भी काश्तकारों को राहत मिलनी चाहिये ।

खाद्य स्थिति राजस्थान में फिलहाल खराब है और महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है । इसके लिये, भले ही इसे प्रान्तीयता की भावना समझी जावे, पर अन्न की निकासी इस समय बन्द कर दी जानी चाहिये ताकि महंगाई कम हो सके और साधारण जनता राहत पा सके ।

राजस्थान में आवागमन की बहुत कठिनाइयां हैं, बरसात में ये कठिनाइयाँ और भी बढ़ जाती हैं कच्चे रास्ते हैं तो ऐसे कच्चे रास्तों में पड़ने वाले इलाकों में गल्ला भिजवाने का प्रबन्ध अभी से सरकार को करना चाहिये । केन्द्रीय सरकार के अन्न भण्डार से गल्ला लेकर अभी से कच्चे रास्तों में पहुंचाना चाहिये ।

डेवलपमेन्ट कार्य के लिये रुपया कम है ।

(घंटी)

जब ५० प्रतिशत श्रमदान और नकद खुद इकट्ठा करके देहात के लोग देने को तैयार हैं तो डेवलपमेन्ट के कार्य के लिये ज्यादा धन देना चाहिये ।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिये किसानों से जबर्दस्ती रुपया लिया जाता है । मैं इसका विरोध नहीं करता । राष्ट्र की उन्नति के कामों के लिये ऐसा किया जाता है तो उचित ही है । पर एक बात जरूर होनी चाहिये । काश्तकार को रुपया आसानी से मिलना चाहिये । आज तो पांच पांच मरतबा आने जाने के बाद रुपया वापिस मिलता है और ऐसी हालत में जो मिलता है वह आने जाने में ही बरबाद हो जाता है, खर्च हो जाता है । इसलिये उनको रुपया उसी तहसील से मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये जहां कि वह रहते हैं ।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जनता इस विधान सभा से बहुत आशा रखती है । समय चूंकि समाप्त हो गया है इसलिये बाकी की बातें मैं बजट के समय निवेदन करूंगा । पर निवेदन करूं कि साधारण जनता ऐसी आशा रखती है, मैं मेरे ही क्षेत्र के लोगों की बात कहूँ कि वे यह आशा रखते हैं कि भ्रष्टाचार मिटेगा, शिकायतों की सुनवाई होगी और हमें राहत मिलेगी । मैं सदन में यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यदि भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ तो यह जनतन्त्र समाप्त हो जावेगा और फिर यह किसी के वश का रोग नहीं रह जावेगा ।

अनेक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति,.........

Page No.71

श्री सभापति : श्री सरदारसिंह ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उणियारा) : माननीय चेयरमैन महोदय, श्रीमान् राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव पर पूर्व-वक्ता बोल चुके हैं और मैं भी इसको ओपोज़ करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री सभापति महोदय, यों तो श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने बहुत सी बातों का संकेत किया है ; चूंकि आप समय का निर्धारण कर चुके हैं इसलिए मैं खास खास मुद्दों पर ही निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमान् राज्यपाल ने अपने भाषण में यह फरमाया कि गत वर्ष में २६ हाई स्कूलें इत्यादि, ६२५ स्कूल इत्यादि खोल दी हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो स्कूलें खोलते जाते हैं और दूसरी तरफ स्कूलें बन्द करते जाते हैं। जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ वह उणियारा क्षेत्र है, वह ठिकाना सन् १९५४ के १७ जून को पुनर्ग्रहीत हुआ था। उस वक्त वहां पर एक हाई स्कूल और १०—१५ प्राईमरी स्कूलें थीं और छोटे स्कूल भी सरकार को सम्हलाये गये थे और एक हाई स्कूल और बिल्डिंग भी सरकार को सम्हलाई गई थी। आज उसको चार वर्ष होने आये हैं। शिक्षा संस्था से कहते हैं कि आपने ये स्कूलें सम्हालीं हैं, वे कहते हैं कि हमने नहीं सम्हाली हैं, पी. डब्ल्यू. डी. से कहते हैं तो वे कहते हैं, नहीं हमने नहीं सम्हाला। स्कूलों की यह हालत हो गई है कि वे बिल्कुल जीर्णावस्था में हैं और अब पट्टियें भी पड़ जावेंगी। दूसरी बात यह हो रही है कि इधर मरम्मत नहीं करते हैं और उधर जनता हमें वोट देकर यहां भेजती है तो जनता को दण्ड दिया जाता है कि तुम स्कूलें नहीं बनाओगे तो हाई स्कूल हटा दी जावेगी, क्योंकि उन्होंने मुझको वोट दिया है। चुनाचे एक नोटिस मिला है उसमें यह कह दिया गया है कि तुम्हारी नाइन्थ क्लास बन्द कर दी गई। माननीय सभापति, जागीर-पुनर्ग्रहण होने से पहले १०—१५ साल से उनियारा में जो हाई स्कूलें चल रही थीं, उस वक्त तो युनिवर्सिटी ने या और किसी ने एतराज नहीं किया और आज हम जब, उस प्रजा ने हमको चुन कर भेजा है, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करके क्यों जनता को इतना कष्ट दिया जाता है कि तुम्हारी सब सुविधायें भी हटा दी जावेंगी, ये भी हटा दिये जावेंगे, वह भी हटा दिये जावेंगे। जब जनता ने दुखी होकर मुझसे कहा तो हमारे यहां जो कांग्रेस पार्टी है उसने श्री माणिक्यलालजी से एक नई स्कूल का शिलान्यास कराया, उसमें मैंने भी कुछ चन्दा दिया; अभी उसमें चार कमरे ऐसे ही पड़े हैं, मैंने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया और उन्होंने आश्वासन दिया, न मालूम वह आश्वासन कब पूरा होगा; शायद वह ढह जावेगी जब पूरे होंगे। यह तो एजुकेशन की हालत है। इस तरह से मैं आपको यह कहता हूं कि एक दूसरी तहसील दूणी है। दूणी तहसील में न तो हाई स्कूल है हालांकि गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं कि हर तहसील में हाई स्कूल होने चाहिए, शफाखाना होना चाहिए लेकिन उणियारा में जहां डिस्पेन्सरी थी, वेल इक्विप्ड थी और उस डिस्पेन्सरी में एम. बी. बी. एस. डाक्टर था उसको भी हटा दिया कर एल. एम. पी. कर दिया। मैं माननीय उपाध्यक्ष (श्री सभापति), आपके द्वारा पूछना चाहता हूँ कि यदि सरकार की मुझ पर नाराजगी है तो वह नाराजगी प्रजा पर क्यों निकालते हैं ? अब प्रजा समझ चुकी है··· ··········

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपसे भी कोई नाराजगी नहीं।

रावराजा श्री सरदार सिंह : धन्यवाद। मैं तो कहता हूँ कि उणियारा तो क्या है, आप देखिये कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में न तो कोई विकास और ब्लाक हैं और जगह इतनी योजनायें हो रही हैं लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट को भुला दिया जाता है। क्या यह पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है, मुसलमानी राज्य होने के नाते से सिर्फ वहां का क्षेत्र मालपुरा है वह मालपुरा बड़ा तकदीर वाला है। मालपुरा में म्युनिसिपेलिटी है, वहां न कोई टैक्स है, बल्कि अनेक डेवलप्मेन्ट के कार्य खुल रहे हैं लेकिन न टोंक के अन्दर, दूसरी दूणी और उणियारा में कोई डेवलप्मेन्ट का नामोनिशान नहीं है। बल्कि यहां तक हुआ कि सड़क जो पहली पंचवर्षीय योजना में रखी गई थीं, जो वहां पर मंजूर हो गई थीं, मंजूर होने पर भी मन्जूरियां हटा कर दूसरी जगह लगा दीं। मंत्रीजी से पूछा कि सड़कें कब बन गईं तो कहा अभी सड़कें नहीं बनीं, यह जवाब मिला, क्यों नहीं बनी ? मैं यह कहता हूं कि जनतंत्र में प्रजा को जितनी स्वतन्त्रता दी है कि जिसको योग्य समझें यहां चुन कर भेजें, तो क्या पार्टी विशेष को चुन कर ही भेजें तब ही सुविधा दी जावेंगी या क्या कारण है ? क्या कृपा करके उस क्षेत्र की तरफ देखा है ? मैं सब तरफ गया हूं, जो ये कहते हैं कि राजाओं, नवाबों के टाइम में यह किया वह किया, मैं मुख्य मंत्री जी से कहता हूँ कि राजाओं ने जो काम किये हैं उनको आज से कम्पेयर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर बता देना चाहता हूँ। टोंक है। टोंक डिस्ट्रिक्ट बन गया। टोंक में सहादतअली खां के वक्त में इतने रुपये लगाकर बनास पर पुल बनाई है और उसको बनाने की वजह से टोंक आज डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर है, बनास पर पुल नहीं बनता तो टोंक डिस्ट्रिक्ट नहीं होता, क्योंकि आवागमन के साधन नहीं थे, किधर से आवें और जावें। मैंने बताया कि सरकार ने क्या किया। (श्री सुखाडिया के गर्दन हिलाने पर) शायद अब उस तरफ का भाग्य चेतने वाला है। इसमें दूसरी जो खास खास बातें हैं वे मैं कह देना चाहता हूँ और वे यह हैं कि आपने बड़े बड़े पंचवर्षीय योजना में तालाब, बनास इत्यादि के लिए प्रोविजन रखा है लेकिन यह कहीं नहीं है कि जो छोटे २ तालाब हैं उनका क्या किया ? आप देखिये कि मैं मेरे यहां का उदाहरण देता हूँ। जागीर पुनर्ग्रहण के वक्त में १८–२० तालाब राजस्थान को सम्हलाये। आज एक एक तालाब फूट कर गांव बह गये हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं। इधर बड़ी बड़ी योजनायें बन रही हैं और उन योजनाओं से नहरें निकाली जा रही हैं अब कि उन तालाबों से जिनसे पिलाई होती थी वे बन्द होती जा रही हैं। क्या यह योजना है ? आपको माइनर इरिगेशन पर भी ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जागीर समस्या पर भी राज्यपाल महोदय ने प्रकाश डाला है। मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जागीरें तो क्या, बार बार जागीरों को खत्म करने की बात कहते हैं। अजी, इस भारत के हित में और राजस्थान के हित में जागीरें तो क्या जान की भी जरूरत हो तो हम दे सकते हैं। जागीरें को हम बनाते हैं, हमें कोई जागीरें नहीं बनाती। इसे एक राजनैतिक समस्या न दें। इसको एक आर्थिक दृष्टि से सुलझाना है और सहयोग मांगे तो अच्छी तरह से हम देने के लिए तैयार हैं लेकिन एक की जागीर खत्म करके एक पार्टी विशेष को प्रोत्साहन देने के लिए जागीरों को लेना चाहें तो हम उसका मुकाबला करें। अगर

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

आर्थिक समस्या समझ कर तय करें तो जरूर सहयोग देंगे।

दूसरी बात यह है कि चिकित्सा के बारे में भी श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र किया गया है। इस बारे में मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में २ डिस्पेन्सरीज़ हैं एक अलीगढ़ और उनियारा जिस वक्त मैंने सरकार को हस्तान्तरित किया था उस वक्त उनमें एम. बी. बी. एस. डाक्टर था और मिडवाइफरी नर्स थी, लेकिन आज वहां चलकर उन अस्पतालों की दशा देखें तो तो पता चले कि बिल्डिंग की मरम्मत तक नहीं हो रही है, ओपरेशन थियेटर तक चू रहा है। वहां से मिडवाइफ्स को हटा दिया गया है।..................

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बहुत ज्यादती हुई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तभी तो जनता पुरानी याद करती है और हमारी सर्विसेज को एप्रिशियेट करती है, आपकी सर्विसेज को एप्रिशियेट नहीं करती। इस वक्त आप जो उनको सर्विसेज दे रहे हैं उन्हें प्रजा देख रही है। यही कहकर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

एक माननीय सदस्य : मैं बहुत देर से प्रयत्न कर रहा हूं, मुझे बोलने का समय दिया जाय।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : श्री निरंजननाथ आचार्य।

एक माननीय सदस्य : मुझे भी समय मिलना चाहिये।

श्री सभापति : आपको भी समय मिलेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : चेयरमैन महोदय, मुझे आज सदन में गवर्नर महोदय के भाषण पर धन्यवाद देने के लिये खड़ा तो होना पड़ा लेकिन अध्यक्ष (सभापति) महोदय एक भ्रम मेरे दिल में उत्पन्न हो गया। वह भ्रम यह है कि अब तक मैं यह समझता रहा कि आज हम सदन में राजस्थान के प्रशासन के सम्बन्ध में, राजस्थान की प्रगति के सम्बन्ध में, राजस्थान के नव निर्माण के सम्बन्ध में कुछ योजना लाकर सदन में प्रस्तुत करेंगे और साथ ही हम यह समझते रहे कि हम कुछ सुझाव भी सदन में प्रस्तुत करेंगे ताकि हमारे विचारों से हमारा प्रदेश लाभान्वित हो, हम भी लाभान्वित हों और अन्य सदस्य भी लाभान्वित हों। लेकिन मुझे खेद है चेयरमैन महोदय, निवेदन करते हुए कि हम कुछ भ्रम में पड़ गए हैं। भ्रम में इसलिये कि हम ताजे ही चुनाव क्षेत्रों से अभी अभी लौटे हैं। हमने अपने चुनाव क्षेत्रों में मुमकिन है कुछ वादे किये हैं, मुमकिन है वहां कुछ विश्वास दिलाया है और यही बात हमारे दिमाग को थोड़ा परेशान करती है। आज के भाषण में अध्यक्ष (सभापति) महोदय, कुछ क्रियात्मक सुझाव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने थे, लेकिन हमने आज यह देखा कि यदि मुख्य मंत्रीजी आज यहां उपस्थित नहीं होते तो मुमकिन है, मुझे माफ किया जाय, हम ठीक विचारों पर आ पाते; लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हम अपने भाषण द्वारा इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं कि सदन के बाहर चुनाव क्षेत्र में हमारी आवाज़

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

पहुंचे; इसलिये पहुँचे कि हम जल्दी ही अपने चुनाव क्षेत्र की सड़कों की बातें, उसके तालाबों आदि की समस्याएँ रख रहे हैं। संभवतः हम ऐसे ही वादे करके आये हैं, इसी कारण यहां निवेदन करने को बाध्य हुए हैं। सदन में सदस्यों ने आज अपने भाषणों में जो कुछ कहा है उसमें, अध्यक्ष (सभापति) महोदय, स्वयं की मांगों से लेकर, तहसील और जिलों से लेकर डिवीजन तक की मांगों का उल्लेख है। इसका फल यह हुआ कि आज हम जिस मोटे काम के लिये यहां उपस्थित हुए हैं दरअसल में वह रह गया। ऐसा प्रतीत होता है चेयरमैन महोदय, कि मुख्य मन्त्रीजी के पास एक बहुत बड़ा थैला है, ऐसा प्रतीत होता है जिसमें तालाब बनाने, सड़कें बनाने स्कूल एवं अस्पताल आदि का रहस्य छिपा पड़ा है और ये बांध और तालाब, ऐसा प्रतीत होता है कि आज ही उस थैले में से वितरित होने वाले हैं। अभी कोटा के सदस्य और अभी झालावाड़ के सदस्य बोले हैं और अभी उणियारे से आनेवाले सदस्य ने भी यही मांग की। यहां तक कि चेयरमैन महोदय, यहां पर विराजमान हैं या नहीं, इसको भुलावे में डालकर आपके सामने मुख्य मन्त्री महोदय से ही सदन की परम्परा को तोड़ वाद-विवाद में व्यस्त होते हुए कई सदस्य देखे गये हैं। मेरा एक सुझाव है कि यदि ट्रेज़री बेन्चेज़ सदन में पीछे की लाइन में रख दी जावें तो इस प्रकार की स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। हम अपनी परम्पराओं से परे चले गये हैं। मैं सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। विपक्षी दल की ओर से कई आरोप सरकार पर और सरकार के साथ सम्बन्ध रखने वाले सदस्यों पर, जिनको सफेद पोश कहा जाकर लगाये गये हैं, मैं इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि आज हम बोलना चाहते हैं सदन में और साथ साथ यह सोचते हैं कि हमारी कार्यवाही सदन में ही नहीं रहेगी बल्कि बाहर भी जनता में प्रकाशित होगी और हमारे इन शब्दोंका मूल्य भी आंका जायगा। हमारी तवारीख में यदि ऐसे शब्दों का उपयोग या दुरुपयोग सदन में होगा तो आनेवाली पुश्त, हमारी परम्पराओं पर और हमारी तवारीख पर कुछ हँसेगी, कुछ मुस्करायेगी और कुछ तरस भी खायेगी। इसलिये मैं सिर्फ यह निवेदन करता हूँ कि आज हम जनहित कार्यों में सक्रिय सुझाव देने के लिए उपस्थित हुए हैं न कि गलत आरोप द्वारा अपने आपसी मत-भेद प्रकट करने हेतु आज हमें सुझाव देने चाहिये। राज्यपाल के भाषण के सम्बन्ध में जब हम कहते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने के सम्बन्ध में, उद्योग धंधे बढ़ाने के सम्बन्ध में, सड़कों के सम्बन्ध में, शिक्षा के सम्बन्ध में तो पहले हमें यह देखना है कि राजस्थान के नव निर्माण के सम्बन्ध में हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या सुझाव सदन में इस बारे में दिये हैं, क्या सुझाव हमने सरकार को दिये हैं, जिससे आगे जाकर हमारी उन्नति हो सके। शब्दों को इधर उधर उलट सुलट रख देने मात्र से ही हम जनहित नहीं करते। अगर हमारे सुझाव ठोस होंगे तो वे सरकार तथा जनता को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जहां आलोचना की जाती है वहां सहयोग और सद्भावना भी होनी चाहिये। सदन के सदस्यों पर लान्छन लगाना या इससे सम्बन्ध रखने वाली पार्टी पर लान्छन लगाना कोई माने नहीं रखता। कैसी अच्छी बात होती यदि लान्छन लगाने के साथ साथ सुझाव

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

दिये जाते। इससे सरकार तथा सदस्यों को फायदा होता।

जब मैं यह निवेदन करूं कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया तो मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति से नहीं होता। विनोबाजी ने लोगों का दिल बदला, लोगों की भावनाएं बदली हैं, जो काम नहीं हो रहा था वह विनोबाजी ने किया। उन्होंने जनमानस बदलकर भू-क्रान्ति की है। भ्रष्टाचार भी एक ऐसी चीज है जो लोगों के दिल की भावना बदलने से दूर हो सकती है। विरोधी दल के लोग उसको मिटाने के लिये मुस्तैद नहीं हैं। वे इसको रोकना नहीं चाहते क्योंकि उनके प्रचार के लिए भ्रष्टाचार स्लोगन के रूप में काम में आया है। यदि यह मिट जाता है तो एक मोटा स्लोगन नष्ट होता है और उस स्लोगन से जो फायदा मिलने वाला है वह नहीं मिलता। यदि यह स्थिति नहीं होती तो भ्रष्टाचार मिटाने की आलोचना के साथ साथ उसको मिटाने के सुझाव भी सदन में रखे जाते। भ्रष्टाचार किसी एक आदमी से नहीं होता। जब हम कहते हैं कि कर्मचारी चोर हैं तो यह भी कहना पड़ता है कि मतदाता भी चोर हैं और कार्यकर्ता भी चोर हैं। जो विपक्षी दल के सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र से आये हैं उनके प्रचार का यह विषय रहा है लेकिन यदि हम इसे दूर करना चाहें तो यह आन्दोलन का विषय है और साथ ही जनता के मानस को बदलने का भी विरोधी दल के सदस्य यह कहते हैं कि सरकार भ्रष्टाचारी है, कर्मचारी भ्रष्टाचारी हैं लेकिन यदि वे यह उदाहरण सामने रखकर लान्छन लगाते कि हमारे चुनाव क्षेत्र में २ साल के अन्दर २ एक भी भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा तब तो उनके कथन की कीमत होती। यह आन्दोलन का प्रश्न है, मन को बदलने का प्रश्न है। यदि आज हम और विरोधी दल सहयोग की भावना से इसे बदलना चाहें तो मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार जैसी चीज न उनके चुनाव क्षेत्र में रहने पावेगी और न हमारे चुनाव क्षेत्र में रह सकती है। तो जो भ्रष्टाचार आन्दोलन द्वारा भी नष्ट किया जा सकता है इसके सम्बन्ध में केवल स्लोगन लगाते रहना ही पर्याप्त नहीं, आखिर विपक्षी दल के सदस्य भी अपने चुनाव क्षेत्रों में दौरे में जायंगे, अपने अपने वहां की जनता यह सुनने वाली नहीं है कि सरकार ने यह नहीं किया, सरकार ने वह नहीं किया। जनता तो आपसे यह जवाब तलब करेगी कि आपने क्या किया? चेयरमेन महोदय, दूसरी पंच-वर्षीय योजना के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनहित के करने के लिए अनेक काम हैं, कर्यक्रम अनेक हैं। अगर हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कह दिया गया कि विपक्षी दल की ओर से सदस्यों को समितियों में नहीं लिया जाता। मैं कहता हूं कि १०६ करोड़ छोटे उद्योगों के लिए जहां द्वितीय पंच वर्षीय योजना में खर्च किया जाने वाला है, वहां, छोटे उद्योगों के लिए अगर हम चाहें तो अपने चुनाव क्षेत्र में सहकारिता की बुनियाद पर छोटे उद्योगों को पनपा सकते हैं। यह काम हम अपने चुनाव क्षेत्रों में कर सकते हैं। चेयरमेन महोदय, समय एवं श्रम लगाने का मसला है, सिर्फ बात करने का मसला नहीं। छोटे उद्योगों को पनपाने में विपक्षी दल के सदस्य भी मेहनत कर सकते हैं। आपके जरिये चेयरमेन महोदय, मैं सिर्फ यह निवेदन करता

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

चाहता हूं कि सहयोग और सद्भावना के आधार पर यदि आलोचना होती है तो सही होती है। अन्यथा चुनाव का प्रचार जैसे एक डेढ महीने पहले अपने क्षेत्र में चलता था, वह चुनाव का प्रचार यहां भी आरम्भ है। इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पंचायतों के सम्बन्ध में गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में कहा कि अधिकारों में वृद्धि की जायगी। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है, और यह सुझाव मेरे अनुभव की बुनियाद पर है। मैं समझता हूँ कि पंचायतों को अधिकार दिया जाना चाहिये, इसमें शक नहीं है लेकिन चेयरमेन महोदय, सरकार की तरफ से पंचायतों की अवहेलना की जा रही है और यह अवहेलना इस तरह से की जा रही है कि पंचायतों के सरपंच और पंच न्याय के लिए बैठते हैं, किन्तु उनकी व्यवस्था की ओर उसमें सरकार का ध्यान नहीं गया। पंचायतों के पंचो को एवं कर्मचारियों को न्याय व्यवस्था का ज्ञान बढ़ाने हेतु सरकार की ओर से कोई प्रयत्न नही है। ऐसे केन्द्र नही हैं, जहाँ उनको कार्य करने की ट्रेनिंग मिले। यह मेरा सुझाव है कि पंचायतों के सरपंच और पंच को साल भर में कई मर्तबा सेमीनारी योजनायें की जाकर केन्द्रों में योग्य कार्यकर्त्ताओं द्वारा ट्रेनिंग करा साधारण ज्ञान उनको कराया जाय जिससे कि गैर—इन्साफ न हो। दूसरा सुझाव पंचायतों के सम्बन्ध में मेरा यह है कि प्रत्येक पंचायत में क्लर्कों की भर्ती, योग्यता एवं उनके नैतिक स्तर के आधार पर नहीं की जाती, और यही कारण है कि उन क्लर्कों की वजह से पंचायतों की कार्यवाहियों में बहुत बाधायें पड़ती हैं। मेरा सुझाव यह है कि क्लर्क जो पंचायत में रखे जाते हैं उनका केडर होना चाहिये, उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जानी चाहिए, उनके ट्रान्सफर सरकार से होने चाहिये। मैं यह निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि पंचायतों में जो क्लर्क रखे जाते हैं, वे योग्य एवं अयोग्य जिस तरह के होते हैं, रख लिए जाते हैं। इन क्लर्कों का काफी उत्तरदायित्व होता है। वह केडर क्लर्क का, जो पचायतों में रख दिये जाते हैं, सरकार अपने हाथ में ले ले तभी कुछ सुधार हो सकता है।

दूसरे म्यूनिसपेलिटियों की आर्थिक संकट से म्यूनिसपेलिटियां दबी जा रही हैं। जो म्यूनिसिपेलिटी प्रमुख तीर्थ स्थानों एवं एतिहासिक कस्बों की हैं उन म्यूनिसिपेलिटियों को साधारण आर्थिक सहायता दी जाती रही है। मेरा निवेदन यह है कि जो म्यूनिसिपेलिटीज़ तीर्थ स्थानों पर हैं और जहां सैकड़ों यात्री प्रतिदिन आते-जाते हैं उनके लिए आर्थिक सहायता की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि उनको सफाई, सड़कों एवं अन्य कार्यों पर दूसरी म्युनिसिपेलिटियों की अपेक्षा अधिक खर्च करना पड़ता है। मैं क्षेत्रीय भावना से प्रेरित होकर अपने चुनाव क्षेत्र की कमियों के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करने के हेतु उपस्थित नहीं हुआ। मेरे मन में तमन्ना पैदा होती है, कि ऐसे समय में मैं भी अपने क्षेत्र के बारे में अर्ज कर दूं, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक रहा हूँ। मैं हमारे यहां जो म्यूनीसिपेलिटी में अफसर रखे जा रहे हैं, सेक्रेटरीज़, एग्ज़ीक्युटिव ऑफिस आदि, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, और न उनकी इस सम्बन्ध की योग्यता के आधार पर ही नियुक्तियां होती हैं उनके अन्दर जन सम्पर्क करने की कोई क्षमता नहीं होती और न सम्पर्क की क्षमता ही उनमें पैदा की जाती है। मेरा निवेदन यह है कि प्लानिंग सेनीटेशन, सार्वजनिक कार्य आदि जो विषय

Page No.77

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हैं उनके सम्बन्ध में कर्मचारियों के विशेष ज्ञान की परीक्षा लिए बिना ही सेक्रेटरीज़ और एक्जीक्युटिव ऑफिसर्स की जो नियुक्तियां कर दी जाती हैं इससे म्यूनीसिपेलिटी कमजोर होती है, उनका काम अच्छे ढंग से होना मुमकिन नहीं होता इसलिये इनको कुछ ट्रेनिंग मिलनी चाहिए।

इन बातों के अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूं। चेयरमैन महोदय, हम जातिवाद से परेशान होकर इस सदन में उपस्थित हुए हैं। जातिवाद का जहर हमारे राष्ट्र के लिए घातक है। मैं बड़े अदब एवं नम्रता के साथ हमारे विपक्षी दल से यह निवेदन करना चाहूँगा कि जातिवाद राष्ट्रीयता का महान् शत्रु है, लेकिन यह इस सदन में भाषणों द्वारा पनपाया जा रहा है। यदि इस सदन में जातिवाद के सम्बन्ध में एक शब्द भी न कहा जाय तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीयता पनपने में कोई रुकावट नहीं होगी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे विपक्षी दल के नेता ने अपने भाषण में जो चन्द कुछ अल्फाज इस तरह के कहे वे खटकने वाले हैं। उन्होंने फरमाया कि २५ वर्ष के प्रशासनिक कार्यों में जयपुर राज्य के समय शपथ नहीं लेकर कार्य किया है, उनका अनुभव है और उनके भाषण से हमें प्रेरणा मिली, लेकिन एक खटकने वाली बात चेयरमैन महोदय, जो मुझे लगी वह यह है कि शपथ होने के बाद भी जातिवाद की भावनाओं से प्रेरित होकर फरमाया कि राजपूत जाति प्राण दे सकती है, राजपूत जाति पर परेशानी लादी गई है, यह खटकने वाली चीज है........

श्री नरेन्द्रसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह आपका, मेरा ख्याल है, पहला मौका है जो आप फरमा रहे हैं। मैंने अपने भाषण में एक बात भी ऐसी नहीं कही जो कॉन्सटीट्युशन के खिलाफ हो।

श्री जनार्दनराय नागर : Is it a point of order ? Mr, Speaker, this is no point of order.

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is a matter of nothing else than. मुझे क्षमा करें, मैंने शायद आपको परेशान किया है। यह मेरा आशय नहीं था, मैं यह अर्ज करना चाहता नहीं था। जातिवाद के प्रश्न को लेकर जो वकालत........

श्री नरेन्द्रसिंह : मैं जातिवाद की वकालत नहीं करता। यह जातिवाद का सवाल नहीं है साहब !

श्री सभापति : Order please ! let him (Shri Acharya) speak.

श्री निरंजननाथ आचार्य: तो मैं अर्ज कर रहा था कि शपथ भारतीय होने के आधार पर ही ली जाती है, किसी कौम के होने के नाते नहीं, और न किसी जाति में होने के नाते शपथ ली जाती है। भारतीय बन कर ही शपथ लेते हैं। ऐसी स्थित में किसी कौम की या जाति की वकालत करना उपयुक्त नहीं, मैं अर्ज करता हूं, यह खतरे की चीज है। खतरे की इसलिये है, कि सदन में बैठ कर निश्चय करना है कि राष्ट्रीयता जातीयता की बुनियाद पर न पनपे। ऐसी स्थिति में जातीयता का नाम हमारे सामने आता है तो हमें दुःख होता है। इसलिये दो शब्द मैंने निवेदन किये हैं इस उद्देश्य से कि

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

ऐसी कोई भावना रखी जाती है तो उनको सदन के अन्दर निर्मूल किया जाय।

ये दो-तीन सुझावों के साथ मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आलोचना के लिए आलोचना नहीं होना चाहिए बल्कि आलोचनाओं के साथ सुझाव एवं सद्भावना होनी चाहिए। इससे मालूम होगा कि दर असल सहयोग करने की भावना से आलोचना की जाती है, अन्यथा कोई मेम्बर बिना सुझाव के, बिना सहयोग के, आलोचना करता है, तो चेयरमैन महोदय, ऐसा मालूम होता है कि कहीं उनकी परेशानी उनकी व्यक्तिगत द्वेष पर आधारित है। वे परेशान न हों, इसलिए कह दिया जाय........

श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : On a point of order, please, मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि इस तरह के पर्सनल रिमार्क करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मुझे भी जवाब देने की जरूरत पड़ेगी। अगर वे ऐसी बात कहें तो मुझे भी जवाब देने के लिए टाइम दिया जाय।

श्री सभापति : Please !

श्री निरंजननाथ आचार्य : इन शब्दों के साथ हमारे मुख्य मन्त्री को कहूं कि मैंने जो दो-तीन बातें कहीं उन पर ध्यान दें और अगर क्षेत्रीय भावना को दूर रख कर सुझाव दिये जायेंगे तो सदन में तथा सदन के बाहर सदस्य जनता का विश्वास प्राप्त करेंगे।

४. प. प.

श्री लादूराम (दूदू) : माननीय सभापति जी, आज राज्यपाल के भाषण पर वाद-विवाद का दूसरा दिन है। पहले तो टाइम ही हमको बहुत मुश्किल से मिला है तीन घंटों तक इन्तजार करने के बाद में। इसके बाद भी मैं ज्यादा से ज्यादा १० मिनिट लूंगा। मैं अर्ज करूंगा कि राज्यपालजी के अभिभाषण के अन्दर १९ पोइन्ट्स दिये हैं उन पर मैं या मेरे साथी बोलें तो उनके लिए एक पूरा का पूरा दिन चाहिए, पर सब पाँइन्टस पर नहीं बोलते हुए मैं एक दो पॉइन्ट् पर ही निवेदन करूंगा जिन पर आप अवश्य गौर फरमायेंगे। पहले तो जो हम लोग बोलते हैं वह किसी अखबार के न्यूज़ तक में नहीं जाता है, इसलिए नहीं जाता है कि अगर इन लोगों का न्यूज़ में जायगा तो काफी लोग प्रभावित हो जायेंगे। खैर, इस पर हमें कोई ऐतराज नहीं, यह तो प्रेस के कार्यकर्ताओं की मर्जी है कि न्यूज में दें या नहीं दें। मैं आपसे राज्यपालजी के भाषण के १९ वें पोइन्ट् पर एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट के राज्य में जितनी सुविधाएं भारत के किसानों को, मजदूरों को, हरिजनों को मिली हैं, पहले सैंकड़ों वर्षों में नहीं मिली थीं, इसके लिए तो हम कांग्रेस के आभारी हैं, पर मजबूरन अभिभाषण के विरोध में बोलना पड़ता है।

सभापति महोदय, जनतन्त्र राज्य का कांग्रेस की अध्यक्षता में शासन चल रहा है उसमें जातियां तो कई खत्म हो गई। यों तो चार जातियां थीं, पर आज तीन जातियां ही रही हैं, सवर्ण, हरिजन और किसान-मजदूर। सवर्णों के लिए तो कोई दाद फरियाद नहीं, पर हरिजन और मजदूरों तथा किसानों के विषय में लोग हा हू मचाते हैं। लोग चुनावों में जाते हैं तो इन्हीं तीन जातियों को लेकर जाते हैं कि हम मजदूरों, किसानों और हरिजनों के हित में काम करेंगे और यहां पर आकर लोग

(श्री लादूराम)

बड़ी बड़ी बातें आपके समक्ष रख देते हैं और टाउन हॉल के बाहर जाते ही तो सब बातें भूल जाते हैं। मुझे माफ करना, यह जो बातें बता रहा हूँ वे अपनी आत्मा से सोचें तो उन्हें सही मालूम होंगी। मजदूरों, किसानों और हरिजनों के वर्ग के लिए जो मुसीबतें हैं वे आप जानते हैं। जितने सदन के महान् नेता बोलते हैं, इन्हीं तीनों चीजों को लेकर बोलते हैं; जो यहां पहुंचे हैं, वे इन्हीं चीजों को लेकर पहुंचे हैं पर यह आखिर कहने मात्र को रह जाता है, करने को नहीं रहता।

तो मैं सही शब्दों में बताना चाहता हूँ कि किसानों की जमीन का जो मसला है उस पर सरकार ने आज तक काफी ध्यान दिया है, पर ध्यान देते हुए भी उन लोगों की ओर ध्यान दिया है जिनके साथी यहां विधान सभा तक पहुंचे हैं, बाकी उनके पीछे पीछे फिरते रहो, कोई प्रबन्ध नहीं। गांवों की हालत बड़ी दुःखद है और वहां जो पहले जमींदार थे और अब जमींदार हैं उन्हीं के पास हजार–हजार, दो दो हजार बीघा जमीन के पर्चे हैं। जो किसान पहले से जमींदार हैं उन्होंने हजार–हजार दो–दो हजार बीघा जमीन के पर्चे ले रखे हैं और जो हरिजन हैं वे उनके पास हाली रह कर काम करते हैं। बैल जमींदारों के हैं, जमीनें भी उन किसानों की ही हैं; हरिजनों को तो खाने को अनाज दे देते हैं। इस प्रकार मजदूर और हरिजन तो वही बेगारी के बेगारी बने हुए हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जमीन का सही बंटवारा गांवों की आबादी के माफिक सब लोगों को कर दें जिससे कि सब खेती कर सकें और अनाज की पैदावार भी बढ़े।

टाइम कम होने के कारण मैं इन मसलों से कुछ पर थोड़ा थोड़ा ही कहूँगा। मजदूरों का तो कोई महत्व ही नहीं है। मजदूर दो श्रेणी के हैं, चौथी श्रेणी के और पांचवीं श्रेणी के। आपके दिल में यह शक पैदा हुआ होगा कि ये पांचवीं श्रेणी के मजदूर फिर कहां से पैदा हो गये? वे मजदूर जो बिल्डिंग वगैरह का काम करते है वे पांचवीं श्रेणी के हैं। चौथी श्रेणी के लोगों को न तो पूरा भरपेट खाने को मिलता है, उनको ज्यादा से ज्यादा ३०) या ४५) रुपये माहवार मिलते हैं, ४५) रुपयों में गुजर कैसे चल सकता है? ४५ रुपयों का इस मंहगे भाव में अनाज कितना सा आता है. उनको साग-सब्जी तो कभी कभी ही नसीब होती है। चौथी श्रेणी के जितने कर्मचारी हैं दोनों टाइम सब्जी नहीं खा पाते, कुछ तो तीन चार टाइममें एक बार सब्जी खा सकते हैं, बाकी मिर्च और प्याज से रोटी खाते हैं। उनको बीमारियां भी पहले आयेंगी। बीमारियां ज्यादा, आयेंगी तो अस्पताल भी ज्यादा बनाने पड़ेंगे और खर्चा भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा यह है कि उन्हें खाने को अच्छा दे दो, तो न बीमारियाँ ही इतनी ज्यादा होंगी और न इतना ज्यादा खर्च ही करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के चार पांच बच्चे हैं, उनका ४५ रुपयोंमें गुजर कैसे चल सकता है? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चौथी श्रेणी के मजदूरों का १०० रुपया वेतन होना जरूरी है।

इसके बाद रही हरिजनों की समस्या। हरिजनों की समस्या इन दोनों-तीनों समस्याओं से भी ज्यादा मुश्किल है और हर गांव हर जिले में मौजूद है। सदन के १७६ सदस्य चुन कर आये हैं जो देखते हैं कि उनके क्षेत्रों में हरिजनों की क्या दशा है? रहने को मकान नहीं है, खाने को अन्न नहीं है और पहनने

(श्री लादूराम)

को कपड़ा नहीं है और जोतने को जमीन नहीं है ।

तो फिर मैं पूछता हूं, उन्हें इस स्वतन्त्र भारत में रहने से क्या सुविधायें हैं ? मेरा ख्याल यह है कि इन हरिजनों को भी यहां से विदा कर दिया जाय तो अच्छा है ।

इनके मानवीय अधिकार तो इतने छीन लिये कि कहने की कोई बात नहीं । आज जानवरों की कद्र है पर हरिजनों की कद्र नहीं । हर गली, सड़क, मोटर-स्टेन्ड और स्टेशन पर धर्म के ठेकेदारों ने प्याउएं लगा रखी हैं, पर उन प्याऊ पर यह हाल है कि नाली लगा कर पानी पिलाया जाता है और उनके मानवीय अधिकार जड़-मूल से छीन लिये जाते हैं । एक जानवर की कदर होती है मगर इन्सान की कद्र नहीं । क्या हमारी इस कांग्रेस के राज्य में, जब कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना शुरू हो गई है और फिर भी क्या यह बीमारी खत्म नहीं हुई । मैं अपने कई साथियों से सुना करता था कि छुआछूत की बीमारी तपेदिक की बीमारी है और उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिये, मगर फिर भी यह खत्म नहीं हो रही है । मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि छुआछूत की बीमारी तपेदिक की बीमारी नहीं है यह प्लेग की बीमारी है और जब तक इसको खत्म नहीं कर दिया जावेगा देश जिन्दा नहीं रह सकता है । इसलिए मैं माननीय सभापति आप के द्वारा प्रार्थना करता हूँ और चीफ मिनिस्टर साहब से अर्ज करता हूं कि अगर राजस्थान के हरिजनों को जिन्दा रखना चाहते हैं तो उनको उनके अधिकार दें, उनको जानवर न समझें, कम से कम उनको मनुष्य ही समझें । अभी हरिजन जानवरों से भी बदतर हैं । हर गांव में शादी के अवसर पर, किसी बाजा आदि बजाने के मामलों पर उन पर जुल्म ढाया जाता है और सैकड़ों इस प्रकार के केसेज आपकी अदालतों में मौजूद हैं और उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है । जो कोई हरिजन थोड़ा बहुत लिखा-पढ़ा हो और अपनी जाति की तरफ से वह चीफ मिनिस्टर साहब से या किन्हीं साथियों के पास पहुँचने की हिम्मत करना चाहे तो वह नहीं पहुँच सकता ।

(घंटी)

माफ करिये, मैं टाइम से लाचार हूं । शिड्यूल कास्ट होने के नाते दो-चार मिनट ज्यादा दिये जावें ।

सरकार राजस्थान में कानून की किताबें, हरिजनों के कल्याण के नाम की किताबें आदि हजारों और करोड़ों रुपये कागजात छपवा कर वितरण कर रही है । राज्यपाल महोदय के भाषण में लिखा है कि १०३ लाख रुपया राजस्थान सरकारने इसपर खर्च कर दिया है । १०३ लाख रुपया खर्च करने के बाद में भी यह समस्या हल नहीं हुई । मेरा तो इस संबन्ध में यह कहना है कि १०३ लाख रुपयों के बजाय ३० लाख रुपये भी हरिजनों पर खर्च नहीं होंगे । यह सारा रुपया उन दफ्तरों में खर्च किया जा रहा है जहां सवर्ण अधिकारी, सवर्ण क्लर्क, सवर्ण चपरासी होंगे । अगर कोई हरिजन किसी प्रकार की शिकायत लेकर जाता है तो उसे या तो कहा जाता है कि समय नहीं है या कहा जाता है कि चिट्ठी लिख कर दो । वह हरिजन अंगूठा लगाना भी नहीं जानता कि दायां लगाया जाता है या बायां । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि

(श्री लादूराम)

हरिजनों के अधिकार सुरक्षित हों। हम यहां पर आपसे नये कानून पास कराने के लिये नहीं आये हैं। हम आपके सामने कोई नये कानून नहीं रख रहे हैं। हम आपके बनाये हुए विधान पर अमल कराने की मांग करते हैं। अगर आपके बनाये गये कानून काम में नहीं लिये जाते तो उस विधान में से हरिजनों के प्रति बनाये हुए पेज को ही हटा दिया जाए वह बेकार बोझ है। आपके जयपुर जिले में हरिजनों पर बहुत अत्याचार हुए। एक साल हुआ, कुछ हरिजन होस्पिटल में भर्ती हुए थे क्योंकि सवर्णों ने उनको मारा था मगर दुःख इस बात का है कि एक पर भी सजा या गुर्माना किया हो तो आप मुझे बतावें मैं सुनने का इच्छुक हूँ। मारपीट हुये जब एक एक साल समाप्त हो जाता है फिर भी कुछ नहीं किया जाता है तो हमें क्या उस कानून को, जो बना हुआ है, ताक में रखकर पूजना है क्या? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में हरिजनों के मसले को जितना जल्दी हल किया जावे अच्छा होगा। महात्मा गांधी का नाम लेकर दुहाई दी जाती है कि छूआछूत प्लेग की बीमारी है और प्रत्येक हिन्दू का प्रथम कर्तव्य है कि इसको अलग करें। अब भी १७६ माननीय सदस्यों में से प्रत्येक व्यक्ति इसके लिये तैयार होंगे। अगर ४८ शेड्यूल्ड कास्ट सीट्स जो गवर्नमेन्ट, सरकार ने रिजर्व रखी हैं, उन सब को यह पता है कि हम बोलें, हम लड़ना नहीं चाहते। आप स्वयं विद्वान हैं हम लोगों को आप इस विषय में कहने का मौका नहीं देंगे और हरिजनों का हित सोचेंगे तो देश का उत्थान होगा। अब घंटी बजने वाली है इसलिये मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और बैठ जाता हूँ।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय-सभापति, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस व वादविवाद आज दो दिन से चल रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राजस्थान सरकार के पिछले कार्य की प्रशंसा की है और आगे के प्रोग्राम का उल्लेख किया है। जो राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसके विपक्ष में मैं दो चार शब्द आपके सामने रखूंगा।

किसी भी सरकार की अच्छाई या बुराई को नापने के लिये कोई मेज़रमेंट होना चाहिये। यदि आज यह कहें कि राजस्थान सरकार ने यह बहुत अच्छा कार्य किया तो इसके लिये हमारे पास सबूत होने चाहिये। आज सब से बड़ा दृष्टिकोण यह है कि जो मुल्क हमसे बाद में आजाद हुए हैं उन मुल्कों में तरक्की हुई है। उनसे तुलना करके हम देखें कि वास्तव में हमारी हालत क्या थी और कितनी तरक्की हुई है; हमारा प्रान्त आगे बढ़ा है या नहीं? यदि हम एकतंत्रीय शासन से आज की हुकूमत की तुलना करें तो कोई संतोषजनक चीज नहीं होगी। चीन हिन्दुस्तान से लगता हुआ है। हिन्दुस्तान का डेलीगेशन वहां जाकर आया और उसने वहां की हालत बयान की और वह बयान करता है कि चीन का इलाका बहुत भारी प्रगति कर चुका है। सबसे बड़ा सबूत राज्य को अच्छा बताने के लिये होता है स्टैन्डर्ड ऑफ लिविंग, जनता की जिन्दगी का मापदण्ड कि उसका जीवन स्तर कितना आगे बढ़ा है या पिछड़ गया है, यह सबसे बड़ा परीक्षण है। यह सारी चीज रोजगार पर निर्भर है। हमें सबसे पहले इस बात पर विचार करना है कि राजस्थान में बेरोजगारी है या नहीं। मैं

Page No.82

(श्री मोहरसिंह)

मानता हूं कि इसका कुछ इलाज किया गया है मगर जिस ढंग से इसका इलाज किया जाना चाहिये नहीं किया गया है और दूसरे ढंग से इसका इलाज किया जा रहा है और यही वजह है कि 'मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की।' जितना इसका इलाज किया गया मर्ज बढ़ता ही गया लेकिन इलाज का तरीका गलत है। आप किसी भी क्षेत्र में जावें और वहां पर किसानों की हालत को देखें तो आपको मालूम होगा कि वे बेरोजगार हैं। किसान खेती करना चाहता है लेकिन उसके पास जमीन नहीं। क्या वास्तव में जमीन खेती के लिये नहीं है ? मैं यह कहूंगा कि जमीन बहुत है, बहुत पड़ी हुई है लेकिन गवर्नमेन्ट का एक नजरिया है जमीन को भारी कीमत पर बेचने का और यही वजह है जिससे कि किसान तरक्की नहीं कर सकता है।

आगे जाकर कारखानों में आप मजदूरों की हालत को देखें तो आपको मालूम होगा कि वह सन्तोषजनक नहीं है। राजस्थान में और अपने यहां राजधानी में कई दिनों से स्पिनिंग मिल और दूसरी फेक्ट्रीज़ में कई मसले चल रहे हैं और उनकी बड़ी दयनीय हालत है। वे लोग मिल में नौकरी करना चाहते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती। छंटनी की बीमारी मजदूरों के सामने मुंह फाड़े खड़ी है। इसलिये मजदूरों की हालत बहुत बुरी है।

यही एक वजह है जो हमारे देश को हमारे इलाके को आगे बढ़ने देने के अन्दर बहुत भारी रुकावट सिद्ध हो रही है। अभी परसों के अखबार में एक दर्दअंगेज बात देखी। उदयपुर इलाका जो राजस्थान का एक बड़ा डिवीज़न है, जिसके अन्दर हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी का निवास स्थान स्थित है उसके अन्दर एक घटना हुई। एक स्वर्णकार ने आत्महत्या कर ली। यह उदयपुर में हुआ। बेरोजगारी के कारण उसने आत्महत्या की। उदयपुर में जहां पंचवर्षीय योजना का काफी पैसा खर्च किया जाय वहां की ही जब यह हालत है तो फिर राजस्थान के दूसरे इलाकों का तो खुदा ही हाफिज है। किस तरह से हम इस सरकार को बेहतर बता सकते हैं ?

इसी तरह के और भी कई किस्से मेरे सामने हैं। और तो क्या दीपक तले अंधेरा! सारे राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इतना बड़ा शहर है उसका मैं आपको बयान करूँ। मुझे आज करीब बीस साल हो गए हैं सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हुए। जिस राजधानी के अन्दर दूसरे क्षेत्रों के लोग यात्रा करने के लिए आयें वहां बेरोजगारी का ताण्डव नृत्य, जगह जगह भिखमंगों की कतार है। बाजार में जाओ तो भिखमंगे, स्टेशन पर जाओ तो भिखमंगों की कतार और दूसरी जगह जाओ तो भिखमंगों की भरमार मिलेगी। तो क्या यही है अच्छाई का सुबूत। इसी तरह एक और भी दर्द की बात है। राजस्थान की राजधानी इस जयपुर में बेरोजगारी का एक और सबूत यह है कि मेरे देश की सैकड़ों ललनायें अपने सतीत्व को यहां दो-दो, चार-चार आने में बेच रही हैं। यह वेश्यावृत्ति राजस्थान की राजधानी के अन्दर है। इस वेश्यावृत्ति के और भी कई वजुहात हो सकते हैं। मगर इन सब वजुहातों में बेरोजगारी भी एक प्रमुख कारण है। इन सब चीजों को देखने से यह मालूम हुआ कि हमारी जिन्दगी के स्टेन्डर्ड को बेरोजगारी नीचे ले जा रही है। इसलिए हमें संतोष नहीं होता इस बात पर कि तरक्की हुई है।

Page No.83

(श्री मोहरसिंह)

इसी तरह से दुहाई दी गई राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, भूमिसुधार और जागीरदारी उन्मूलन के बारे में । कहा गया कि जागीरदारी प्रथा को मिटा दिया गया है । मैं तो कहूँगा कि जागीरदारी प्रथा तो उसी दिन मिट गई थी जब कि बांटे की जगह कैश रेन्ट मुकर्रर हो गया था । यह कहा जाता है कि जागीरदारों से अधिकार ले लिए गये हैं । बेशक ठीक है । मगर यह देखने की बात है कि पुराने ठाकरों की जगह कोई नये ठाकरों की उत्पत्ति तो नहीं हो गई ? कोई नये ठाकर तो पैदा नहीं होते जा रहे हैं ? इस चीज पर भी गौर किया जाना चाहिये । इस सारी चीज को मैं बताऊँ तो समय बहुत लग जायेगा । लेकिन श्रीमान् मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि जमीन और जमीन से सम्बन्धित किसान की हालत ठीक नहीं हो रही है । उसका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग प्रशंसनीय नहीं है । जो कानून बनाये गये हैं; जैसे टेनेन्सी एक्ट है उसके अन्दर भी काफी कमियां अभी तक विद्यमान हैं । कहा जाता था और जिसके लिए उम्मीद थी कि वही होगा । यह आवाज आती थी कि यह जमीन किस की, जो जोते उसकी । लेकिन आज टेनेन्सी एक्ट की धारा १६ से २३ तक से अच्छी तरह से सामने आ गया है कि जो अधिक से अधिक मुआवजा चुकाये जमीन उसकी है । यह हमने पिछले वर्षों में देखा । लेकिन आंखों पर भ्रम की पट्टी चढ़ाकर कहा यह जाता है कि किसानों को हमने बहुत अधिकार दे दिये । इन सारी चीजों को मैं बतलाऊं, तिगुना लगान कायम हुआ । बारानी की जगह का लगान चाई जमीन के बराबर लिया जा रहा है । इसके खिलाफ लोगों ने दरख्वास्तें दीं ।

४. २५ म० प०

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

मिसाल के तौर पर जिला चूरू की रामगढ़ तहसील में काटली नदी के नज़दीक जो पन्द्रह बीस गांव बसते हैं उन सब ने दरख्वास्तें दीं और वह अभी सेटलमेण्ट ऑफिसर के पास चल रही हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई । इसी तरह से बहुत सी दिक्कतें किसानों के सामने आती हैं । गिरदावरी का सवाल है । गिरदावरी करके बाद में जो पर्चियां बंटती हैं वे बहुत देर से बंटती हैं और किसान बेचारे बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं । उनको मौका ही नहीं मिलता कि वे इसके खिलाफ एतराज करें । यह भी एक बड़ी भारी दिक्कत है और भी बहुत सी चीजें हैं जो समय बहुत ले जायेंगी और इतना समय है नहीं । एक अहम चीज है, जो देश को तरक्की की तरफ ले जाने वाली है, वह है शिक्षा । शिक्षा भी जरूरी चीज है लेकिन शिक्षा को पढ़ने वाले परेशान, पढ़ाने वाले मास्टर परेशान हैं । यह है हमारी शिक्षा का हाल । पढ़ने वालों के लिए एक एक स्टेज पर फीस से परेशानी है फीस की बीमारी गरीब लड़कों को आगे नहीं पढ़ने देती । उससे भी आगे इन्टर के अन्दर, बी० ए० के अन्दर साइन्स में सेकिण्ड डिविज़न और थर्ड डिविजन वालों को दाखिले की दिक्कतें सामने आती हैं । आज कल तो सबसे ज्यादा रुकावट दाखिले की ही आगे आ रही है । इसी तरह से और भी उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं । पढ़ाने वाले जो मास्टर हैं उनका भी किस्सा क्या बताऊं ? पांच पांच सौ दरख्वास्तें आती हैं और नौकरी २० को मिलती है । उसके अन्दर भी मैट्रिक पढ़ा हुआ है तो

(श्री मोहरसिंह)

मिडिल का ग्रेड मिलता है। अब एक लड़का है उसको मास्टर बनना है तो उसको कम से कम सौ कोस पर टीचर बना कर भेजा जाता है। वह आदमी जो वहां, उस गांव में जहां मास्टर बन कर जाता है किसी को नहीं जानता, अनजान है वह बिलकुल। रहने के लिए उसकी कोई व्यवस्था नहीं होती। पास में उसके बाल्टी नहीं है, रस्सी नहीं है। वह किसी के घर पर अगर स्थान पा जाता है तब जाकर उसको यह सब चीजें मिलती हैं। किसी के घर में रहते हैं तो यह रोजाना की दिक्कत है। अगर इस तरह से कोई किसी के यहां रह भी जाता है तो उसके लिए कई बातें बनाई जाती हैं कि यह पक्षपात करता है। इससे भी ज्यादा दिक्कतें मेरे सामने आई हैं। कइयों ने कहा है कि चार-चार महीने हो गए, हम अपने गांव से सौ सौ कोस पर पड़े हैं। जिस तमन्ना से हम यहां आए थे वह भी पूरी नहीं हुई। चार चार महीने हो गए, अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली हैं। अगर माननीय मुख्य मंत्री महोदय नाम भी चाहेंगे तो मैं उनको उस लड़के का नाम भी बता सकता हूँ, जो कि अभी मास्टर बना है। उसके पिताने मुझे एक रसीद दिखलाई। उन्होंने अपने लड़के को २५ रुपये का मनीऑर्डर किया है। उस लड़के ने अपने पिता को लिखा कि उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो आप ही बतायें कि मास्टरों का यह हाल है कि उनको खाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। यहां तक है मास्टरों का दर्द अंगेज बयान जिसके ऊपर भी हम नाज करें कि यह हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेन्ट है और वह प्रशंसा करने के काबिल है!

इसी तरह से स्वास्थ्य का मसला लो। बताया जाता है कि बजट बढ़ रहा है और उसमें बहुत ज्यादा पैसा स्वास्थ्य के लिए बढ़ा दिया गया है। मैं तो देखता हूं कि ज्यों ज्यों बजट बढ़ता गया त्यों त्यों दवाइयां नदारद होती जा रही हैं। मरीजों को लिख कर चिट दे दी जाती है कि फलां दवाई ले आओ, फलां इन्जेक्शन ले आओ। हमने तो ऐसा राजाओं के जमाने में भी नहीं देखा। बीकानेर का अस्पताल देखा, जयपुर का होस्पिटल भी देखा और जोधपुर का अस्पताल भी देखा, लेकिन इस तरह की बात तो उस समय नहीं होती थी। यह है हमारे स्वास्थ्य की बात।

अब मैं पंचायत विभाग की तरफ आता हूं। पंचायत विभाग से तो हमें बहुत पाला पड़ा है। मैं चूरू (बीकानेर) की राजगढ़ तहसील का रहने वाला हूँ। यहां कुछ अनुचित चुनाव करवाने के लिए बहुत सी बदमाशियां हुई। हमने सोचा कि मिनिस्टर साहब को इसके लिए लिख कर दें तो ठीक हो जावेगा। सब कुछ किया। पंचायतों के चुनाव होने लगे तो कुछ बदमाशियां होने लगीं। लेकिन हमने सोचा कि अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकायेंगे। हमने उसके लिए कि चुनाव स्थगित हो जायें मिनिस्टर साहब को लिखा, सेक्रेटरी को लिखा, सी०पी०ओ० को लिखा कि पंचायतों के वार्ड गलत बनाए गए हैं। पंचायतों के सैन्टर में जो गांव लेने थे वे नहीं लिये गए हैं। दस-दस पांच-पांच गांवों को आपने छोड़ दिया है। राजगढ़ तहसील के अन्दर लिखा-पढ़ी की पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अन्ततोगत्वा सरकार ने राजगढ़ में ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने तय किए, उस समय कई

Page No.85

(श्री मोहरसिंह)

सैन्टरों की जनता ने कहा कि वार्डों के अन्तर गड़बड़ियां है अतः चुनाव रोक दिया जाय किन्तु जनता की आवाज किसी ने नहीं सुनी। इस पर जनता अड़ गई तो कई जगह चुनाव अधिकारियों को चुनाव बन्द कराने पड़े। इस बारे में चीफ पंचायत ऑफिसर और अन्य अधिकारियों को दरख्वास्ते दी गई कि शायद वे हमारी शिकायत को सुनेंगे। लेकिन किसी ने नहीं सुनी और तहसील पंचायत का चुनाव कराने का आदेश दे दिया गया। हमने चुनाव अधिकारियों के समक्ष ये बातें रखीं कि वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी है अतः चुनाव न होने दिया जाय लेकिन अधिकारी ने कहा कि मुझे तो चुनाव कराने का हुक्म है, यह तो होगा ही। लेकिन राजगढ़ की पब्लिक ने इसको सहन नहीं किया। उन्होंने गढ़ के चारों ओर घेरा डाल दिया और कहा कि हमें मार दो और चुनाव करा लो। इस प्रकार उनके ऐसा करने पर एक दफा क्या तीन दफा चुनाव रोकने पड़े और आखिर माना गया कि पंचायत विभाग द्वारा गलती हुई है। कई जगह के वार्ड ठीक किए गए और कई ग्राम पंचायतों के तब तक चुनाव कराए गये। आखिर फिर तहसील पंचायत के चुनाव आये। लेकिन अब भी वोटर्स लिस्ट के अन्दर गड़बड़ी थी। हरिजनों के लिये विज्ञप्ति निकाली गई कि पंचायतें जिन हरिजन पंचों के नाम की सिफारिश भेजें उन्हीं को माना जायगा। पर ऐसा न करके ऊपर से लिस्ट भेजी गई। यह ऐसी चीज थी जो काबिले एतराज थी। साथ ही सात दिन पहले चुनाव का नोटिस मिलना चाहिये था लेकिन कई पंचायत सैन्टरों को केवल चार दिन पहले सूचना मिली कि तहसील पंचायत के चुनाव कराये जायेंगे। जनता को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ और नियत तारीख पर शान्ति पूर्वक ढाई हजार व्यक्तियों ने गढ़ को घेर लिया। उनकी यह आवाज थी कि इन्साफ होना चाहिए, अन्याय को हम बरदाश्त नहीं करेंगे, वोटर्स लिस्ट के ठीक किया जाय। लेकिन इतना होने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई। २६१ पचें कुल थे। वे सब बाहर खड़े थे। दो नकली वोट तहसीलदार साहब ने डलवाए और नतीजा घोषित कर दिया। कुल १६ में से ८ के नाम चुने जाने की घोषणा कर दी गई। जब बाकी के ८ ने कुछ दिन बाद अपनी १०, १०) रुपये जमानत वापस मांगी तो कहा गया कि आपके एक बटा पांच वोट नहीं आये, जमानत की रकम नहीं दी जायगी। मैं नहीं समझ सका दो वोट का एक बटा पांच क्या होता है।

(घंटी)

अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का टाइम और दिया जाय। इसी प्रकार हर एक विभाग के अन्दर गड़बड़ियां हैं, उनको मिटाने के लिये कदम उठाना चाहिए।

राज्यपाल महोदय के भाषण में कहा गया है कि दूसरी योजना में १०५ करोड़ रुपया रखा गया है। यह रकम बहुत कम है। शिक्षा, सिंचाई व उद्योग धन्धों पर ३५ करोड़ की और वृद्धि होनी चाहिए।

इसके अलावा राज्य कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। जब १९३७-३८ में कांग्रेस के हाथ में परीक्षणात्मक शासन सत्ता सात सूबों में आयी उस वक्त अमरावती (C. P.) में मैंने एक कांग्रेसी मिनिस्टर से व्याख्यान में सुना था कि मिनिस्टर लोग ५०० रुपये से अधिक वेतन नहीं लेंगे। अगर आज बड़े से बड़े

Page No.86

(श्री मोहरसिंह)

अधिकारी की तनख्वाह ५०० रुपये कर दी जाती है और छोटे से छोटे कर्मचारी की १०० रुपये, तो सालाना १० करोड़ का घाटा रहता है। पांच साल में पचास करोड़ का घाटा हुआ। आप इसके लिये मजदूरों पर टेक्स न लगाइये, किसानों को कर के बोझ से मत मारिये, आपको चाहिये कि जिन लोगों के पास पैसा है उनसे ही लें

(घंटी)

राजा श्री मानसिंह (बैंग): A certain amount of lenieney has been given to the Congress Members. I request that the hon'ble member may be given more time.

श्री अध्यक्ष : He has already taken more than fiiteen minutes time.

श्री मोहरसिंह : (जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, जिस समय आप कुर्सी पर विराजमान नहीं थे उस वक्त के अध्यक्ष महोदय ने एक एक वक्ता को पच्चीस २ मिनिट दिये। मैंने तो अभी १५ मिनिट ही लिये हैं। इस प्रकार १६० करोड़ रुपये की स्कीम है वह धनवानों पर टेक्स लगाने से पूरी हो सकती है। साथ ही साथ राजाओं की प्रिवी पर्स बन्द कर देनी चाहिए, इससे जो आमदनी हो वह स्कीम में लग सकती है और राजाओं के पास जो पैसा है वह उसको कर्ज के रूप में लेकर भी योयनाओं को पूरा किया जा सकता है। साथ ही मेरा यह मानना है कि महज रुपये लगाने सेही स्कीम पूरी नहीं हो सकती। किसी भी योजना को पूरा करने के लिये जहां साधनों की आवश्यकता है वहां मानव शक्ति को एक जुट करने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि जनता के दिल में उत्साह नहीं, उल्लास नहीं। यदि ऐसा ही वातावरण रहा तो जिन योजनाओं को हम पूरा करना चाहते हैं वह पूरी नहीं हो सकेंगी। सरकार को चाहिये कि जनता में योजनाओं के प्रति उत्साह पैदा करे और उनसे कहा जाय कि वे सब चीजें तुम्हारे लिये हैं किसानों के लिए हैं, मजदूरों के लिए हैं। उनमें इस प्रकार की स्पिरिट पैदा की जाय, तभी हम हिन्दुस्तान की और हमारे प्रान्त की तरक्की कर सकते हैं। जनता और साधन, दोनों एक जुट होकर कार्य करेंगे तभी हमारे स्कीमें पूरी हो सकती हैं। टाइम का तकाजा है और माननीय अध्यक्ष का रूलिंग मानने का हर सदस्य का फर्ज है। बातें तो बहुत सी और बतलाई जा सकती हैं, किन्तु मैं यहीं समाप्त कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : माननीय अध्यक्ष, राज्यपाल महोदय ने जो भाषण सदन के सम्मुख दिया उससे मैं कतई सहमत नहीं हूं। इसका कारण यह है कि राजस्थान का गत पांच वर्षों का इतिहास हम देखें तो हमें पता चलेगा कि यह अराजकता, अशान्ति और भ्रष्टाचार से बिलकुल रंगा हुआ मालूम पड़ेगा। इसका कारण यह है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसमें आपसी फूट है। इसीलिये जो कोई मिनिस्टर आया उसने राजस्थान की उन्नति के लिये कतई विचार नहीं किया। इसी कारण शासन प्रणाली में ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं हुई।

डाकुओं के खत्म करने के मुतल्लिक राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जिक्र किया जो बिलकुल गलत है। वास्तव में

Page No.87

(श्री लक्ष्मीचन्द)

डकैतों को खत्म नहीं किया गया, डकैतों को पनपाया गया है, इसके मैं निश्चित प्रमाण दे सकता हूँ। सांचौर में तो ऐसे डाकुओं को बिठाया गया, आज उनकी हालत यह है, वे पुनः डाकू बन गये। उन लोगों ने यह समझ रखा है कि सरकार कोई ताकत नहीं रखती इसलिये जहां उनको बिठाया गया था वहां से वे निकल आये; जिसका हरजाना अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को भुगतना पड़ा है। अभी इन्हीं गत वर्षों में ६–७ डकैतियां सांचौर तहसील में हुई लेकिन एक भी डकैती का माल बरामद नहीं हो सका।

अभी जून महीने का किस्सा है, जाखल में एक डकैती हुई। हम लोग उसके लिये पुलिस अधिकारियों के पास गए। मेरा फर्ज था कि मैं पुलिस थानेदार के पास जाऊं और इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करने के लिए कहता क्योंकि मैं इस गांव का कुछ दिनों के लिए कामदार रहा था, इसलिये मेरा फर्ज था। मैं पुलिस अधिकारियों के पास गया और उनको उन डकैतों का पीछा करने के लिये बाध्य किया। थोड़ी दूर पहुँचने पर पुलिस और डकैतों में मुकाबला हुआ और मैं क्या देखता हूँ कि पुलिस वाले मुकाबला बन्द कर देते हैं। मैंने उनसे कहा, डाकू जा रहे हैं, माल लिये जा रहे हैं, आप मुकाबला क्यों नहीं करते? उनका उत्तर था कि हम मुकाबला करते मर जांय तो हमारे पीछे बाल-बच्चों का क्या होगा? आज यदि कोई पुलिस कर्मचारी मर जाता है तो केवल उसको धन्यवाद दे दिया जाता है; स्टेट्स के जमाने में जब कोई आदमी डाकुओं से मुकाबला करते हुए मरता था तो उसको जागीरें दी जाती थीं ताकि सारी उम्र के लिये कुटुम्ब के भरण-पोषण का इन्तजाम हो जाता था। आज कल तो कुछ नहीं दिया जाता, हम क्यों मरें? इन सारी मुसीबतों का फल हमको भुगतना पड़ता है। आज यह स्थिति नहीं है कि कोई सेठानी कलकत्ते से लाख रुपये का माल लेकर सुरक्षित अपने स्थान पर पहुँच जाय! आज यदि कोई इस प्रकार माल लेकर चलता है तो उसको सोचना पड़ता है कि मैं अपने स्थान पर सुरक्षित पहुँच सकूंगा या नहीं? आज जो रक्षा प्रणाली अपनायी गई है उसकी प्रशंसा जो राज्यपाल महोदय ने की है, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें इस प्रकार की रक्षा प्रणाली देखनी पड़ती है।

जाखल में हुई डकैती में जब डाकुओं का पीछा किया गया, उस दौरान में एक घोड़ी पकड़ी गई लेकिन उस घोड़ी का मालिक कौन है, यह अब तक पुलिस अधिकारी पता नहीं लगा सके। जब उनसे पूछा जाता है तो यही उत्तर मिलता है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं; घोड़ी के मालिक ने डाकुओं को पकड़वाने का वादा किया है ऐसा वे कहते हैं। मुझे तो यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि डाकुओं के माल में पुलिस के शेयर्स होते हैं; नहीं तो क्या अभी तक घोड़ी के मालिक का पता नहीं चलता?

अब इसके बाद में शिक्षा विभाग को लें। इसका तो हिसाब ही अजीब है। सांचोर जैसे पिछड़े हुए एरिया में सन् १९३१ से एक मिडिल स्कूल है, वहाँ आज तक हाई स्कूल बनाने के विषय में सोचा ही नहीं गया। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सांचोर में हाई स्कूल बना दिया जाय। बाइ इलेक्शन (Bye election) के समय वहां जो मन्त्री महोदय गये थे उन्होंने बड़े बड़े

(श्री लक्ष्मीचन्द)

वादे किये। जिस प्रकार कहा जाता है कि आम के पेड़ लगायेंगे उसी प्रकार सांचोर में आम लगाने की योजना दिखाई गई। जहां पुराने जमाने से मिडिल स्कूल चला आ रहा है। वहां आज तक हाई स्कूल बनाने की कोई योजना नहीं बनाई गई। ऐसा भी देखा गया है, जहां स्कूलें हैं वहां विद्यार्थी नहीं हैं और जहां विद्यार्थी है वहां स्कूलें नहीं, हैड मास्टर नहीं है।

इसका कारण क्या है ? सोच विचार कर स्कूलें नहीं खोली जाती हैं। जहां आवश्यकता है वहाँ नहीं खोली जातीं और जहां जरूरत नहीं वहां ठूंस ठूंस कर स्कूलें भरी जाती हैं।

मास्टरों को वेतन पूरा नहीं दिया जाने के कारण मास्टर प्राइवेट ट्युशनों पर जोर देते हैं और स्कूलों में वास्तविक शिक्षा नहीं देते। उनका पालन-पोषण कम वेतन से नहीं होता इसलिए स्कूल में पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं लेते और हर वक्त उनके दिमाग में यही बना रहता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्युशन बनावें और इसके फलस्वरूप गरीब लोग पढ़ नहीं सकते, जो ट्युशन नहीं कर सकते और उनको शिक्षा से मोहताज रहना पड़ता है।

चिकित्सा के बारे में यह हाल है कि जहां पहले हर दवाई शफाखाने में मिलती थी वहां आज मामूली सी पेनीसिलिन का इंजेक्शन तक बाजार से लाना पड़ता है। हम यह समझते थे कि हम आजाद होंगे, हमारा देश आजाद होगा तो हमें भी कई किस्म की सुविधाएं मिलेंगी। पर आज देश आजाद भी हो गया, पर इसके फलस्वरूप हमें मामूली दवा बाजार से मोल लानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में क्या कोई गरीब आदमी आज चिकित्सा प्राप्त कर सकता है ? जोधपुर स्टेट के समय गांधी अस्पताल आज जहां है वह पहले विंडम अस्पताल था, उसमें प्रतिदिन बीमारों को फ्रूट्स (Fruits) दिये जाते थे। पर आज इसकी बात तो दूर रही, एवज में पूरी दवाई तक नहीं दी जाती। यहां तक कि एडमिशन तक नहीं मिलता। सांचोर से एक परिगणित जाति का आदमी वहां एडमिट होने गया, पर उसे एडमिशन नहीं दिया गया। तो यह दशा है आज। जालवी जैसे कस्बे में एक आयुर्वेदीय औषधालय है, किन्तु एक साल से वैद्य नहीं है। पर जहां वैद्य हैं वहां मैडीसिन नहीं। यह तो चिकित्सा की हालत है।

कई जगह ऐसा होता है कि शफाखाने में दवाइयां नहीं होतीं तो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के लिये सर्टिफिकेट मिलता है कि मार्केट से ले आओ। तो उनके लिए वे दवाइयां मार्केट से खरीद लेते हैं। पर वह सर्टिफिकेट भी फोर्थ क्लास और मिनिस्टीरियल स्टाफ को नहीं मिलता। वह भी गजटेड अफसरों को मिलता है और इसका परिणाम यह होता है कि कम वेतनवालों को मोल लानी पड़ती है और ज्यादा तनख्वाह वालों को बाजार से भी लाना पड़े तो पैसा मिल जाता है, सर्टीफिकेट मिल जाता है। तो यह पद्धति का दोष है। यह पद्धति बदली जाने की जरूरत है।

अब सैटलमेन्ट विभाग की बात करता हूं। यह तो पुलिस विभाग से भी आगे बढ़ गया है। उसके रेकार्ड ऐसे बन गये हैं जैसे बच्चे की स्लेट; मरजी आई वह लिख दिया और मर्जी आई वह मिटा दिया। बच्चों की स्लेट हो गई वह तो। मैं उदाहरण के तौर पर एक जगह की बात कहूँ। एक जागीरदार है। उसकी खुदकाश्त की भूमि का एक भी इन्च का इन्द्राज नहीं हुआ। खसरा नम्बर १२० में

(श्री लक्ष्मीचन्द)

एन्ट्री ४ शख्सों की है। पर पट्टा थर्ड पर्सन को मिल जाता है जिसका खसरों में इन्द्राज़ न हो। इतनी गन्दी कार्यवाहियाँ यहां चलती हैं। कलेक्टर द्वारा इजारदारियां पेश की गईं, सब कुछ किया पर फिर भी पड़त जमीन का पट्टा अन्य अधिकारियों को दे दिया गया। एक तरफ कहा जाता है कि भूमिहीनों को जमीन दी जावेगी और दूसरी तरफ उनको शरणार्थी बनाने का तरीका अख्तियार कर रहे हैं।

अब सड़कों के बारे में थोड़ा निवेदन करूंगा। इनका हाल यह है कि जालौर जिले भर में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में एक भी पक्की सड़क नहीं बनाई गई। तो क्या हमारे जिले का हक नहीं था ? क्या केवल उदयपुर, भीलवाड़ा या जहाँ के मिनिस्टर हों वहीं का अधिकार है ? वहां एक भी डामर की सड़क नहीं है। और साँचोर की सड़कों का तो हाल ही अजीब है। तो यह तो जालौर जिले के साथ सौतेली मां का सा बरताव है। वहां की कैसी सड़कें हैं ? कृषि मन्त्री जी भी पधारे थे। उन्होंने उनका निरीक्षण किया और वे जानते हैं कि वे वाकई में कैसी हैं। सड़कों के लिये पैसा सरकार खर्च करती है और पी. डब्ल्यु. डी. वैसे ही उन पर रेत बिछा देती है जो पीछे पीछे उड़ जाती है। बाज-बाज तो सर्विसें बन्द हो जाती हैं। वे स्थान रेलवे स्टेशन से तीस तीस मील दूरी पर हैं। सड़कों की हालत यह है कि कई कई दिनों के लिये सर्विसें बन्द हो जाती हैं और उस स्थिति में लोगों की परेशानी का अन्दाजा सभी लगा सकते हैं।

परिगणित जातियों के लिये कानून बना लिया है कि उनको भूमि दी जावेगी, पर सांचोर में, जालोर जिले में किसी को जमीन नहीं दी गई। भूमि उन्हीं को दी जाती है जिनके पास पैसा है, जिनके पास पार्टी का पक्ष है या सत्तारूढ़ दल है। जमीनें उनको ही दी जाती है, न कि गरीब आदमियों को।

भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है ? इसका मुख्य कारण जिनके हाथों में आज शासन की बागडोर है वे हैं। जिनके हाथों में आज की शासन प्रणाली है उनका दोष है, मन्त्री मण्डल का दोष है। मारवाड़ी में कहावत है :

बाड़े लागो बेलड़ो, बाड़ बेलां ने खाय,
राजा दंडे रयत को, तो रूक केरे कने थाय।

तो इसी तरह शासन प्रणाली की हालत है। हमारी अर्ज इस सदन में है, जिनकी तरफ से मैं प्रतिनिधि बन कर यहां आया हूं उनकी तरफ से। तो यह दशा हमारी है। सांचोर जैसे पिछड़े क्षेत्र में किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा।

एक ब्लोक अभी खोला है, १-४-५६ से चालू है पर वहां आज तक भी कोऑपरेटिव इन्सपेक्टर नहीं भेजा गया। ब्लॉक के सदस्य सिर्फ तनख्वाह लेने को आते हैं, और कोई कार्य नहीं किया, पैसा हड़पने की कोशिश करते हैं। बी. एल. डब्ल्यु की कमी है और पांच-सात हैं उनके हल्के ही दूर दूर बना दिये गये हैं जहां उनके पास मुतर सवार की व्यवस्था नहीं है ताकि उनका दौरा कर सकें और वहां दो बी. एल. डब्ल्यु की भी कमी है।

सस्ते अनाज की दुकानों की बात जरूर कही गई है, पर जालोर डिस्ट्रिक्ट भर में एक भी नहीं खुली है। किसानों की यह दशा कर दी गई

(श्री लक्ष्मीचन्द)

है कि जिस वक्त अनाज घरों में होता है उस वक्त मार्केट डाउन हो जाता और जब उनका अनाज दुकानों में चला जाता है और खरीदने का वक्त आता है तो मार्केट ऊंचा चला जाता है। तो यह किसानों को और गरीब लोगों को पनपाने का तरीका है या उनको मिटाने का तरीका सरकार ने अख्तियार कर रक्खा है ?

अधिक वर्षा के कारण सांचोर तहसील में कृषि को बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह सरकार ने बिघोड़ी की छूट दी है, पर सांचोर जैसे इलाके के किसानों को कोई छूट नहीं दी। तो क्या वहां की जनता छूट के काबिल नहीं है ? बेशक है, पर उनकी ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता है। तो मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे सांचोर जैसी तहसील के लिए जल्दी से जल्दी प्रयत्न करें और उसे उन्नति पर लाएं। इसलिये मैं राजपाल के धन्यवाद के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ।

श्री शिवचरणदास (खेतड़ी): अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर प्रस्तुत हुआ हूँ वहां के लोगों की विपत्ति और रहन-सहन के निम्न स्तर का तकाजा है कि मैं राज्यपाल महोदय के भाषण का विरोध करूं। निवेदन है, राज्यपाल ने दूसरे पैराग्राफ में यह बताया कि आजाद होने के साथ साथ दस वर्ष पहले इस देश के लोगों को शीघ्रता से समूचे देश की आर्थिक प्रगति करने की तीव्र अभिलाषा हुई और अध्यक्ष महोदय, मैं तो अब आजादी की परिभाषा को अगर आज की परिस्थिति से मुकाबला करता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या यह आजादी की परिभाषा है कि जहां दिखावे के रूप में, ऊपर देखने से तो हमें दिखता है कि काफी तरक्कियां हम कर रहे हैं, काफी तरक्कियां हमें नजर आती हैं, पर वास्तविक आजादी तो मैं प्रत्येक नागरिक की आन्तरिक स्वतन्त्रता को मानता हूं। अगर हम उस पर बारीकी से ध्यान देते हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आज एक भी वर्ग, एक भी नागरिक की आत्मा में शान्ति नहीं, यह विश्वास नहीं कि वास्तव में हम आजाद हैं।

काश्तकारों के दुख, मेरे पूर्व वक्ता जो आज दो दिन से बराबर सदन में निवेदन कर चुके हैं, उन्होंने एक एक बात पर काफी प्रकाश डाला है। मैं उस पर सदन का विशेष समय लेना नहीं चाहता हूं, आवश्यकता भी नहीं है लेकिन मैं तो अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि वास्तव में नागरिक की आन्तरिक विचारधाराओं की स्वतन्त्रता ही असली स्वतन्त्रता है। जब तक उसकी आत्मा में शांति नहीं है, सारी आजादी चाहे उसका कितना ही दिखावा हो, मैं उसको स्वतन्त्र या आजाद नहीं मान सकता। मै आज काश्तकार वर्ग की तरफ जाऊं, सब से पहले जो हमारा आधार है और बड़े जोरों के साथ हर समय उस पर जोर दिया गया कि 'जमीन किसकी, जो जोते उसकी।' वास्तव में शब्दों में यह बताया जाता है लेकिन वास्तविक स्वरूप में अपने क्षेत्र में देखा है, आज जितना अन्याय, जितना दमन एक काश्तकार पर किया जाता है, मैं समझता हूं, किसी वर्ग पर उतना नहीं है। वह मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं कि आज एक काश्तकार, जिसको आज देश का राजा सम्बोधित किया जाता है उसकी स्वयम् की जमीन में हल जुता हुआ है, यदि उसको यह आवश्यकता पड़ जाय, उसका हल या दूसरे औजार खराब हो गये, निनाण करते

Page No.91

(श्री शिवचरणदास)

वक्त उसकी करसी का बांस टूट गया तो उसको अधिकार नहीं है कि जिस खेत पर वह खड़ा हुआ है उस खेत के दरख्त की लकड़ी काट ले। उसको दरख्वास्त देनी पड़ेगी, प्रत्येक ओफिसर मनमानी करता है, उस काश्तकार को आजादी नहीं, टेक्स देते हुए भी उसको अधिकार नहीं होता कि सरकार की इस गुलामी से उसका पिंड छूटे। मैं निवेदन करूंगा कि मैं उसको आन्तरिक स्वतन्त्रता नहीं मानता। उसको हर वक्त यह भय बना रहता है कि भगवान मौका न दे, फसल का मौका है, करसी का बांस टूट गया, फसल रह जायगी, उस काश्तकार को पटवारी के पास दौड़ कर जाना पड़ता है फसल के वक्त पर। मैं एक गांव की नजीर देता हूं। एक सींक काट लेने पर एक पटवारी ६०) रु० ले, यह भ्रष्टाचार का नमूना है। उसकी रुकावट करता है तो चार पांच दिन मंजूरी में लगा दे और चाहे उस बदकिस्मत को मंजूरी मिले या न मिले, कितने दिन निकालना पड़े उसको, इसलिए ६० रु० उसको देकर खेती का काम चलाया। यहीं उसका पिंड नहीं छूट जाता।

उससे आगे निवेदन करूं,. सेटलमेन्ट होने के बाद हमारे यहां, मैं आपसे निवेदन करूंगा, सेटलमेन्ट काफी अर्से पहले हुआ। वहां कच्ची तहसीलें हैं और सेटलमेन्ट शुदा अलग हैं। कच्ची तहसीलों में तो छटा बांटा कर दिया गया है और वह बद किस्मत काश्तकार जो सेटलमेन्ट का पैसा देता है उसको तीसरे बांटे से देना पड़ता है। मैं पूछता हूं कि जिसको सर्वेसर्वा माना गया उसी काश्तकार को क्या ये ही रियायतें मिलती है? उसके आगे काश्तकार के लिए मैं और निवेदन करूं। चारागाह काश्तकार के लिए सबसे प्रमुख होता है। वह काश्तकार, जिसके पास न जमीन है और न बीड़ है, जहां कि वह अपने गाय, बैल, भेड़ों को चरा सके और न गांव में चारागाह की जमीन है कि उस पर वह चरा सके। अगर आगे चलकर दूसरे जगह के चारागाह में जाकर चराने की हिम्मत करता है तो उस गांव का पटवारी उसे रोकता है, दुहाई होती है लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं। नेताजी के पास जाता है, जो दो-दो आने, चार-चार आने पर बिके हुए हैं, जो गांव के ठेकेदार होते हैं, चरनोट में सबसे ज्यादा हिस्सा होता है, वह काश्तकार जो गायें लेकर जाता है चराने के लिए, उसको मजबूर होकर पैसा देकर, दूसरी जगह चराई देकर अपने पशुओं का निर्वाह करना पड़ता है। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सबसे पहले यह जो काश्तकार की हालत है, इस प्रकार प्रत्येक सीगे में आन्तरिक शांति नागरिक को जब तक नहीं मिलेगी तब तक आजादी और स्वतन्त्रता का असली स्वरूप मैं नहीं मानता। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब इनकम टैक्स में ३६००) रुपये पर छूट है, इनकम टैक्स नहीं लेते हैं, उन बद किस्मत काश्तकारों को अपने पूरे खर्चे के लिए, जिसको हम जमीन का मालिक कहते हैं, उसको स्वतन्त्रता है, आजादी है, उसका मालिक है, इतना अधिकार नहीं है कि कम से कम खर्चा निकालने के बाद दो-तीन हजार की आमद उसके लिए मुकर्रर कर देना पड़े जिससे उसको लगान देने की चिन्ता मिट जाय। जमीन के हम मालिक हैं, हमारा मुल्क है, फिर भी टैक्स देना पड़ता है। मैं तो आगे बढ़ कर निवेदन करूंगा कि सच्ची स्वतन्त्रता हम गांवों से लें। बेचारे काश्तकार, जिनको हम

(श्री शिवचरणदास)

अपना सर्वेसर्वा मानते हैं, जिन पर हमारे मुल्क की आजादी निर्भर करती है, जो हमारे साधन हैं, जब तक हम उनको स्वतन्त्र नहीं बना देंगे, जब तक आन्तरिक स्वतन्त्रता उनको प्राप्त नहीं हो जायगी, हम आजादी को निभा नहीं सकेंगे। इसलिए निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सामने की पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है वह पहला कदम यह उठाये कि काश्तकारों के लिए कम से कम तीन हजार, दो हजार की हद मुकर्रर कर दी जावे। जिस तरह से इनकम टैक्स माफ है उसी तरह जमीन का लगान माफ हो जाना चाहिए, यह होगी सच्ची स्वतन्त्रता, उसको आन्तरिक स्वतन्त्रता होगी। उसकी आत्मा में शांति मिलेगी तब ही वह ठीक तरह से स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकेगा।

इसी तरह से मैं आगे चल कर यह निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं जनतन्त्रवाद की इस तरह से आपके सामने एक रूपरेखा रख देता हूं। अभी मेरे विपक्षी दल की ओर से एक माननीय सदस्य ने इस विरोधी दल की कटु आलोचना की, वे अपने विचारों के हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता, किन्तु जनतन्त्रवाद में विरोधी दल ही ऐसी मशीनरी है जिसके द्वारा सच्चे माने में प्रजातंत्र चल सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि विरोधी दल के होते हुए भी आज हमारे सामने एक दल द्वारा भ्रष्टाचार का नंगा नाच होता है। मैं थोड़ा सा निवेदन करूं और दुख के साथ निवेदन करूं कि तहसील रावपुर, जहां से मुझे वोट मिले हैं, और इस सदन में मैं उपस्थित हुआ हूं, उसके नजदीक एक हेमाणा गांव है, वहां एक सार्वजनिक तालाब है और उसमें दो सौ बीघा जमीन का पेटा है। छोटे छोटे काश्तकारों को मिलाकर, अलग अलग काश्तकार के पास, किसी के पास १॥ बीघा जमीन है, किसी के पास आधा बीघा जमीन है, किसी के पास पांच बिसवा जमीन है और किसी के पास ज्यादा से ज्यादा दो बीघा जमीन हिस्से में आती है और इस प्रकार जमीन बराबर बंटी हुई है अब जब नेताजी पहुंचे तो अपने मर्जीदानों को जमीन दिलाने की चेष्टा की। १५० या २०० वर्षों से जिन काश्तकारों का उन जमीनों पर कब्जा है, किसी को सिर्फ आधा बीघा जमीन है, किसी को पांच बिसवा जमीन का टुकड़ा हिस्से में आता है, नेताजी पहुँचते हैं मर्जीदानों को जमीन दिलाने; बदकिस्मती से काश्तकार के अनपढ़ होने का सदुपयोग या दुरुपयोग कहिये, वह उठाते हैं। आज हम टिनेन्सी एक्ट देखते हैं तो पूरे हक से उनकी मिल्कियत है लेकिन फिर भी नेताजी ऐतराज करते हैं क्योंकि सैटलमेन्ट में जमीन उसके नाम से दर्ज है।

५-म० प०

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, Sir, in this august Assembly.

श्री शिवचरणदास : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी में बोलें तो अच्छा हो।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I would like to request through you, Sir, that the term "Netaji" is a very respectful term used for Subhas Chandra Bose, and I would request the Members in this House to say either "congressman" or "man from the congress party" With respect to

Page No.93

(श्री श्रीमानसिंह)

a leader who is no more with us, I think, in this House, it is appropriate that this term be dropped because this is a respectful term used for a very great man.

श्री शिवचरणदास : मैं यह निवेदन करूंगा आपके द्वारा माननीय सदस्य से कि जो शब्द कहे हैं अंग्रेजी में उनको हिन्दी में दोहरा दें तो मैं उनका उत्तर दे सकता हूँ। मैं इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय से यह निवेदन करूंगा कि अधिकतर संख्या हिन्दी पढ़े सदस्यों की है इसलिए हिन्दी में बोला जाय तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यह कहा था कि आप जो 'नेताजी' शब्द इस्तेमाल करते हैं वह श्री सुभाषचन्द्र बोस के लिए काम में आता है इसलिए आप किसी अमुक व्यक्ति के लिए कहना चाहें तो निश्चित तौर से कहें और इस तरह की शब्दावली काम में न लावें, यह उनका कहना था।

श्री शिवचरण दास : यह तो सदस्य महोदय के विचारने की चीज थी। आज सुभाषजी दुनिया में नहीं हैं तो वे उनके लिये कैसे विचार सकते हैं........

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से आपने अपना भाषण समाप्त कर लिया ?

श्री शिवचरणदास : बदकिस्मती से समझिये या सौभाग्य से, आज ६ साल से डाकू कहलाने वाला आपके सामने उपस्थित हुआ है। आज भी मुझे बोलने के लिए समय नहीं दिया जाता है। मैं और बहुत कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको ५ मिनट और दिये जाते हैं।

श्री शिवचरणदास : अध्यक्ष महोदय, यदि इसको बुरा न माना जाय तो मैं नाम बतता हूं। बाबू गोकुलप्रसाद जो मेरे मुकाबले में पराजित हुए हैं वे ही नेताजी कहलाते हैं और वे कांग्रेस के सदस्य हैं। वे वहां पहुंचते हैं, जिस जमीन पर २०० वर्षों से जिन काश्तकारों का कब्जा है उनको जमीन पर से बेदखल करके अपने मर्जी के काश्तकारों को वह जमीन दिलाना चाहते हैं जिनका कि उस जमीन पर कब्जा नहीं था। पुराने कब्जे वाले लोग तहसील में गये लेकिन क्योंकि दूसरे लोगों के पीछे कांग्रेस के सदस्यों का बेकिंग था इसलिए पूरे गांव की भी वहां सुनवाई नहीं हुई। अब ३-४ साल से कचहरियों में जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं।

मुख्य मन्त्री महोदय का वहां दौरा हुआ। मैंने काश्तकारों को साथ लेकर रूबरू मुलाहिजा कराया और उनसे आश्वासन मिला, लेकिन आज भी काश्तकार उसी स्थिति में हैं। इसे आजादी कहते हैं या किसको कहते हैं ? आज भी वे लोग अपनी किस्मत को रोते हैं। क्योंकि उनके खिलाफ वाले लोगों के पीछे कांग्रेस सदस्य की बेकिंग है इसलिए आज उनकी कोई सुनवाई नहीं होती।

इसी तरह की एक दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूँ। अभी चुनाव से कुछ पहले का किस्सा है। रायपुर तहसील से, हिन्दू महासभा से रावत शंभुसिंहजी जीत कर आये थे। वहां पर पानी की कमी है। उसके लिये वहां के लोगों ने दरख्वास्त दी। एक ही गांव में नहीं बल्कि करीब आधी तहसील में पानी की

(श्री शिवचरणदास)

कमी है। मुख्य मन्त्रीजी का जब वहां पर दौरा हुआ तब लोगों ने उनके सामने दरख्वास्त पेश की, तब उनको जवाब मिला कि शंभुसिंहजी के पास जाओ जिनको तुमने वोट दिया है। आज यह है प्रजातन्त्र और आजादी का नमूना जिसमें विरोधी दल की यह हालत है ! मैं समझता हूं सत्तारूढ़ दल का जितना अधिकार है आज अल्पमत का भी उतना ही अधिकार है। यहां तक है कि सत्तारूढ़ दल अपने सिद्धान्तों पर शासन चलाये और विरोधी दल अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करे। जब नागरिक स्वतन्त्रता पर कुठाराघात किया जाता है तब उसे मैं एकतंत्र कहूँ या दल विशेष का शासन कहूं, इसलिए मेरा निवेदन है। आज मैं चाहता था वास्तव में धन्यवाद देने के लिए खड़ा होना, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मेरी हिम्मत नहीं हुई, न मालूम क्यों ? आजादी शब्द का प्रयोग किया जाय लेकिन मैं नहीं समझता कि वास्तव में आजादी हमको मिली है।

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मुझे ५ मिनट और दिये जावें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य काफी समय तक बोल चुके हैं। समय हो चुका है इसलिए बैठ जावें।

श्री शिवचरणदास : मुझे कल और समय दिया जावे, दूसरे लोग ३०-३० मिनट तक बोले हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको भी बोलते हुए २० मिनिट हो चुके हैं।

श्री शिवचरणदास : मुझे मालूम नहीं कि घड़ी इतनी तेजी से चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष के निर्वाचन सम्बन्धी घोषणा

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहूंगा कि उपाध्यक्ष का चुनाव पहले ३० तारीख के लिए रखा गया था जिसकी सूचना सभी सदस्यों के पास भेज दी गई थी। अब उसको एक दिन आगे बढ़ाकर १ तारीख को उपाध्यक्ष का चुनाव रखा गया है। कोई सदस्य कहे कि उनके पास सूचना नहीं पहुंची इसलिए बताना चाहता हूं।

अब सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है कल ११ बजे तक के लिये।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही ५.६ बजे सायं, मंगलवार, दिनांक. ३० अप्रैल, १९५७ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(सोमवार, २६ अप्रेल, १६५७)

	स्तम्भ
शपथ अथवा प्रतिज्ञान	३११

सर्व श्री दलपतसिंह, रघुवीर सिंह एवं श्रीराम ने शपथ ग्रहण की ।

तारांकित प्रश्नोत्तर	३१२

मार्च ५७ में अधिक वर्षा व ओलों से गंगानगर में फसलों को क्षति ।

चक ४३ एल. एन. पी. की भूमि का नियतन ।

गंग केनाल कोलोनी में भूमि हीन कृषकों को भूमि ।

गंगानगर में फसल की क्षति के कारण शरणार्थियों से वसूली का स्थगन ।

तहसील गंगानगर की नियतन की गई भूमि ।

गंगनगर में तमलीकनामे तथा विरासत के मामले ।

संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या ६ को बाद में उत्तर देने के लिए स्थगित किया गया ।

पुरःस्थापित विधेयक	३१८

निम्नलिखित विधेयकों के पुरःस्थापन की आज्ञा दी गई एवं विधेयक पुरःस्थापित किये गये :

(१) राजस्थान रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ विधेयक, १६५७

(२) राजस्थान लॉज़ (एक्सटेन्शन) विधेयक, १६५७

(३) राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ विधेयक, १६५७

	स्तम्भ
राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद (क्रम से)	३२०

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री हरिदेव जोशी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर अग्रेतर सामान्य वादविवाद प्रारम्भ हुआ जिसमें आज निम्नलिखित और सदस्यों ने भाग लिया :

श्री श्रीमानसिंह
श्री जनार्दनराय नागर
श्री दयाकृष्ण
श्री मदनसिंह
श्री मूलचन्द डागा
श्री रघुवीरसिंह
श्री तनसिंह
राजा श्री मानसिंह
श्री हरिश्चन्द्र
श्री नारायणसिंह (मसूदा)
मेजर श्री फतहसिंह
श्री सम्पतराज
रावराज श्री सरदारसिंह
श्री निरजननाथ आचार्य
श्री लादूराम
श्री मोहरसिंह
श्री लक्ष्मीचन्द
श्री शिवचरणदास

Page No.96

स्कम्भ

श्री उपाध्यक्ष के निर्वाचन सम्बन्धी घोषणा ४९८

श्री उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख ३० अप्रैल से १ मई, १९५७ रखने की श्री अध्यक्ष ने घोषणा की।

मंगलवार, ३० अप्रैल, १९५७ की कार्य-सूची

श्रीमान् राज्यपाल के अभि-भाषण वाद–विवाद

शुद्धि-पत्र

(सोमवार दिनांक २६ अप्रेल, १९५७)

क्रम संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३१२	४	श्रीमती सतवत कौर	श्रीमती सतवन्त कौर—
३१३	७	गगागर में तमलीक नामे	गंगानगर में तमलीकनामे
३२५	अंतिम पंक्ति	in this a way	in this way.
३६४	११-१२	Members of the Legisa glative Asse- "bly...	"Members of the Legislative Assembly...
३६७-३७२	१	२६ अप्रेल, १९५७	२६ अप्रेल, १९५७
३७५	९-१०	शिक्षा ठीक ठीक नही	शिक्षा ठीक नहीं
३७७-३७८	१	२६ अप्रेल, १९५७	२६ अप्रेल, १९५७
३८०	२-३	जो सोशियस्लिटर पैटर्न	जो सोशियलिस्टिक पैटर्न
३८०	८	जनता के उपर लादा	जनता के ऊपर लादा
३८०	२७	श्री किशनलाल शाह : (नावां)	श्री किशनलाल शाह (नावां) :
३८८	२९-३१	राष्ट्रीय त्योहार को लोग गांवोंमें उतनी शानमें नहीं मनाते नहीं मनाते जितनी	राष्ट्रीय त्यौहारों को लोग गांवों में उतनी शान से नहीं मनाते जितनी
,,	३४	शाशन व्यवस्था ने	शासन व्यवस्था के
४२७	२	राव श्री नारायणसिंह	राव श्री नारायणसिंह
४३६	३४-३५	and have Cengress be come	and Congress have become.
४४०	५	election student	election stunt
,,	२१	Law snd order	law and order
,,	३१-३२	informers, nose and ears were cut be dacoits	informer's nose and ears were cut by dacoits
४६४	१०	nothing else then.	nothing else than...
,,	३०	बुनियाद पर न पतमे	बुनियाद पर न पनपे
४७१	१६	भी सजा या गुर्माना किया हो	भी सजा या जुर्माना किया हो